खण्ड-468, अंक-8
मंगलवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(11 मार्च, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग.....(जारी)	1-3
प्रश्नोत्तर	4-36
व्यवस्था के नाम पर हास-परिहास	36-38
कार्य-सूची के नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को 14वें सोमवार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	38-39
गोरखपुर में भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न.....(जारी)	39-45
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं....(जारी)	45
गोरखपुर में भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न.....(जारी) ...	46-49
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	49-50
इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत सीवर सुधार कार्यक्रम योजना में सीवर का शोधित जल गंगा नदी के पार ले जाकर सिंचाई हेतु देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
वाराणसी में नख्खीघाट वरूणा नदी पर बने पुल का निर्माण कराने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51-52
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ में कार्यरत कु0 जयश्री को शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद इलाहाबाद के ग्राम लखनपुर कांदू तहसील सोरांव निवासी सलीम के खेत पर दबंगों द्वारा किये गए कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क के बाहर जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाने हेतु वन विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53

विषय	पृष्ठ-संख्या
महिला कल्याण निदेशालय के अनुदान अनुभाग में कार्यरत लिपिक की फर्जी नियुक्ति और उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	54-55
लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले के आस-पास जहल झील पर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पुराने मानचित्र के अनुसार स्थिति यथावत बनाए रखने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	55-56
जनपद महामायानगर के कस्बा सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में विचाराधीन लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना हेतु धन अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद बागपत में मण्डी विभाग द्वारा बनाई गई सभी सड़कों की जांच तथा पुनः निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैर वाणिज्यिक कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
शाहजहांपुर में तैनात सूचना प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी का शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	58
जनपद बदायूं के एन0एम0एस0एन0 दास कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति कर बी0एड0 की कक्षायें पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जल संस्थान, लखनऊ द्वारा कराये गए सर्वे में प्रदेश के 51 जिलों में आर्सेनिक युक्त पानी पाए जाने तथा उसकी रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
आगरा की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन केन्द्रों तथा दमकलों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल स्तर गिरने से पुराने हैण्डपम्पों के स्थान पर नए हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
आजमगढ़ सदर क्षेत्र में बेलवा बनहरा मार्ग टौंस नदी पर दो पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जिला पंचायत गोण्डा द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61-62
डा0 आर0ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा की जान को खतरा देखते हुए उनकी तथा परिवार की विशेष सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सी0आर0पी0सी0 की धारा 433ए के तहत 14 वर्ष की सजा काटे बन्दियों को रिहा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
कुशीनगर के विद्युत सब स्टेशन फाजिलनगर में दो विद्युत कर्मियों की कार्य करते समय हुई मृत्यु पर मृतक परिवार को नौकरी तथा सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
लखीमपुर खीरी में ऐरा रोड ग्राम रामापुर से उल्ल नदी के रपटा पुल तक जाने वाली अर्धनिर्मित सड़क को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली मिश्रिख के थाना प्रभारी का अन्यत्र स्थानान्तरण कर इनके द्वारा किये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद लखीमपुर खीरी में गोला कोतवाली में मा0 सदस्य श्री अरविन्द गिरि के विरुद्ध झूठे मुकदमों को लिखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जौनपुर के गढ़वारा विधान सभा क्षेत्र में बधवा में शहीद स्मारक बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
लखनऊ, सीतापुर रोड स्थित तपस्वी नगर मुहल्ले के अधूरे डामरीकरण के कार्य को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66-67
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	67

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	67
जनपद बागपत के ग्राम बावली लोयन, धनौरा सिल्वरनगर आदि क्षेत्रों में नये 33/11 भार क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री सुरेश मलिक आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	68
जनपद कुशीनगर में ब0स0पा0 द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2008 को आयोजित किसान रैली में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य ...	68-69
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	69
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	69-70
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में कार्य करने के लिए विधान सभा के एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य तथा एक मुस्लिम शिया सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	70
विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लम्बित उत्तर प्रदेश डा0 भीमराम अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को वापस लिये जाने की अनुमति देने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	71
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	71
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	71-72
गोरखपुर में भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	72-80
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	80-81
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित) ...	81-84

विषय	पृष्ठ-संख्या
अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया, बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग (जारी)	84-85
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	85-86
अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया, बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	86-88
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 को लिये जाने का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	88-89
अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया, बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना...	89-97
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)... ...	98-100
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	100
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस).... (स्वीकृत)...	100-109
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (पारित)	109-117
उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	118
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय जिसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी) ...	118
उत्तर प्रदेश राज्य के 22 जिलों को सम्मिलित करके पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिये जाने विषयक चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	118-119
प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	119
प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण को सन्तुलित रखने हेतु राज्य मार्गों के किनारों पर बरगद, नीम, पीपल आदि वृक्षों का रोपण किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	119
प्रदेश के सभी स्कूलों और कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	119
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	120
जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	120
जनपद आगरा को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा. .....(जारी)	120
जनपद आगरा के विकास के लिए प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू रेन्युअल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को आगरा में अविलम्ब आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन ...	120-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के चमड़ा उद्योग को बढ़ावा और गरीब कारीगरों के जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूतों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त करने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	121
उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	121-122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	122-127
नियम-301 की सभी सूचनाओं को लिए जाने का अनुरोध	127
झांसी महानगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु ड्राई क्षेत्रों को पाइप लाइन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू पास प्रणाली व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
तत्कालीन सपा सरकार के समय में राजनैतिक द्वेष भावना से शान्ति भंग की आशंका में श्री राजाराम त्यागी (सदस्य विधान सभा) पर लगाये गए मुकदमें हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128-129
स्व0 बाबूराम सक्सेना, पेट्रोल मैन, मिश्रिख, सीतापुर की मृत्योपरान्त उनके आश्रित पुत्र श्री सत्य प्रकाश सक्सेना को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर बोझी अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग के चौड़ीकरण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाले ठेकेदारों व अभियन्ताओं को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
नगर पालिका परिषद, एटा के अध्यक्ष द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
जनपद कुशीनगर में सेवरही चीनी मिल में फर्जी खाता खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	131
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के करंजा कलां क्षेत्र में जमुआही से भदेठी गांव के अन्तिम छोर तक की मुख्य सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
बांदा में केन नदी की कटान से ग्रामों को बचाने के लिए पत्थर पिचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
बहराइच की क्षेत्र पंचायत महसी में सिकन्दरपुर के ग्राम प्रधान श्री मायाराम त्रिपाठी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	133
आगरा के आर0टी0ओ0 कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जिलाधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आर0टी0ओ0 आगरा को तत्काल हटा कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच तथा भौतिक सत्यापन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
सोनभद्र चन्दौली सड़क का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में आई0टी0आई0 का भावन निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
उप निबन्धक कार्यालय, सुल्तानपुर के लिपिक श्री राम सागर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	135-136
लखीमपुर खीरी में गोला गोकरननाथ कोतवाली अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं को मामूली धाराओं में चालान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद सीतापुर के थाना पिसावां के प्रभारी के कृत्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
जनपद झांसी में गरौठा तहसील में पानी का गम्भीर संकट दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	137-138
उन्नाव के भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के विक्रमपुर ऊंचगांव मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखीमपुर खीरी के कतिपय मार्गों के निर्माण कार्य की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा-18 देहात क्षेत्र के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा, पीपलसाना मार्ग को राजस्व विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बाजार के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर शीघ्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद सीतापुर के विद्युत सब स्टेशन बभनावा के कतिपय ग्रामों के ट्रान्सफारमर बदले जाने तथा तारों को लगाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140
जनपद सोनभद्र स्थित डाला सीमेण्ट फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान न होने एवं वन विभाग की सम्पत्ति को मैं0 जे0पी0 एसोसियेट्स को अनाधिकृत रूप से दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	140-141
जनपद बलरामपुर स्थित गनेशपुर मार्ग पर सुवांव नाले पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य... ...	141-142
जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मोहम्मदी नगर पालिका में देव स्थान के जीर्ण शीर्ण जलाशय की मरम्मत एवं सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	142-143
वर्ष 2004 की पी0सी0एस0 परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	143-144
फतेहपुर में बिना विधायक को संस्तुति के क्षेत्रीय विकास निधि से रुपये पैंतिस लाख फर्जी तरीके से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	145
जनपद बागपत के ग्राम जागस स्थित स्व0 श्री मनोज कश्यप के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	145-146

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	146-147
जनपद चन्दौली के चकिया नौगढ़ मार्ग पर किनारे की लगी झाड़ियों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य ...	147-148
जनपद बलिया के ग्राम अखोप से गुण्डौल ग्राम तक की सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री लालजी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	148
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर स्थित सैजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	148-149
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के ग्राम चौखटिया तप्पा खानपुर में बिना चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण किये ही फार्म-45 बांटने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	149-151
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की भांति पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	151-152
वाराणसी नगर निगम की षष्टम शाखा के अवर अभियन्ता के घर से सात ट्रक हैण्डपम्प से सम्बन्धित सामान बरामद होने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	152-153
गोण्डा की तहसील मनकापुर में नवम्बर, 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप योजनाओं का कार्य आरम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	153

विषय				पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाने पर किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक दिनांक 29 फरवरी, 2008 के कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा	...			153
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	153-169
राष्ट्रीय गान	...	...	...	165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-361

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर

जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव उर्फ डी0पी0 याादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बांदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली

भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूं
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप उर्फ	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा

राजेद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कुमार तिवारी, पंडित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल,श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीर नगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर

शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
रिक्त	मनोनीत
रिक्त	हरदोई

नोट–लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), एवं भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने के लिए और तनावपूर्ण बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करके अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान के नाम पर एक ऐसी सी0डी0 बनायी गयी है और पूरे प्रदेश में प्रसारित की जा रही है। जातियों को गाली देने का काम बहुजन समाज पार्टी अपने बैनर से करती रही है 'तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार।' यह बहुजन समाज पार्टी तो करती थी लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह नहीं कहा था कि इनको मारो जूते चार और बहुजन समाज पार्टी के सांसद का नाम आया है और इनके सांसद के द्वारा सी0डी0 तैयार करवायी गयी है। मान्यवर, मैंने नियम-111 में नोटिस भी दी है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हो चुका था कि आज नियम-311 की नोटिस नहीं ली जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जातियों के नाम पर हिन्दू समाज के आदर्श हैं राम, हिन्दू समाज की मर्यादा है सीता, इस सी0डी0 में भगवान राम और देवी सीता के चरित्र पर लांछन लगाने का काम किया गया है और यह सरकार की जानकारी में है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य चौधरी साहब ने जो नारा का जिक्र किया, बहुजन समाज पार्टी का कभी भी यह नारा नहीं रहा है। .....

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया)

श्री लालजी वर्मा-

बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों को साथ ले करके चलना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे का काम कर रही है और यही इन लोगों को तकलीफ है। जब बहन कु0 मायावती जी ने अपना संकल्प दोहराया है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का, हम भाईचारा बनाकर सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं तो यही समाजवादी पार्टी को तकलीफ है और इसी तकलीफ के चलते यह तमाम ऐसे मुद्दे उठाकर लोगों के बीच में जो भाईचारा बन रहा है उसको खण्डित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी और अन्य तमाम पार्टियां करने का काम कर रही हैं। मान्यवर, हमारा यह नारा कभी नहीं रहा, हमने हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

चलने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कु0 मायावती जी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर सूबों में भाईचारा बनाओ रैली करके समाज के हर वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है। मान्यवर, यह इनको तकलीफ हो रहा है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए समाज को तोड़ने के लिये यह तमाम इस तरह के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है।

* श्री राम विशुन आजाद (सदन के वेल से)-

यह सरकार जातीय दंगा कराना चाहती है, समाज को बांटने का काम करना चाहती है, देश के बांटने की साजिश कर रही है। इनके सांसद के द्वारा सी0डी0 तैयार करवायी गयी है। पूरे पूर्वांचल में यह सी0डी0 गांव-गांव में दिखायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, माननीय सदस्यों को बैठाइये, कुछ तरीका निकाला जायेगा। पहले बिठा लीजिए फिर बात करते हैं।

(वेल में आये अनेक सदस्य नारे लगाते रहे)

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस प्रकार से इस सरकार की साजिश है, इस दल की साजिश है सत्तापक्ष के षडयंत्र से यह सी0डी0 तैयार की गयी है उसका प्रचार-प्रसार किया गया, जिस तरीके की घटना बर्स्ती में होती है क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि सरकार की जानकारी में नहीं है। उस सी0डी0 के माध्यम से समाज को तोड़ने का कुचक्र किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हम बहुजन समाज पार्टी का असली चेहरा समाज के सामने रखना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा और सरकार हर मोर्चे पर असफल है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई मुद्दा नहीं रहा, अगर मुद्दा होता तो बात करते, इनका चेहरा समाज के सामने आ जायेगा इसलिए समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। हम एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी भाईचारा बनाने का प्रयास कर रही हैं उसको विखण्डित करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, निश्चित रूप से उस सी0डी0 से बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है और हमने उस पर प्रतिबन्ध लगाने निर्णय लेने का काम किया है।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे)

मान्यवर, इसकी जांच कराई जा रही है जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री ने अपना पक्ष रखा है उन्होंने कहा है कि यह उनका नारा नहीं है न ही यह उनके दल की सी0डी0 है। उन्होंने कहा कि इस सी0डी0 से उनकी पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है।

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं। इस पर प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि यह हमारे दल का नारा नहीं है। हमारी पार्टी का संकल्प है बहन कुमारी मायावती की सरकार का संकल्प है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। इसी के तहत उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष में भाईचारा बढ़ाओ रैली का आयोजन करके समाज में भाई चारा बढ़ाने का कार्य हमारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस सी0डी0 से हमारा कोई वास्ता नहीं है।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा करा लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक सोची समझी साजिश के तहत नफरत फैलाने और साम्प्रदायिकता का संदेश दिया जा रहा है यह जानबूझकर किया जा रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस सी0डी0 प्रकरण पर सभी दलों के नेताओं के विचार आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर यह मांग की है कि इस पर सुना जाय मैंने पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल के बाद इस विषय को सुन लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी इस मुद्दे पर स्वयं उत्तेजना फैला रहे हैं। प्रदेश में भी उत्तेजना और सदन में भी उत्तेजना फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं, उत्तेजना नहीं है।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह सुझाव है या उसी समय कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसी समय कह लीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्रियाशील हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की योजना

**1-श्री उदय राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए क्या सरकार द्वारा खराब इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्पों को रिबोर कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या इस हेतु समाचार-पत्रों/दूरदर्शन के माध्यम से सूचना देकर शिकायतें आमंत्रित करने एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की कोई योजना बनाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों एवं उसमें से अक्रियाशील हैण्डपम्पों के सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है। सर्वेक्षण के उपरान्त पाए गये स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की योजना तैयार की जायेगी।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र के हैण्डपम्पों की स्थिति का वास्तविक आंकलन हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है जिससे अक्रियाशील समस्त हैण्डपम्पों का चिन्हींकरण हो जायेगा।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि पूरा सदन अवगत है कि पूरे प्रदेश के अन्दर पेयजल का गांवों में गम्भीर संकट उत्पन्न है और लगभग 40 प्रतिशत हैण्डपम्प जो आज से 4 साल, 6 साल या 10 साल पहले लगाये गये थे वह सारे के सारे रि-बोर कराये जाने की स्थिति में है। वहां पर पानी नहीं निकल पा रहा है। मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा था और जो उत्तर माननीय मंत्री जी का आया है उसे देख सकते हैं। मैंने पूछा था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए क्या सरकार द्वारा खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया जी हां। इससे स्पष्ट है कि कोई ऐसी कार्य योजना माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने तैयार कर ली है। दूसरे पार्ट में आइये, प्रश्न था कि यदि हां, तो वह योजना क्या है ? माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों एवं उसमें से अक्रियाशील हैण्डपम्पों के सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है। सर्वेक्षण के उपरान्त पाए गए स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की योजना तैयार की जाएगी। मान्यवर, एक तरफ माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जी हां, कार्य योजना तैयार कर ली गई है और दूसरे पैरा का उत्तर दे रहे हैं कि सर्वेक्षण के उपरान्त पाये गये स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की योजना

तैयार की जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इससे स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत है। एक तरफ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री उदयराज-

मैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई कार्य योजना तैयार की गई है तो वह क्या है ? दूसरा मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि मार्च, 2007 तक कितने हैण्ड पम्प चूंकि हर वर्ष प्रदेश में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाते हैं, बड़ा विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग इसको कराता है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये। प्रक्रिया मत बताइये।

श्री उदयराज-

प्रदेश के कितने हैण्डपम्प ऐसे हैं जो रिबोर कराने योग्य हैं ? उनकी संख्या क्या है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी जो चिन्ता है वह स्वाभाविक है और सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। हम जब इस विभाग में आए तभी इस पर चिन्ता की गई थी। 2007-08 के बजट में इस वर्ष हैण्डपम्प री-बोर करने के लिए 60 हजार 145 का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विपरीत 70 हजार 483 हैण्डपम्प इस वर्ष री-बोर किये जा चुके हैं।

(शोर)

माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए शासनादेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को ही, हैण्डपम्प जो खराब है, उसकी टीक-टीक गणना क्योंकि जल निगम हैण्डपम्प को स्थापित करता है कुछ हैण्डपम्प को यू0पी0 एग्रो लगाता है। उनके पास ग्रामीण स्तर पर कोई कर्मचारी भी नहीं है जो सही-सही तरीके से मैं समझता हूं कि समूचा सदन इस पर सहमत होगा कि जल निगम के लोग कितने हैण्डपम्प खराब है उसकी सही सूचना नहीं दे पाते हैं।

इसलिए हमने ग्राम्य विकास अधिकारी और ग्राम्य पंचायत अधिकारी, क्योंकि प्रत्येक गांव में ग्राम्य विकास अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक गांव में ग्राम्य पंचायत अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक गांव में ग्राम्य विकास अधिकारी भी उपलब्ध नहीं है पर दोनों मिलाकर वह प्रत्येक गांव में हो जाते हैं। यह दोनों सर्वे करेंगे। 5 दिसम्बर, 2007 को शासनादेश जारी करके खराब हैण्डपम्प के बारे में सही-सही गणना के निर्देश दिये गये हैं। उसकी रिपोर्ट 20 मार्च, 2008 अन्तिम तारीख निर्धारित कर दी है और उसके आते ही युद्ध स्तर पर जितने हैण्डपम्प खराब हैं उनको री-बोर करने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि री-बोर हैण्डपम्प जो होता है उसका बचा हुआ जो मैटीरियल होता है दो साल में बिक्री कराकर किस हेड में जमा किया गया उसकी राशि क्या है। क्योंकि मेरे संज्ञान में यह आया है कि प्रतिवर्ष जो री-बोर का मैटीरियल बचता है वह एक हजार से दो हजार तक को होता है जिसको विभाग के नीचे के अधिकारी रफा-दफा कर लेते हैं तो इस मैटीरियल का पैसा कहां जमा किया जाता है इसका दो वर्ष का बता दें।

श्री दद्दू प्रसाद-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मा0 सदस्य की चिन्ता वाजिब है। जल निगम इसका निस्तारण करता है इसकी प्रक्रिया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या है। माननीय मंत्री जी ने कहा 70, 175, डेढ़ अरब के करीब धनराशि हो जायेगी जो अब तक सरकार खर्च कर चुकी है। लेकिन इस बात पर मैं सीधा सा सुझाव देना चाहता हूं क्या मंत्री जी इस पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि 19 हजार 500 के लगभग एक हैण्डपम्प री-बोर होने की लागत आती है और नया हैण्डपम्प लगाने के लिए 26 हजार के लगभग लागत आती है। री-बोर कराने की आवश्यकता तब पड़ती है जब पानी का लेविल नीचे चला जाता है जो लगातार पूरे प्रदेश में घट रहा है हम जो हैण्डपम्प लगाने का काम करते हैं उसमें चार इंच बोरिंग के साथ पाइप डालने का काम करते हैं और चालीस फुट की लैन्थ दो इंची के साथ, फिल्टर के साथ डालने का काम करते हैं नीचे जब पानी नीचे चला जाता है तो जो हमारा फिल्टर है क्योंकि हमने नीचे दो इंची का पाइप डाला हुआ है वह हमारा फिल्टर नीचे नहीं जाता है अगर आप पूरी लैन्थ जो आप चालीस फुट दो इंची डालने का काम कर रहे हैं उसको भी अगर आप चार इंची डालने का काम कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखित में सुझाव दे दें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

तो आपको री-बोर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितना वाटर लेविल नीचे जाएगा उतना फिल्टर नीचे चला जाएगा तो मंत्री जी यह बता दें कि इस वर्ष कितनी धनराशि री-बोर पर खर्चा करने का काम किया और दूसरा मेरा सुझाव है कि क्या मंत्री जी इस पर आप विचार करेंगे कि पूरी पाइप 4 इंच की लगाने का काम किया जायेगा जिससे रि-बोर करने की आवश्यकता न पड़े। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको हम तकनीकी आधार पर परीक्षण करा लेंगे। मा0 सदस्य का सुझाव उचित प्रतीत होता है। इस बारे में अधिकारियों से विचार-विमर्श करके तय कर लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

समस्या तो बड़ी विकट है और यह विकट से विकटतम् होती जायेगी। समस्या का समाधान निकट भविष्य में होना नहीं है। हैण्डपम्प के माध्यम से कुछ समाधान करने का प्रयास किया गया है। यह सतत् प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि यह किसी विशेष समय में ही खराब होंगे। क्या मा0 मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे, जल निगम उनको स्थापित जरूर करता है, जैसा आपने कहा कि इतने ज्यादा संसाधन उनके पास नहीं हैं या केवल ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से रि-बोर हो जायें, यह भी सम्भव नहीं है। जो क्षेत्र पंचायत है, उसके लेविल पर कोई व्यवस्था आप परमानेन्ट ऐसी कर दें कि जो हैण्डपम्प खराब होते जायें, उनको समयबद्ध रूप से ठीक किया जाता रहे। कोई ऐसी व्यवस्था आप करने पर विचार करेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मा0 सदस्य का जो सुझाव है उस पर सरकार पहले से ही चिन्तित है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में इस तरह की व्यवस्था, एक रजिस्टर खोल करके जो खराब हैण्डपम्प हैं, उनकी सूचना सतत् रूप से अंकित हो और उसको फिर रि-बोर करने के लिए ले लिया जाए।

श्री अरविन्द गिरि-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि लगभग 70 हजार पूरे प्रदेश में हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये और यह भी मंत्री जी के संज्ञान में है कि शहरी क्षेत्रों में तो जब हैण्डपम्पों को लगाया ही नहीं जा रहा है लेबिल जो पहले लगाये गये हैं वह बड़ी संख्या में खराब हो गये हैं, तो क्या शहरी क्षेत्रों में ऐसे खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की कोई योजना सरकार की है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों के बारे में मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। मा0 सदस्य अलग से प्रश्न लगायेंगे तो सरकार उस पर बयान देगी।

श्री अध्यक्ष-

शहरी क्षेत्रों के लिए इनके पास कोई सूचना नहीं है। हलीम साहब आप बैठ जायें। यादव जी आप बैठ जायें।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जल स्तर बहुत नीचे गिर रहा है और जो विधायक निधि के हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं, हमारे पास 10 हैण्डपम्पों की सूचना है जिन्होंने अभी से पानी देना बन्द कर दिया है। यह स्थिति अभी है, गर्मी के महीने में जल स्तर और नीचे चला जाना है। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उनकी दोबारा बोरिंग करने में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या मंत्री जी उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि वह अधिकारी और ठेकेदार ही अपने पैसे से रि-बोर करायेंगे और सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कह रहे हैं कि जब हैण्डपम्प स्थापित होता है, तभी उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, क्या रि-बोर कराने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी जायेगी ?

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, क्योंकि अधिकारी पाइप चुरा रहे हैं। अभी 10 हैण्डपम्पों ने पानी देना बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रि-बोर की योजना है, उसके आधार पर करेंगे।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, जो नये हैण्डपम्प लगेंगे उसकी समय सीमा क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष-

किस चीज की सीमा आप कोई स्पष्ट प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। चोरी की जा रही है, उसकी शिकायत लिखकर दीजिए। बहुत सीधा सवाल था कि क्या योजना है तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह योजना है। पूछा गया कि क्या रि-बोर करायेंगे तो मंत्री जी ने कहा कि 20 मार्च तक सर्वे कराकर जो सूचना आयेगी उसके आधार पर रि-बोर करायेंगे। एक स्पष्ट उत्तर आ गया। जब माननीय मंत्री जी ने बता दिया है तो अब इसमें क्या अनुपूरक पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत बता दिया।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। मैंने श्री सुरेश्वर सिंह जी को बुला लिया है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि जनपद बहराइच में बलहा बहरोली 95 कि0मी0 लम्बा बांध है, 238 राजस्व ग्राम बाढ़ में प्रभावित हुये हैं। बाढ़ में जल भराव के कारण 70 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प खराब हो गये हैं, पानी भर जाने के कारण बालू भर जाने के कारण तो माननीय मंत्री जी इन्हें कब तक रि-बोर करा देंगे। यह दैवी आपदा से सम्बन्धित है। मान्यवर, इसमें 3 तहसीलें प्रभावित हैं, 4 विधान सभा क्षेत्र प्रभावित हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-1

(श्री इरफान सोलंकी जी ने टूटी हुयी कुर्सी दिखायी।)

(श्री उदयराज यादव जी के बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपका बहुत स्पष्ट उत्तर आ गया था।

श्री उदयराज-

मान्यवर, बहुत जरूरी रह गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया और वह प्रश्न उत्तरित भी हो गया है।

तारांकित प्रश्न (नत्थी ख)

प्रदेश में कतिपय जिला चिकित्सालयों को हायर डायनोस्टिक सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने की योजना

*1-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कतिपय जिला चिकित्सालयों को हायर डायग्नोस्टिक सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में तथा उसके अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

जनपद ललितपुर, गाजियाबाद तथा 16 अन्य मण्डलीय जनपदों पर विशिष्ट चिकित्सा उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुल 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं जो पर्याप्त है। अतः इसके दृष्टिगत अन्य कोई योजना विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो सीट आप दिखा रहे हैं वह सुरक्षित रखे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मैं अभी इसे दिखवा रहा हूं। उदय राज जी आप बैठ जायें मैंने अगला प्रश्न ले लिया है और वह उत्तरित भी हो चुका है।

(श्री उदयराज यादव द्वारा पुनः बोलने पर)

यह नियमों के खिलाफ है, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आप बैठ जायें। श्री सत्येन्द्र सोलंकी जी आप अपना प्रश्न पूछें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंन सवाल किया था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कतिपय जिला चिकित्सालयों को हायर डायग्नोस्टिक सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है तो मंत्री जी का उत्तर आया है कि जनपद ललितपुर, गाजियाबाद तथा 16 अन्य मण्डलीय जनपदों पर विशिष्ट चिकित्सा उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुल 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं यह एक बहुत ही गम्भीर सवाल है, आज प्रदेश के अन्दर तमाम चिकित्सालयों में जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं रोड के ऊपर जितनी गम्भीर बीमारी हैं चाहे वह हार्ट की हो या अन्य किसी की सरकारी चिकित्सालयों में उपचार नहीं मिलता है क्यों वहां पर सुविधाएं नहीं हैं। आपने 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्र बतायें हैं जिनकी सहायता से 16 जगह सुविधाएं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न कीजिए।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि उत्तर उलझ गया है और इसमें गड़बड़ी हो गयी है तो 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्र कौन-कौन जिलों में हैं जिनके द्वारा 16 मण्डलीय जनपदों पर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। लखनऊ और गाजियाबाद को छोड़कर अन्य चिकित्सालयों में सुविधाएं नहीं हैं। तो जो 18 क्षेत्रीय निदान केन्द्र हैं यह कौन-कौन जिलों में हैं और क्या-क्या फैसिलिटी है गम्भीर बीमारी के लिये ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि जो 16 जिले इन्होंने बताये हैं कि वहां पर नहीं हैं तो मैं इन चिकित्सालयों के नाम बता रहा हूं। लखनऊ में बलरामपुर चिकित्सालय में, वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में, मेरठ में जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर में यू0यच0एम0 चिकित्सालय, इलाहाबाद में टी0पी0 सप्रू चिकित्सालय, आगरा और गोरखपुर में जिला पुरुष चिकित्सालय में, फैजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, देवी पाटन, आजमगढ़, सहारनपुर, बस्ती, बांदा, झांसी, मिर्जापुर में जिला पुरुष चिकित्सालयों में है। मान्यवर, जब यह योजना हमने लागू की थी और इन जगहों पर बनाया गया था तो अधियाचन में हम लोगों ने क्योंकि कोई भी योजना हम लोग बनाते हैं उसमें हमको लोगों की आवश्यकता होती और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधियाचन में 961 लोगों के लिये भेजा था, लोक सेवा आयोग ने उसमें से सिर्फ 268 लोगों की अनुमति दी। हमने उनका सेलेक्शन किया उसमें कुल 197 लोगों ने ज्वाइन किया। अब हमारे पास जो काम 900 लोग करेंगे उसके सापेक्ष, अब यह सुपर स्पेशिलिटी होती है जो इन मशीनों को हैंडिल करते हैं। तो जब हमारे पास जो स्टाफ है वह 20 परसेण्ट है। मशीनों की कोई कमी नहीं रखी गई है, मशीनें सब जगह उपलब्ध हैं। हमने अपने जो वहां के इन चिकित्सालयों के जो सी0एम0एस0 हैं, उनको निर्देश दिया क्योंकि कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि हमारे भी हाथ बंध जाते हैं, हम कैसे बाहर के लोगों को रिक्रूट कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी यथा सम्भव हमारे पास साधन हैं, मैंने पावर जितनी भी हमारे पास में है, उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक्सरे, ब्लड इक्जामिनेशन, थायराईड जो कभी नहीं था, उसके लिये भी हमने व्यवस्था की है और सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रा साउण्ड और आप को माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी यह आर0डी0एस सेण्टर हैं, इनको पूर्णतः हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सी0एम0एस0 को यह निर्देश दि गये हैं और इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये जो सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में अभी तक पूर्व में सुपर स्पेशिलिस्ट लोग पी0एच0सी0 में पोस्टिंग करा लेते थे और जाते नहीं थे। हमने यह इन्श्योर किया है कि वह रेडियोलाजिस्ट अगर है और पी0एच0सी0 में पोस्ट है तो उसको जिला चिकित्सालय में पोस्ट किया जाये ताकि यह मशीनें चल सकें। हमारा प्रयास है और इसमें हम कामयाब भी होंगे।

श्री इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कानपुर से हैं मैं उनको एक बता बताना चाहूंगा अभी उन्होंने कानपुर का जिक्र भी किया है तो कानपुर में एक हैलट हास्पिटल है शायद इनके संज्ञान में होगा वहां पर पिछले एक साल से.....

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय सदस्य एक मिनट, मान्यवर, यह मेरा विषय ही नहीं है, यह विषय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आता है।

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मेरा सवाल हो जाने दें। पिछले एक साल से वहां पर डायलिसिस मशीन खराब पड़ी है, उसके बाद इन्होंने अल्ट्रा साउण्ड और एक्सरे मशीन का जिक्र भी आपके सामने और सदन के सामने किया है। तो कानपुर में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर यह मशीनें लगी हैं और कौन सी ऐसे जगह है जहां पर यह मशीनें चल रही हैं ? यह मेरे भी संज्ञान में और इस सदन के संज्ञान में लाया जाये। अभी हैलट में जो डायलिसिस मशीन खराब है, अगर वह बनवायेंगे तो कब तक बनवायेंगे, नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी। अगर आप इसका उत्तर दिला दें तो मेहरबानी होगी।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, हम भी पहली बार हैं, यह भी पहली बार है, इन्हें विरासत से मिला है, हमें मेहनत से मिला है।

मान्यवर, यह हमारे छोटे भाई हैं, इनको हम बता दें, यू0एच0एम0 में यह मशीन लगी है, उर्सला में।

श्री इरफान सोलंकी-

कौन सी मशीन लगी है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिस मशीन का आप जिक्र कर रहे हैं, अल्ट्रा साउण्ड मशीन का आपने जिक्र किया, अल्ट्रा साउण्ड मशीन लगी है।

श्री इरफान सोलंकी-

मैं डायलिसिस मशीन का जिक्र कर रहा हूं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

डायलिसिस की नहीं है। डायलिसिस के लिये डाक्टर्स की जरूरत होती है, सुपर स्पेशलाइजेशन की। वह हमारे पास है ही नहीं। कुल 16 सुपर स्पेशिलिस्ट हैं। हम किसी ऐसे अनभिज्ञ डाक्टर को कोई ऐसी सर्जरी करने के लिये नहीं दे सकते हैं जो उसका पात्र न हो। मानव जीवन से खेलने का हमें अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी चीज जो हैलट है वह मेडिकल कालेज से रिलेटेड है और हैलट चिकित्सा शिक्षा में आता है जो विभाग मेरे अधीन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चलिये उत्तर आ गया, अब आपने स्पेसिफिक एक अस्पताल की मशीन के बारे में पूछा, उन्होंने बता दिया कि हमारे पास डायलिसिस की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये अब कुछ नहीं। हां माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, जब इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं तो यह जवाब आता है कि लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेज दिया गया है। हम भी कभी वहां पर रहे हैं तो इसी तरह का जवाब कह देते थे तो अगर लोक सेवा आयोग आपके अधियाचन पर तुरन्त विचार करके कार्यवाही नहीं कर रहा है तो क्या विभाग के अधीन कोई स्वास्थ्य सेवा चयन आयोग बनाने पर विचार करेंगे ? दूसरे आपके यहां चिकित्सकों के न मिलने का एक कारण वेतन विसंगतियां हैं। वे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिक पैसा कमा लेते हैं तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे कि उनके वेतनमान आदि बढ़ सकें ताकि वह आपके चिकित्सा संवर्ग में शामिल हो सकें और आपके हास्पिटल में ज्वाइन कर सकें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह इस विषय से तो सम्बन्धित है नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, आप ही बता दें कि यह प्रश्न इस विषय से सम्बन्धित है या नहीं। आपने ही कहा कि अधियाचन लोक सेवा आयोग में भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी यह जानना चाह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में जो आपके अधियाचन गये हैं उनके अनुसार वह पद नहीं भर रहे हैं तो क्या कोई अपने यहां निदेशालय या कोई अन्य व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ताकि उसके माध्यम से डाक्टरों का रिक्रूटमेंट करके जगहों को भरा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं-कहीं पर डाक्टर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो क्या डाक्टरों के वेतनमान आदि में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने पर विचार करेंगे यह वह जानना चाहते हैं। यह कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसका उत्तर दें ही।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया था और हमने संविदा पर डाक्टरों को रिक्रूट करने की बात की थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से उस पर स्टे आ गया। जो हमारी योजना थी वह रुक गयी। मान्यवर, हम लोग इस चीज को कैसे करें, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को कैसे वेल इक्विप्ड करें इस सम्बन्ध में निरन्तर बैठकें कर रहे हैं और योजनायें बना रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में माना है कि 20 प्रतिशत डाक्टर ज्वाईन नहीं करते हैं। आपने कहा कि हाईकोर्ट से स्टे आ गया अब आपने कैसे पैरवी की यह तो हमें नहीं मालूम। इसमें

एक पहलू यह है कि हाईकोर्ट का स्टे आ गया आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकें। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यह डाक्टर ज्वाइन नहीं करते हैं ? इनकी सेलरी कम है यह बताया गया है। इनके रहने के अच्छे इंतजाम नहीं है। कोई हादसा इनके साथ हो जाये तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इन सब कारणों से सरकारी डाक्टरों में कोई कशिश नहीं है। यह कशिश उनमें पैदा करने की बात है। अगर उनके वेतनमान आदि अच्छे हों तो उस तरह से भी आपकी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, जो डाक्टरों के वेतनमान आदि की बात कही गयी है तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या नर्सिंग होम चलाते हैं वह लाखों करोड़ों रु0 का धन अर्जित करते हैं। अब मान्यवर, इतनी तो कोई भी सरकारी व्यवस्थ नहीं दे सकती है। रही बात उनके रहने की व्यवस्था की तो आज भी बहुत से डाक्टर ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों के प्रीमसेस में नहीं रह रहे हैं। मान्यवर, हम जो भी नयी सी0एच0सी0 बनवाते हैं उसमें उनके रहने की व्यवस्था भी बनवाते हैं और अगर वह वहां रहने नही जाते हैं तो उन पर कार्यवाही करते हैं। जब मान्यवर, एक डाक्टर या कुछ डाक्टर वहां पर रह सकते हैं तो बाकी डाक्टर क्यों नहीं रह रहे हैं। उनके ऊपर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, मेरा सीधा सा प्रश्न डायग्नोस्टिक सेन्टर से सम्बन्धित था। अब ये चिकित्सा से सम्बन्धित सारी चीजें इसमें आ गयी। प्रश्न बिल्कुल सीधा एक ही विषय से है कि प्रदेश के अन्दर किसी जगह पर डायग्नोस्टिक सेन्टर की व्यवस्था है ? अब सवाल इससे सम्बन्धित नहीं आ रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताने का काम किया कि 16 मण्डलीय जनपदों में तो खाली आप यह बताने का काम कर दें कि किस-किस जनपद में आप एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और पैथोलाजी लैब कितने अस्पतालों में आज की तारीख में कार्यरत हैं, उन अस्पतालों का खाली नाम बता दें जहां यह दो सुविधाएं आपकी हैं। 16 जगह पर आपने कहा आप मुझे दोनों चीजें बताने का काम कर दें कि किस-किस हास्पिटल में आपकी एम0आर0आई0 और पैथोलोजी लैब कार्य कर रही हैं। उन हास्पिटल का नाम बताने का कार्य कर दें खाली कितने जनपद में।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, एम0आर0आई0 की जो बात इन्होंने कही है वह सीनियर रेडियोलोजिस्ट उसको करते हैं वह इलाहाबाद में है सिर्फ और कहीं नहीं है क्योंकि उसको चलाने के लिए उस लेबिल के डाक्टर्स हमारे पास नहीं है। एम0आर0आई0 की मशीन लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं और जो पैथोलोजी की लैब की बात कही है यह सारी जगह पर पैथोलोजी लैब चल रही है, संचालित हो रही है, उससे लोगों को सेवा मिल रही है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, पैथालोजी का नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया तो है कि पैथालाजी लैब हर जगह चल रही है, एम0आर0आई0 का भी उन्होंने बता दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 16 जिले चयनित हुए हैं इसके लिए तो उसका आधार क्या है नम्बर दो इसमें जो पिछड़े जिले हैं वह उपेक्षित हुए हैं महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर आदि जो पिछड़े जनपद हैं वह उपेक्षित हुए हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा नम्बर एक चयन के आधार क्या है, नम्बर दो क्या वह कृपा करके इन जिलों को भी इसमें इनक्लूड करेंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मण्डल मुख्यालयों पर यह व्यवस्था की गयी है। 17 मण्डल हैं और 18 जगहों पर यह है और जो बाकी यह व्यवस्थायें हैं इसके अलावा भी जैसे एक्स-रे हैं, पैथालाजी है यह सत्तरों जनपद में चल रही हैं। यह तो एक रीजन का स्पेशलाइजेशन के लिए था योजना, वह सिर्फ मण्डल मुख्यालय पर की है उन्होंने बाकी जो है व्यवस्था वह हर जिला चिकित्सालय में है।

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[14वें सोमवार के ता0 प्र0 सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गुटखा व पान मसाला आदि की बिक्री एवं निर्माण पर स्थाई प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*3-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुटखा एवं पान मसाला से होने वाली घातक बीमारियों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार गुटखा व पान मसाला आदि की बिक्री एवं निर्माण पर स्थाई प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-23 [(1-A)] (f) के अन्तर्गत गुटखा, पान मसाला तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत अहम प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार से संचालित है, अब इस एक्ट की बात कही है तो अब इसके लिए कोई कहने की बात नहीं है लेकिन मैं तीन बात जानना चाहता हूं। एक तो यह मानव के स्वास्थ्य के लिए

हानिकारक है या नहीं है, यह सरकार और सदन मान रही है या नहीं नम्बर एक, नम्बर दो इसके लिए जो कारखाने खोलने का काम गुटखे के लिए या पान मसाला के लिए क्या प्रदेश सरकार से किसी एन0ओ0सी0 की कोई जरूरत पड़ती है पर्यावरण के लाइसेन्स की जरूरत पड़ती है या इस तरह से किन्हीं और चीजों के लिए जमीन के औद्योगिक क्षेत्र को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं ? अगर पड़ती है तो क्या इस तरह के उद्योगों से जो हानिकारक हैं, प्रदेश सरकार एन0ओ0सी0 और पर्यावरण के लाइसेन्स देने के लिये अपनी तरफ से रोक का प्राविधान करेगी ? तीसरा प्रश्न मान्यवर, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में मुख कैंसर के रोगियों के लिये परीक्षण और निदान का केवल एक सेन्टर पूरे प्रदेश में है और वह लम्बे समय से बन्द चल रहा है। यदि मैं है कि जगह था कहूं तो गलत नहीं होगा। क्या सरकार इसे खोलने का काम करेगी। मैनपुरी में तम्बाकू से आगरा मण्डल में तम्बाकू से मुख कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज हैं, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं तो क्या सरकार इसको रोकने के लिये कोई ऐसा प्रचार-प्रचार का काम करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके निर्माण और बिक्री पर भारत सरकार ही प्रतिबन्ध लगा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछली बार जब बहन कु0 मायावती जी की सरकार बनी थी, तो 19-7-2002 को पान मसाले पर प्रतिबन्ध लगाया था उसके बाद यह जो बैन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर 28-10-2002 को क्वैश कर दिया कि प्रदेश की सरकार को इस पर बैन लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है तो इसमें तो मुख्यतः बात यह है कि जो खाने की ऐसी चीजें होती हैं जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं वह चुपचाप कुछ पान मसाले वाले मिलाते हैं। उसमें गैम्बियर, ऐश और कलर जो कत्थे की जगह वह इस्तेमाल कर लेते हैं जो शरीर को नुकसान पहंचाते हैं, हम लोग समय-समय पर इसकी जांच करते हैं और अगर यह चीजें मिलती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होती है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, एन0ओ0सी0 और पर्यावरण के लाइसेन्स देने पर सरकार क्या कोई रोक करेगी ? प्रदेश सरकार की तरफ से इन लोगों पर रोक लगाने का कोई काम नहीं होता। यह जहां चाहें, केन्द्र सरकार से लेटर ले आये और कहीं भी अपना उद्योग स्थापित कर लें। प्रदेश का इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। साथ ही आगरा में जो एस0एन0 मेडिकल कालेज में मुख कैंसर का रोग निदान एवं परीक्षण केन्द्र है जो काफी समय से बन्द चल रहा है, क्या उसे पुनः चालू कराने के लिये भी कोई कार्य योजना है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना और जानना भी चाहता हूं कि स्कूल, कालेजेज, अस्पताल के कुछ एक सीमा बांध दी गयी है कि उस सीमा के अंदर यह गुटके वगैरह की दुकानें

नहीं खुलेंगी और न इसे बेचा जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है यदि है तो क्या यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे कि उन प्रतिबंधित जगहों पर यह गुटखा वगैरह की बिक्री न की जाय।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, ऐसा तो कोई निर्देश है नहीं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, इसके पहले सत्र में मेरा ही एक सवाल था और उस सवाल के उत्तर में माननीय मंत्री जी, जो उस समय थे, उन्होंने यह कहा था कि यह केन्द्रीय ऐक्ट है और उसके अंदर यह प्रतिबन्ध है कि प्रदेश सरकार इसके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती यह बात आपकी सही है लेकिन उसी में यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गयी है कि स्कूल, कालेजेज, अस्पताल के इतने मीटर के दायरे में कोई दुकान नहीं खोली जायेगी और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है। यदि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या यह जानकारी करके अगर यह व्यवस्था है यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तो क्या यह व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, निश्चित रूप से करेंगे, अगर ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से करेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में गुटखा और पान-मसाला बनाने की कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं और क्या उनको शहर से बाहर भेजने की उन्होंने कोई योजना बनायी है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, यह मेरा विषय ही नहीं है, इतने वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं।

श्री धनंजय सिंह-

मान्यवर, जो लोग गुटखा खाते हैं वह अधिकांश मुंह के कैंसर से पीड़ित होते हैं। अभी मा0 तोमर जी ने कहा कि इसके उपचार के लिए मात्र एक सेंटर आगरा में हैं। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस, जौनपुर, गोरखपुर या किसी ऐसे जिले में कोई कैंसर सेंटर बनाने पर विचार करेंगे। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सेंटर मा0 तोमर जी ने बताया है क्या वह सही तरीके से काम कर रहा है ? यदि नहीं काम कर रहा है तो उसके ठीक से संचालन के लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि कैंसर पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था कानपुर में है और गोरखपुर में एन0जी0ओ0 है जिसको हम वित्तीय सहायता देते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से, वहां इसका इलाज होता है। हम उसको जो वित्तीय सहायता देते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि पीड़ितों का उपचार हो सके।

प्रदेश में मिड-डे मील योजना को सुचारु रूप से संचालित करने की मांग

*4-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में छात्रों को वितरित किये जाने वाले मिड-डे-मील की गुणवत्ता में अक्सर कमी पायी जाती है जिससे यह योजना अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार है ? क्या उक्त योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने हेतु कुछ सुझाव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने हेतु कोई व्यवस्था लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं। राज्य सरकार मध्याह्न भोजन योजना को सुचारु रूप से चला रही है।

जी नहीं।

मध्याह्न भोजन योजना सुचारु रूप से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह बड़ा ही असंवेदनशील उत्तर है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में है कि यह जो मिड-डे-मील योजना है, इसमें बासी भोजन वितरित किये जाते हैं, कंकड़, पत्थर आदि पाये जाने की अनेकों प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में इसी मा0 सदन में प्रश्न आये हैं और उत्तर भी दिये गये हैं कि हां ऐसी शिकायतें मिली हैं। लेकिन आज जो उत्तर आया है उसको देखकर बड़ा दुःख होता है, अगर मा0 मंत्री जी ने कहा होता कि हां इस प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं और हम उसका निदान करते रहे हैं और आगे भी करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन मा0 मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल सुचारु रूप से संचालित हो रहा है तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय नहीं जहां मिड-डे-मील योजना के वितरण में अनेकों प्रकार की शिकायतें नहीं मिलती रही हैं ? क्या मा0 मंत्री जी के संज्ञान में शिकायतें कभी पहुंची हैं और यदि पहुंची हैं तो उन्होंने कितनी शिकायतों का संज्ञान लिया और वितरण व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए मा0 मंत्री जी ने क्या कोई कार्यवाही की है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मा0 चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि माह जुलाई और अगस्त में शिकायतें आयी थीं और उन शिकायतों पर सरकार ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। उस समय लगभग 24 शिकायतें आयी थीं, जिसमें 19 पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई थी और मा0 चौधरी जी जब का जिक्र कर रहे हैं कि सदन में प्रश्न उठे हैं, मैं मानता हूं कि प्रश्न उठे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई है। लेकिन अब जब आप सवाल कर रहे हैं तो अब इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और पूर्ण रूप से सरकार का इस पर नियंत्रण है और बिल्कुल सुचारु रूप से मध्याह्न भोजन का कार्य चल रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा छोटा सा अनुपूरक यह है कि अब जो विभिन्न अवसरों पर गलती पाये जाने पर उनको दुरुस्त करने के बाद जो आपने नई व्यवस्था लागू की है वह क्या है, उसमें क्या-क्या मानक हैं, यह बताने की कृपा करें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था लागू की है कि खाना बनाने के लिये जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं का एक अभिभावक संघ बनाया है और बच्चे के माता-पिता में से एक खाना बनाने वाला होगा, वह पहले खाना खायेगा, प्रधानाध्यापक भी चखेंगे तब बच्चों को खाना खिलाया जायेगा। स्कूलों में बच्चों को खाना बनाने से दूर रखने तथा जो खाद्यान्न मिलता है उसका सैम्पुल ब्लाक और जिला कार्यालय पर रखे जायेंगे और यदि कहीं कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो तुरन्त कार्यवाही हो इसके लिये टास्क फोर्स बना करके अधिकारियों के द्वारा भी समय-समय पर चेक किया जाता रहेगा।

श्री राजीव चन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुरादाबाद जनपद में ग्राम बेहलोलपुर के अन्दर मिड-डे-मील का खाना खाने से कई बच्चे बीमार हो गये थे क्योंकि जो सरसों का तेल इस्तेमाल किया गया था वह अच्छी क्वालिटी का नहीं था। मान्यवर, कौन सी कम्पनी का तेल इस्तेमाल होगा, कौन सी कम्पनी के मसाले इस्तेमाल होंगे, एगमार्क या खुला इस्तेमाल होगा, यह मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी खुले तेल इस्तेमाल होते थे उन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब डिब्बाबंद आई0एस0आई0 मार्क का ही तेल इस्तेमाल होगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि मिड-डे-मील की गुणवत्ता के कारण इनको कोई शिकायत प्राप्त हुई और कितने दिनों से शिकायत प्राप्त हुई और उसके बाद इन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 24 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता चुका हूं और मेरे पास सारी जानकारी है कहिये तो पढ़कर बता दूं। कुल 24 शिकायतें मिली थी, 19 में कार्यवाही हो गयी है, मुरादाबाद, पीलीभीत, सीतापुर आदि जनपद हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि तेल के आई0एस0आई0 मार्क की अनुमति है, खुला तेल नहीं है। मान्यवर, जो मेरी जानकारी है

खाद्य पदार्थों का मानक एगमार्क है, आई0एस0आई0 मार्क नहीं है। माननीय मंत्री जी पुनः स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि आई0एस0आई0 मार्क में तेलों की सूची नहीं है और मा0 मंत्री जी ने एगमार्क को ही आई0एस0आई0 समझने का काम किया है क्योंकि आई0एस0आई0 मार्क का बाजारों में कोई ब्रांडेड तेल है नहीं, वह कौन सा तेल है, बताने की कृपा करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय चौधरी साहब, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। मेरा कहने का आशय प्रमाणित तेल से है।

श्री हुकुम सिंह-

आई0एस0आई0 मार्क पाकिस्तान से आया है और उसकी काफी शिकायतें मिल रही हैं, चारों तरफ फैला हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह जो मिड-डे-मील की व्यवस्था है इसमें जो मंत्री जी ने व्यवस्था की है वह तो ठीक है लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। मिड-डे-मील की व्यवस्था ठीक प्रकार से गुणवत्ता के धरातल पर कैसे हो यह समस्या उत्पन्न हो गयी है। यह जो मिड-डे-मील पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में दिया जाता है तो हम बहुत सारे स्कूलों में गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

इसमें दो समस्याएं हैं यह तो वहां पर जो उपस्थित छात्र होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन बच्चों की संख्या बहुत अधिक दिखाई जाती है। यदि 200 बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं-कहीं उपस्थित छात्रों की संख्या 30-40 ही होती हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। मिड-डे-मील की जो व्यवस्था है उसमें प्रधान बनाकर खिलाते हैं क्या इससे अलग कोई ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जो ठीक प्रकार से बच्चों को भोजन मिल सके ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से कहां सम्बन्धित है। प्रश्न तो गुणवत्ता से सम्बन्धित है। उसकी व्यवस्था उन्होंने बता दी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या उन्हीं बच्चों को राशन दिया जायेगा जो उपस्थित हों ?

श्री अध्यक्ष-

कोई स्पेशल केस हो तो लिखकर दे दीजिए।

डा0 धर्मसिंह सैनी-

मान्यवर, अगर कोई शिकायत हो तो हमें बता दें। यह कल्पना है कि बच्चे कम हैं अधिक बच्चे दर्शाए जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

आप हमारे साथ चलिए हम आपको दिखा देंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो मिड-डे-मील की व्यवस्था है तमाम विद्यालयों में जाने में इसमें अनियमितता की बात है। मेरा प्रश्न यह है कि खाना बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश में गैस का सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैंने जब बजट आया था उस दिन भी सुझाव दिया था कि तमाम सारे प्रधान बैठक करके इसका बहिष्कार करने जा रहे हैं वह यह व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं उनको खाना बनाने के लिए गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे जिससे प्रधानों को सिलेण्डर लादकर ले जाने और लाइन में न लगना पड़े उनको जाते ही सिलेण्डर मिल जाय ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, विकास खण्डों में हमने सिलेण्डर की व्यवस्था कर दी है। वहां से उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रदेश में मछलियों का उत्पादन एवं मत्स्य पालकों को विशेष अनुदान उपलब्ध कराये जाने की मांग

*5-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 में कितनी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया गया ? क्या मत्स्य उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये मत्स्य पालकों को विशेष अनुदान एवं सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

वर्ष 2006-07 में कुल 306728 मी0 टन मछली का उत्पादन हुआ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया था कि वर्ष 2007 में कितनी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया गया ? मंत्री जी का उत्तर आया कि वर्ष 2006-07 में कुल 306728 मी0 टन मछली का उत्पादन हुआ। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मत्स्य का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि जी हां लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि कितना बढ़कर उत्पादन हुआ। मेरा सवाल यह है कि इससे राजस्व भी अर्जित होता है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना उत्पादन हुआ और राजस्व की कितनी आय हुई है ?

क्या आप मछुवा समुदाय के लोग जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, इनको कोई सुविधा सरकार की तरफ से प्रदान करेंगे। इनके दवा और इलाज की व्यवस्था करेंगे ? मछलियां कैसे सुरक्षित रहें इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ? उत्तर आया प्रश्न नहीं उठता है तो यह व्यवसाय चौपट हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री जमुना निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पूरे प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विगत 5 वर्षों में कुल 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष यानि 2006-07 के अन्तर्गत विभागीय जलाशयों 859 मीट्रिक टन, नदियों से 1318 मीट्रिक टन, ग्राम सभा के निजी क्षेत्र के तालाबों से 3 लाख, 4 हजार 551 मीट्रिक टन कुल 36728 मीट्रिक टन उत्पादन है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में (सत्ता पक्ष सदस्यों के द्वारा हो गया कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

हो गया, आ गया उत्पादन।

श्री जमुना निषाद-

इसके साथ-साथ दूसरे प्रश्न का उत्तर ग्राम सभा के तालाबों पर लाभार्थियों को मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत तालाब सुधार एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु सामान्य जाति के लिये कुल सीमा 18,000 रुपये तक अनुदान एवं अनुसूचित जाति के लिये 22,500 रुपये तक के अनुदान की सीमा है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, कैसा आंकड़ा आया है अब आप ही इसको सोच सकते हैं। मछुवा समुदाय के लोग वह जातियां गोड़, मल्लाह, निषाद, केवट जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था ही नहीं है मान्यवर और अगर मंत्री जी कोई जवाब देने भी लगे तो पूरी सरकार उनके बचाव में आ गई। सीनियर मंत्री भी उनका पक्ष लेने लगे तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि यह सवाल हमारा तो है लेकिन ऐसे गरीब समाज के लोगों के लिये है कि उसके लिये सरकार व्यवस्था करे और उनको अच्छे से अच्छा साधन मुहैया कराये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं ठीक सुझाव हैं।

*6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[7वें सोमवार के तारां0प्र0सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में डार्क विकास खण्ड घोषित करने की नीति एवं सिंचाई व पेयजल समस्या के निदान की कार्य योजना

*7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डार्क, ग्रे व व्हाइट (अतिदोहित, क्रिटीकल एवं सेमीक्रिटिकल) विकास खण्डों की अलग-अलग संख्या क्या है ? डार्क विकास खण्ड

घोषित करने हेतु शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार डार्क घोषित विकास खण्डों में सिंचाई व पेयजल समस्या के निदान हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू-जल आंकलन समिति, 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के क्रम में डार्क, ग्रे व व्हाइट श्रेणी के स्थान पर वर्तमान में विकास खण्डों को अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सेफ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नवीन अध्ययन के अनुसार प्रदेश में अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या क्रमशः 37, 13 एवं 88 है।

विकास खण्डों का उक्त वर्गीकरण भू-जल आकलन समिति-1997 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश स्तर पर गठित समिति द्वारा विकास खण्ड वार भू-जल आकलन की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू-जल आकलन समिति के अनुमोदनोपरान्त 03 वर्ष में एक बार किया जाता है।

अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई व पेयजल की समस्या फिलहाल संज्ञान में नहीं है किन्तु इन विकास खण्डों तथा प्रदेश के भू-जल स्तर में गिरावट वाले अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भू-जल रिचार्ज बढ़ाने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) दो सौ वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भू-खण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

[(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जी जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना मॉडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।]

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, उत्तर पढ़ा मान लेते हैं। काफी बड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर मैंने पढ़ा और इसमें दो तीन अनुपूरक हैं मेरे सीधे-सीधे। पहला यह कि इस जवाब में आया है कि नवीन अध्ययन के अनुसार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में अतिदोहित क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या क्रमशः 37, 13 व 88 है। यानि पहले जिनको डार्क, ग्रे और व्हाइट ब्लाकों की श्रेणी में रखा जाता था वह नया वर्गीकरण करके अब चार श्रेणी बना दी गई है। मेरा पहला प्रश्न है कि जनपद हाथरस में अतिदोहित एवं क्रिटिकल इन दो श्रेणियों में कौन-कौन से विकास खण्ड रखे गये हैं नवीन अध्ययन के बाद। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी यह है कि क्या शासन जैसा अभी बुन्देलखण्ड के बारे में आया था कि 5 एकड़ तक के काश्तकारों को स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की सुविधा 100 प्रतिशत अनुदान पर दी जायेगी और 5 एकड़ से ऊपर यानि 2 हेक्टेयर से ऊपर के काश्तकार को यही सुविधा 75 फीसदी अनुदान पर दी जायेगी। क्या शासन इन डार्क ब्लाक या वर्तमान में है अतिदोहित या क्रिटिकल विकास खण्ड जो घोषित है। इनमें भी इसी सुविधा को देने का काम करेगा। मेरा तीसरा जो प्रश्न है वह यह क्या लघु सिंचाई मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी से यह अनुरोध करने का काम करेंगे कि जो डार्क ब्लाक घोषित है या अतिदोहित या क्रिटिकल जो ब्लाक है इनके अन्दर नहरी पानी का कोटा बढ़ाए जाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री लखीराम नागर-

मान्यवर, क्रिटिकल 13, अतिदोहित 37 हैं।

डा0 अनिल चौधरी-

हाथरस का बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो प्रश्न को खुद ही क्रिटिकल बनाये दे रहे हैं। प्रदेश की सूचना मांगे हैं और एक ब्लाक के बारे में पूछ रहे हैं। (हंसी)

श्री लखीराम नागर-

हाथरस की सूचना अलग से आपको दे देंगे। आप हमसे मिल लीजिएगा।

डा0 अनिल चौधरी-

दो अन्य प्रश्न जो हैं उनका उत्तर दिलवा दें। क्या नहरी पानी का कोटा बढ़ाने पर शासन विचार करेगा दूसरा ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंक्लर पर अनुदान बुन्देलखण्ड की तरह देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी दो चीज बता दें जहां इस तरह के जैसे क्रिटिकल विकास खण्ड हैं वहां नहरों का पानी बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हाथरस के बारे में पूछ रहे हैं बता दें।

आबकारी, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, इसका सर्वे करा लेते हैं। सर्वे के उपरान्त जो समस्या है जहां से पानी डिस्चार्ज होता है उतना पानी डिस्चार्ज कर पायेंगे या नहीं यह सर्वे के बाद ही बताया जा सकता है।

डा0 अजय तोमर-

इन डार्क ब्लाकों की पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए क्या बुन्देलखण्ड की तर्ज पर उन्हें हैण्डपम्प देने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

हैण्डपम्प कहां इनसे मांग रहे हैं।

आगरा कालेज विधि संकाय में चल रहे डिग्री कोर्स की मान्यता वापस लेने से उत्पन्न संकट के निवारणार्थ कार्यवाही

*8-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा कालेज विधि संकाय में चल रहे पांच वर्षीय बी0ए0, एल0एल0बी0 डिग्री कोर्स को बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता न दिये जाने से अध्ययनरत हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ? यदि हां, तो इन छात्रों के समक्ष उत्पन्न संकट के निवारणार्थ राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

बार काउन्सिल आफ इण्डिया के आदेश दिनांक 5-5-2000 जिसके द्वारा मान्यता वापस ली गयी है, के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आलोक में आगरा कालेज में विधि पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश, परीक्षा तथा डिग्री आदि संचालित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा भी बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से अनुरोध किया गया है।

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री कुबेर सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। क्या व्यवस्था है।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, बहुत धैर्य रखा है और हमें बोलने का मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। उस्मानी जी आपका व्यक्तिगत है न।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुरूप सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत आने वाले सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों, एल0एम0 केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुरूप सभी श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा एल0एम0 केन्द्रों पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष चिकित्सक एवं कर्मचारी निर्धारित मानक के अनुसार तैनात नहीं हैं।

चिकित्सकों/कर्मचारियों की कमी है। रिक्त पदों पर चिकित्सकों/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर यथासंभव तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिये योग्यता वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की प्रोन्नति किये जाने की मांग

2-श्री सिवगतुल्लाह अंसारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिये योग्यता रखने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी प्रोन्नति का प्राविधान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम तथा उनके लेखों की जानकारी

3-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने निगम व सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने गत दो वर्षों से लेखे समय से तैयार नहीं किये ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग की परिधि में आने वाले 42 निगम/उपक्रम कार्यरत हैं जिनमें दो निगम यथा-उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 एवं आई0टी0आर0सी0 लि0 के कार्य-कलाप बन्द हैं, परन्तु इनके बन्द किये जाने के औपचारिक आदेश अभी निर्गत नहीं किये गये हैं।

वर्तमान में 19 सार्वजनिक उपक्रम व निगम ऐसे हैं जिन्होंने गत दो वर्षों (2005-06 तथा 2006-07) से लेखे समय से तैयार नहीं किये हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि

4-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-07 एवं 2007-2008 में किस-किस प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करायी गयी और कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? उक्त विद्यालयों के निर्माण वर्ष (स्थापना वर्ष) क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2006-07 में मरम्मत हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल 460 प्राथमिक एवं 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु रु0 1,02,29,900/-की धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

विस्तृत होने के कारण विद्यालयवार विवरण की 15 प्रतियां मा0 सभापति के पटल† पर रख दी गयी हैं।

निर्माण वर्ष के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के वि0 स0 क्षेत्र मछली शहर में पवांरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तथा चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती

5-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछली शहर में पवांरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इस केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती सरकार द्वारा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† विस्तृत सूची होने के कारण छापी नहीं गयी।

जनपद जौनपुर वि0 स0 क्षेत्र मछली शहर में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य

6-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र मछली शहर में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इस केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय वाराणसी के श्री हरेन्द्र सिंह, फार्मासिस्ट को चार्ज हस्तान्तरण करने के लिये पत्र

7-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उ0 प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या 4-डी(2)/1351/96, दिनांक 28 सितम्बर, 2006 के अनुपालन हेतु प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, वाराणसी ने अपने पत्रांक म0चि0 फार्मेसिस्ट/06-07/1661, दिनांक 13-11-06 के द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट को चार्ज हस्तानान्तरण करने के लिये पत्र लिखा था ? यदि हां, तो श्री सिंह द्वारा अभी तक चार्ज ग्रहण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

श्री सिंह द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 28-9-2006 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-9474 (एस/एस)/2006 योजित की गई थी जिसमें पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15-11-2006 के क्रम में श्री सिंह अभी भी महिला चिकित्सालय वाराणसी में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त शिक्षकों को वैकल्पिक वेतन वृद्धि का लाभ

8-श्री रियाज अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-01-1996 से लागू पंचम् वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राजाज्ञा सं0वे0आ0 02-1432/ दस-2001-53/ 2001, दिनांक 01-01-1996 के अनुपालन में सेवा निवृत्त शिक्षकों को वैकल्पिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया

गया है ? क्या 01-01-1996 से दिनांक 30-06-2001 की अवधि में सेवा निवृत्त शिक्षकों की पेंशन का आगणन, नये वेतनमान के आधार पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजाज्ञा दिनांक 01-01-1996 के स्थान पर 20-7-2001 है। इस राजाज्ञा के अनुसार 01-07-2001 को कार्यरत शिक्षकों को 01-01-1996 से वैकल्पिक वेतन वृद्धि दी गई है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 20-7-2001 द्वारा लागू पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू वेतनमान केवल दिनांक 01-07-2001 अथवा उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों पर ही लागू किया गया है। दिनांक 1-7-2001 के पूर्व शासनादेश नहीं होने के कारण उन्हें यह लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है।

जनपद फिरोजाबाद के ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय टूण्डला की डा0 श्रीमती गुंजन कुलश्रेष्ठ प्रवक्ता के पद का वेतन संदाय कराये जाने की मांग

9-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय टूण्डला जिला फिरोजाबाद में 4 दिसम्बर, 1990 से तदर्थ प्रवक्ता के रूप में डा0 (श्रीमती) गुंजन कुलश्रेष्ठ, हिन्दी विभाग में नवीन सम्बद्धता शर्तों के अन्तर्गत सृजित एकमात्र 'प्रथम पद' के प्रति कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके पद का 'वेतन संदाय' कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

डा0 (श्रीमती) गुंजन कुलश्रेष्ठ, ठा0 बीरी सिंह महाविद्यालय, टूण्डला, फिरोजाबाद में हिन्दी विभाग में ''डीम्ड'' पद के प्रति कार्यरत हैं।

जी नहीं।

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन पर रोक लगायी गयी है। इसके दृष्टिगत प्रश्नगत महाविद्यालय में हिन्दी विषय में प्रवक्ता का पद सृजित किया जाना सम्भव न हो सकने के कारण डा0 (श्रीमती) गुंजन कुलश्रेष्ठ को वेतन संदाय नहीं कराया जा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिढुयी के निर्माण की जांच

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिढुयी का निर्माण उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ की इलाहाबाद शाखा द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र, दिनांक 12-10-06, जो निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में था, उन्हें तथा प्रबन्ध निदेशक, सहकारिता, प्रमुख सचिव, सहकारिता तथा निबन्धक, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

सम्राट अशोक करहना माध्यमिक विद्यालय, जनपद संतकबीर नगर के सहायक अध्यापक श्री कृष्ण मुरारी सिंह के वेतन भुगतान से सम्बन्धित पत्र पर जांच

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट अशोक करहना माध्यमिक विद्यालय जनपद संतकबीर नगर से सम्बन्धित सहायक अध्यापक श्री कृष्ण मुरारी सिंह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 12 का पत्र संख्या वी0आई0पी0 198/15/12-04-1600(141)2001, दिनांक 21 मार्च, 2005 शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती को जांच किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिद्धार्थनगर से नगरपालिका, बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव

12-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2305, दिनांक 5 जुलाई, 2006 द्वारा दिनांक 31-7-2006 तक सी0एम0ओ0, सिद्धार्थ नगर से नगर पालिका, बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव मांगा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के वी0पी0 सिंह स्मारक उ0मा0 विद्यालय को परीक्षा हेतु विद्या मन्दिर इ0का0 उझानी में रखे जाने के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने की मांग

13-श्री योगेन्द्र सागर, श्री मुस्लिम खां व श्री सिनोद कुमार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वी0पी0 सिंह स्मारक, उ0 मा0 विद्यालय उझानी (बदायूँ) का परीक्षा केन्द्र विद्या मन्दिर इ0का0 उझानी में रखे जाने की संस्तुति की गयी है जबकि उक्त दोनों विद्यालय एक ही व्यक्ति के हैं तथा हर विलास गोयल इ0 कॉ0 उझानी (बदायूँ) का परीक्षा केन्द्र देवनागरी इ0 का0 उझानी रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है जबकि उक्त दोनों विद्यालयों के प्रबन्धक भाई-भाई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा केन्द्रों को निरस्त करते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

वी0पी0 सिंह स्मारक उ0मा0 विद्यालय उझानी, बदायूं का परीक्षा केन्द्र विद्या मंदिर इण्टर कालेज उझानी में रखे जाने की संस्तुति की गयी थी, परन्तु उसमें आंशिक संशोधन करते हुए वी0पी0 सिंह स्मारक उ0मा0 विद्यालय, उझानी की बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र महात्मा गांधी इण्टर कालेज उझानी निर्धारित किया गया है। दोनों विद्यालयों के प्रबंधक पृथक-पृथक हैं। देवनागरी इ0का0 उझानी का परीक्षा केन्द्र हरविलास गोयल इ0का0 उझानी में निर्धारित करने की संस्तुति की गयी है। उक्त दोनों विद्यालयों के प्रबंधक आपस में भाई-भाई नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-खुनियांव बढ़नी एवं शोहतगढ़ में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु लाने ले जाने वाली माताओं के पते व संख्या के विवरण की जानकारी

14-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड-खुनियाँव बढ़नी एवं शोहरतगढ़ में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0 (फस्ट रेफरल यूनिट) तक पहुँचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की संख्या कितनी है ? क्या पूर्ण पता सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड खुनियांव बढ़नी एवं शोहरतगढ़ में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की संख्या विकास खण्डवार निम्नवत् है :--

विकास खण्ड-खुनियांव : 288

विकास खण्ड-बढ़नी : 150

विकास खण्ड-शोहरतगढ़ : सम्पूर्ण सी0एच0सी0 न होने के कारण धनराशि नहीं भेजी गयी है। सूचना शून्य है।

एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची मा0 अध्यक्ष, विधान सभा कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज भनवापुर एवं इटवा में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जाने ले जाने वाली माताओं के पते व संख्या सहित पूर्ण विवरण की जानकारी

15-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड डुमरियागंज भनवापुर एवं इटवा में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0 (फस्ट रेफरल यूनिट) तक पहुँचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड डुमरियागंज, भनवापुर एवं इटवा में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की संख्या विकास खण्डवार निम्नवत् है :--

विकास खण्ड-डुमरियागंज : 264

विकास खण्ड-भनवापुर : 283

विकास खण्ड-इटवा : धनराशि व्यय नहीं गयी है। अतः सूचना शून्य है।

एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची मा0 अध्यक्ष, विधान सभा कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा, मिठवल बांसी एवं जोगिया में सुरक्षित प्रसव हेतु लाने ले जाने वाली माताओं की संख्या व पते के विवरण की जानकारी

16-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड-खेसरहा, मिठवल बांसी एवं जोगिया में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0 (फस्ट रेफरल यूनिट) तक पहुँचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड खेसरहा, मिटवल, बांसी एवं जोगिया में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की संख्या विकास खण्डवार निम्नवत् है :--

विकास खण्ड-खेसरहा : धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। सूचना शून्य है।

विकास खण्ड-मिटवल : 300

विकास खण्ड-बांसी : धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। सूचना शून्य है।

विकास खण्ड-जोगिया : 192

एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची मा0 अध्यक्ष, विधान सभा कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसव हेतु एफ0आर0यू0 (फर्स्ट रेफलर यूनिट) तथा भेजे जाने वाली माताओं की पता सहित सूची

17-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड उस्काबाजार, नौगढ़ लोटन एवं वर्डपुर में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0 (फस्ट रेफरल यूनिट) तक पहुँचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2006-2007 में विकास खण्ड उस्का बाजार, नौगढ़, लोटन एवं वर्डपुर में सुरक्षित प्रसव कराने हेतु एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की संख्या विकास खण्डवार निम्नवत् है :--

विकास खण्ड-उस्का बाजार : 71

विकास खण्ड-नौगढ़ : धनराशि व्यय नहीं की गयी है। अतः सूचना शून्य है।

विकास खण्ड-लोटन : नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो उस्का बाजार के अन्तर्गत आता है। अतः सूचना शून्य है।

विकास खण्ड-वर्डपुर : 300

एफ0आर0यू0(फर्स्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने और उन्हें वापस घर तक भेजे जाने वाली माताओं की पूर्ण पता सहित सूची मा0 अध्यक्ष, विधान सभा कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड अगौता व बीबीनगर में बेसिक शिक्षा विद्यालयों की चहारदीवारी बनाये जाने की मांग

18-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड अगौता व विकास खण्ड बीबीनगर में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चलने वाले कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनकी चहारदीवारी नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों की चहारदीवारी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विकास खण्ड अगौता में 45 प्राथमिक तथा 19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी नहीं बनी है एवं विकास खण्ड बीबीनगर में 35 प्राथमिक तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं बनी है।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2008-09 में चहारदीवारी का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

भारत सरकार से धन की उपलब्धता होने के उपरान्त विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पी0सी0एफ0 के अधिकारियों द्वारा विभागीय वाहन होने के बाद भी टैक्सी गाड़ी के प्रयोग की जांच

19-डा0 अजय तोमर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के पी0सी0एफ0 के अधिकारियों के पास विभागीय वाहन होने के बाद भी विभाग द्वारा टैक्सी गाड़ी का प्रयोग वर्ष 2005, 2006, 2007 में किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

संघ हित में व्यावसायिक क्रिया-कलापों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विभागीय वाहन के अतिरिक्त टैक्सी गाड़ी का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेदकर नगर के वि0खं0 भीटी के बसोहरी ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

20-श्री लल्लू सिंह

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी के बसोहरी ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का कोई

प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त अतिरिक्त पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य कब से शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज में कार्यरत दाइयों को मानदेय भुगतान

21-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज में कार्यरत दाइयों का मानदेय कितना है ? क्या यह सत्य है कि कई वर्षों से उनका मानदेय बकाया है ? यदि हां, तो बकाया मानदेय कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

परिवार कल्याण कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अंशकालिक दाइयों को शत प्रतिशत वित्तपोषित किया गया है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 21जून, 2001 के क्रम में रु0 100/- प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 21 जून, 2003 के क्रम में अंशकालिक दाइयों को मानदेय रु0 200/- प्रतिमाह किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है।

जी हां। भुगतान किये जाने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक के प्रशिक्षोपरान्त तैनाती किये जानें सम्बन्धी निर्देश

22-श्री सुल्तान बेग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त दि0 23-1-07 से दि0 22-7-07 तक प्रशिक्षण दिया गया ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षार्थियों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

रिक्त पदों को नियमानुसार भरने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र दिनांक 7 मार्च, 2008 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत प्रा0स्वा0केन्द्र, तिलौली को उच्चीकृत किये जाने की मांग

23-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी अन्तर्गत प्रा0स्वा0 केन्द्र, तिलौली को उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। सम्प्रति उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था के नाम पर ह्रास परिह्रास

श्री कुबेर सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, आपने धैर्य रखा है, हम लोगों को मौका दिया है। आज तक व्यवस्थाएं ऐसी होती रही हैं कि आपको, आप बड़े, स्वतंत्र हैं और सरकार से इशारा कर देते हैं कि इस व्यवस्था को कर दीजिए। (हंसी), मा0 अध्यक्ष जी, विषय यह है कि एक बार मुझे अटैची उठाने का मौका मिल गया था।

श्री अध्यक्ष-

अटैची ?

श्री कुबेर सिंह-

हां, जो अटैची चपरासी उठाते हैं, उस तरह से मुझे भी मौका मिल गया।

श्री अध्यक्ष-

किसकी उठाये थे ?

श्री कुबेर सिंह-

अपनी पत्नी के साथ उनकी अटैची उठाने का मौका मिला था। (हंसी) उस समय हम मान्यवर, समितियों में जाते थे, कमेटियां जो होती हैं, समितियों में जाते थे, बड़ा गंभीर प्रसंग है, कृपया ध्यान दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या व्यवस्था है, आपकी ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कुबेर सिंह-

अभी आ रही है, अभी देख लेंगे, मान्यवर, (हंसी), उस समय जब हम कमेटियों में जाते थे तो बड़े तेज और तर्राक अधिकारी होते थे।

श्री अध्यक्ष-

आप बराबर पत्नी के साथ रहते थे ?

श्री कुबेर सिंह-

हां, बिल्कुल रहते थे। (हंसी), तो वह लोग हमें इस तरह से इतना घुमाने का काम करते थे, अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे घुमाने की व्यवस्था और फिर लास्ट तक जिस काम के लिए वह कमेटियां जाती थीं, उस काम तक आने का मौका नहीं देते थे, 10-11 बजे, फिर कमरों में जाकर सिग्नेचर हो जाते थे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने क्योंकि यह जानना चाहा कि क्या पत्नी साथ रहती थीं ? तो इतना और बता दें, माननीय सदस्य कि ये पत्नी की हिफाजत में रहते थे या पत्नी इसकी हिफाजत में रहती थी ? (हंसी)

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, जो काम किया, मैंने पहले ही बता दिया कि चपरासी वाला काम। (हंसी), हां, मान्यवर, अधिकारी इतना मौका नहीं देते थे।

श्री अध्यक्ष-

हां, हो गया आपका। अब आपकी व्यवस्था हो गयी। जब आप उस पद पर नियुक्त हैं तो व्यवस्था नहीं उठ सकती।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ही प्रसंग है। आप धैर्य से सुन लें। मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यवर, विषय यह है कि इसी तरह से प्रत्येक वर्ष मा0 लोक सभा अध्यक्ष की उपस्थिति में अलग-अलग स्टेटवाइज आपकी पीठों के सम्मेलन होते हैं, अलग-अलग स्टेटों में तो वहां जा करके, मैं तो पीठ से कह रहा हूं, आपसे नहीं, वहां जा करके आप लोगों को घूमने के लिए, रहने के लिए, अच्छे भोजन के लिए, वहां सब व्यवस्थाएं होती हैं, परन्तु जिस काम के लिए जाते हैं, जैसा मैंने बताया, जैसे हम लोगों के बारे में एक दिन बात आयी थी कि अधिकार और विशेषाधिकार हनन। तो मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-105, अनुच्छेद-194 के खण्ड-3 में यह कोड तो कर लिया गया कि हमारे अधिकार हैं, परन्तु उनका स्पष्टीकरण, उल्लेख नहीं किया गया तो इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के इस तरह से जो नेक्स्ट सम्मेलन हों, अगले सम्मेलन हों, यह प्रदेश की समस्या नहीं है, यह मेरी यहां विधायकों की समस्या है, इससे सांसद भी जुड़े हुए हैं, न तो सांसदों को अधिकार है, न हमें, तो कृपया आप इसे उठायेंगे तो पूरे भारत वर्ष की समस्या होगी।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हम उठायेंगे। चलिए बैठिए। नहीं, उठायेंगे। (हंसी)

श्री कुबेर सिंह-

धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बहुत जल्दी में कह दिया, नहीं उठायेंगे, तो क्या नहीं उठायेंगे, आप अटैची नहीं उठायेंगे या प्रश्न नहीं उठायेंगे ? इसको भी मान्यवर, स्पष्ट कर दें। मान्यवर, आपने बहुत जल्दी में कह दिया कि नहीं उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उठायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

क्या मान्यवर ? (हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

अब जब आपको उठाते हैं, बराबर है। (हंसी)

कार्यसूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 को 14वें सोमवार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आपकी क्या व्यवस्था है ?

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की कार्यसूची में नत्थी-ख में प्रश्न नं0-2 हमारा है। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह सवाल है और इसमें अंकित है कि 14वें सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, 14वें सोमवार को यह सत्र चलने वाला नहीं है। कार्यसूची आप देख लें कि दिनांक 08 फरवरी, 2008 से अब तक कोई दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन 20 तारांकित प्रश्न हुए हों। आज तो केवल 8 तारांकित प्रश्न थे। तो मान्यवर, जिस दिन कार्यसूची में प्रश्न कम हों तो इस पर विचार करें। मान्यवर, इसमें आप सरकार को निर्देशित कर दें, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अगर अगले सोमवार को उत्तर नहीं आयेगा तो प्रश्न लगा दीजिएगा। हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसका लिखित जवाब दिलवा दें। उत्तर लिखित आ जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं दिखवा लेता हूं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कल दिनांक 10-03-08 को मैं बजट सत्र में भाग ले रहा था और यहां से जब.....।

श्री अध्यक्ष-

जब विशेषाधिकार का क्रम आयेगा तो उसमें मैं आपको सुनूंगा। आपने नोटिस भी दी है। जब क्रम आयेगा तो हम आपको सुनेंगे। अभी विशेषाधिकार का क्रम आये तो उसमें यह है।

गोरखपुर में भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मानयवर, भारत के संविधान के अनुसार देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना और उसमें एक प्रभुतासम्पन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रित गणराज्य बना। इसमें आजाद भारत में हमने कुछ चीजें स्वीकार कीं। उसमें एक हमारा संविधान भी था। संविधान के तहत ही बहुत सी चीजें थीं। और आज अगर हम यहां बैठे हैं तो इसी संविधान के तहत बैठे हैं, और आज हमें अगर बोलने की आजादी है तो इसी संविधान के तहत है, और हमें हमारे लिये मूल अधिकार मिले हैं तो इसी संविधान के तहत मिले हैं और आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं तो इसी संविधान के तहत ले रहे हैं और इसका बहुत बड़ा श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जाता है। इस सदन में एक चित्र लगा हुआ है और उसके नीचे आप बैठे हैं, वह महात्मा गांधी जी का चित्र है। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलायी। उन्होंने एक नई विधि अहिंसा चलायी और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया के कई राष्ट्र आजाद हैं, तो उसकी बहुत बड़ी विचारधारा महात्मा गांधी जी की है और हमें गर्व है कि इस देश में, इस धरती में वह पैदा हुए और आज हम उन्हें बहुत आदर के साथ देखते हैं। इसीलिये सारे राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में माना। राष्ट्रपिता मानना न मानना किसी की विचारधारा हो सकती है लेकिन इस सम्पूर्ण राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रपिता स्वीकार कर लिया है और अगर कोई यह कहता है कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि वह इस देश में रहने लायक नहीं हैं, वह इस देश के संविधान को मानने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई राष्ट्रपिता का अनादर करता है तो यह भारतवर्ष का अनादर है, इस देश का अनादर है। मान्यवर, आज कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं होना चाहिए। मान्यवर, किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। सारे भारत ने उन्हें स्वीकार किया है कि वह राष्ट्रपिता हैं। इस सच्चाई को सब स्वीकार करते हैं चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। कल एक सम्मेलन में गोरखपुर के सांसद ने राष्ट्रपिता न मानने की बात की है मान्यवर, जो राष्ट्रपिता का आदर नहीं करता है वह देशद्रोही है और उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। यह बिना वजह बात कर रहे हैं। यह बता दें कि किसने बताया ?

श्री प्रमोद कुमार तिवारी-

मान्यवर, मुझे मालूम है कि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। मैंने कहा कि कुछ लोगों ने बताया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने कहा कि कुछ लोगों ने बताया तो किन लोगों ने बताया।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। जो राष्ट्रपिता का अनादर करता है और जो उसकी वकालत कोई करता है या कोई दल उसकी वकालत करता है, तो वह राष्ट्रपिता का अपमान करता है, वह राष्ट्रद्रोही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सदन का समय बिना वजह बरबाद कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इन्होंने नहीं दी है। मैं विचारधारा की बात कर रहा था। मैं किसी दल की कोई बात नहीं कर रहा हूं। साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोग और राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले लोगों की वकालत यहां होगी तो मुझे शर्म आयेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसी कोई विचारधारा नहीं है दल की।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुन लिया है खन्ना साहब मुझे कहने दें। प्रमोद तिवारी जी समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब आप समाप्त करें

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी विचारधाराओं में फर्क हो सकता है, कोई किसी महापुरुष का मान करे सम्मान करे, कोई किसी और का मान सम्मान करे लेकिन राष्ट्रपिता पर कहीं किसी तरह का विवाद हो ही नहीं सकता है। अगर कोई यह धृष्टता करता है, कोई यह साहस, दुस्साहस करता है कि वह राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता

मानने से इन्कार करे तो कल वह भारत माता को भारत माता मानने से इंकार करेगा। मैं ऐसे लोगों की तुलना गोडसे की विचारधारा से करता हूं और मैं यह मानता हूं कि जो राष्ट्रपिता को नहीं मानता वह गोडसे को मानता है। जो लोग गोडसे को मानते हैं उनके लिये इस देश में कोई जगह नहीं है, उस विचारधारा के लिये इस देश में कोई जगह नहीं है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं और साहस के साथ कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी को किसी दल, किसी विचारधारा और किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोई माने या न माने देश के करोड़ों लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं और मानते रहेंगे। मान्यवर, जिस व्यक्ति ने कल कहा है और मैं बार-बार स्पष्ट करूंगा कि उस सम्मेलन में जो लोग मौजूद थे उन्होंने निकलकर मुझे बताया, कुछ पत्रकारों ने मुझसे प्रतिक्रया पूछी।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी बैठें, व्यवस्था के नाम पर उठाये थे। आपकी व्यवस्था कोई आयी नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह व्यवस्था चाहता हूं, मैं सभी के विचार इसमें आमंत्रित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि खुला सम्मेलन हो, एक सांसद, जो गोरखपुर से है, वह इस विचारधारा को कहे कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता नहीं हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यहां पर संविधान का हवाला दिया गया। परम श्रद्धेय बापू, जिनको हम बापू बोलते हैं, सम्मान के साथ हमारे भावों में आता है तो हम उन्हें बापू ही बोलते हैं, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। राष्ट्रपिता का दर्जा कोई संविधान में नहीं है, यह हमारे सम्मान में है, यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। ना बापू किसी पद के मोहताज थे। वह तो ऐसे महान पुरुष थे जिसने किसी पद को लेने से इंकार कर दिया था। अब कोई व्यक्ति क्या कहता है या क्या नहीं कहता है यह तो उसके विश्वास की बात होती है, यह उसके सोच की बात होती है। अपनी सोच की बात होती है और यह सोच, अधिकार हमें संविधान ने दिया है। इस देश में लोकतंत्र का महत्व भी यही है मान्यवर, हम किसी आदमी को मजबूर नहीं कर सकते कि कोई क्या कहे, क्या नहीं कहेगा। हां संविधान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। किसी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का विचार है, हमें तो इस बात के लिये गर्व होना चाहिए कि संविधान में इतनी आजादी है कि संविधान की भावनाओं के अनुकूल उसमें जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। इसमें आपको क्या आपत्ति हो गई। और मान्यवर, आपत्ति उन लागों को हो, जिसने गांधी का नाम ले-ले कर के बनावटी गांधी पैदा कर दिये और वह बनावटी गांधी आज सत्ता में बैठे हुए हैं। हमने गांधी जी का नाम का शोषण नहीं किया। आज वह लोग इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं जो पिछले साठ साल से उस महान आदमी का नाम ले कर के, उस महापुरुष का नाम

ले करके, नकली गांधी पैदा करके सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं। आज वह आपत्ति करते हैं। हमने उनका सम्मान किया है, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम उन्हें माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारी श्रद्धा में कमी नहीं है। गोडसे का नाम ले कर के उत्तेजना पैदा करने की कोशिश मत कीजिए, गोडसे को फांसी लग चुकी है। हमने कभी गोडसे के विचारों से अपनी विचारों को नहीं रखा। हमारे विचार राष्ट्रवादी हैं, हमने भारत माता को माता कहा है, बापू को बापू कहा है और मान्यवर, हमने कभी उसका शोषण करके उनके नाम को बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जिस सत्ता पर आज आप लोग बैठे हुए हैं। कौन गांधी है हम में ? असली गांधी तो कहीं और घूम रहे हैं। कोई दक्षिण अफ्रीका में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई राज्यपाल के पद पर है, और जो गांधी कभी थे ही नहीं, जिनका गांधी से कोई लेना-देना ही नहीं है, नाम लगा-लगा कर सामने तमाम विश्व में प्रचार करते हैं, हम हैं गांधी, इसलिये। यह गांधी हैं ? यह गांधीवाद के नाम पर कलंक हैं मान्यवर। इसलिये मान्यवर, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। और मान्यवर, इस प्रश्न पर विचार होना भी नहीं चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथी हैं और बहुत सीनियर साथी हैं और कांग्रेस के नेता हैं और यह विषय कांग्रेस का नहीं है, सबका है, पूरे देशवासियों का है, हिन्दुस्तान में रहने वाले सौ करोड़ लोगों से ज्यादा का है। और बापू को राष्ट्रपिता कह देने से शायद मैंने सदन में एक बार पहले भी कहा था कि वह हमारी वालिदा के शौहर नहीं हो गये। किसी की भी मान्यवर, यह एक सम्मान का शब्द है। जिस तरह भारत मां कह देने से, भारत मां का किसी से फेरे या निकाह नहीं हो गया, यह दोनों शब्द दिल और सम्मान के हैं, मादरे वतन, भारत मां, मदर लैण्ड, पूरी दुनिया के लोग इसका सम्मान करते हैं इज्जत करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वह मान्यवर, अभागे हैं। बापू का सम्मान मन से अगर किया जाये तो यकीनन सम्मान है। बापू का सम्मान तो भारत में शायद उतना नहीं है जितना सम्मान बापू का वहां है जहां से बापू ने अपनी जिन्दगी की राजनैतिक शुरुआत की थी और दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। वहां ज्यादा पूछ है, वहां ज्यादा सम्मान है, वहां ज्यादा यादगारें हैं आज बापू की, साउथ अफ्रीका में। बापू के बारे में कोई ऐसा शब्द कहना जाहिर है शर्मनाक है और हम उसकी निन्दा करते हैं, लेकिन मान्यवर, इधर कई सालों से राजनीति में एक नया चलन शुरू हुआ है, दिलदुखाने का, दिलाजारी का और किसी बड़े आदमी पर, किसी महान व्यक्ति पर, किसी विभूति पर, किसी आस्थावाली शख्सियत पर, पत्थर मारने का। ऐसा बापू को आज पहली बार नहीं कहा गया है, बापू को पहले भी कहा गया है और वह कहने वाले लोग यहां भी हैं। बापू के लिये अपशब्द बहुतों ने कहे हैं और मान्यवर, बात अब बापू तक रही कहां, बात तो इससे आगे बढ़ गई है मान्यवर, इसलिये मैं अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से यह कहना चाहूंगा, हुकुम सिंह जी से भी अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी

पीड़ा बिल्कुल सही थी, आपने बिल्कुल सही अपनी बात रखी, लेकिन आपके ही दल के एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति का दिफा किया, उसका बचाव किया। मान्यवर, उन्होंने उनका बचाव किया जिन्होंने बापू के बारे में बहुत घटिया बात कही है। ऐसी कोई घटिया बात कोई घटिया शख्स ही कर सकता है आपको बचाव नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, अंत में कहना है कि अब तो बात बापू से भी आगे बढ़ गयी है। इस पर रोक होनी चाहिए। मान्यवर, ऐसी जो किताबें लिखी गयी हैं उन पर रोक होनी चाहिए। मान्यवर, ऐसे ही एक महान विभूति की तस्वीर को जूतों की माला पहनाने का काम किया गया था जिसको लेकर मैंने रामपुर में मौन व्रत धारण किया था और तपती धूप में मैं गांधी समाधि है जहां वहां पर बैठा था।

मान्यवर, उसमें बात यह थी कि आज इन्हें कहा गया, कल उन्हें कहा जायेगा और फिर इन सब बातों के चलते देश की शांति भंग हो जायेगी। देश खण्ड-खण्ड हो जायेगा। मान्यवर, जो किताबें बंट रही हैं, हजरतगंज की दुकानों पर बिक रही हैं, उन पर रोक होनी चाहिए। जो सीडियां चलायी जा रही हैं उन पर रोक होनी चाहिए। फिर कहता हूं मान्यवर, आज बात बापू की नहीं है बात अब बापू से बहुत आगे बढ़ गयी है। इससे होगा क्या कि हमारे देश की सरहदों पर जो दुश्मन मौजूद हैं फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से इस देश में रहने वाले लोग ही नुकसान पहुंचा देंगे देश को। मान्यवर, समाजवादी पार्टी इस बात की निन्दा करती है। मान्यवर, यह न समझा जाये कि आज गांधी नहीं हैं, गांधी हैं, बापू है और बापू जैसे बहुत से लोग इस देश में हैं, और अगर वह लोग नहीं रहेंगे तो फिर संविधान को लोकतंत्र को मानने वाले भी नहीं रहेंगे। मान्यवर, तस्वीर का क्या है। मान्यवर, गिनती संख्या के बल पर यहां पर कोई दल आ जाये और वह यह कह दे कि यह तस्वीर उतारी जाये तो उस दिन यह तस्वीर उतार दी जायेगी। मान्यवर, तस्वीर तो वास्तव में वह है जो दिल पर इबारत बना कर रखी जाये। बापू की तस्वीर हमारे दिलों में है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह आंधियां तो आयेंगी और चली जायेंगी। जिन्हें रहना है वह रह जायेंगे। मान्यवर, महान विभूतियों पर आक्षेप लगाने वाले लोग भी राजनीतिक कारणों से सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन आने वाला दिन उनके लिये काला दिन होगा, समाज और इतिहास उनको शर्मनाक कहेगा।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, राष्ट्रपिता बापू के सम्मान में कुछ चर्चा आयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था के प्रश्न के सवाल पर कुछ लोगों के विचार आये हैं, उ... के उसका ऐसा कोई समय नहीं है, बापू के सम्मान के बारे में कुछ लोग बात कहना चाह रहे हैं, वह कह लें, मैं इसे समाप्त कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बापू के बारे में जितना भी कहा जाये वह इस सदन का कोई भी सदस्य अपने शब्दों से उनकी महानता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, वह इतने महान थे। लेकिन जिस मुद्दे को, जिस टोन से उठाया गया उनकी महानता के लिये उस टोन की आवश्यकता नहीं थी। उससे कहीं न कहीं गंध आ रही थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते इसमें राजनीति को घसीटने के नाते उस मुद्दे को यहां पर उठाया गया यह उचित नहीं था। मान्यवर, इतनी ऊंची टोन में किसी एक व्यक्ति की भावना के बारे में यहां उसके प्रति टिप्पणी करना इसकी आवश्यकता नहीं थी। मान्यवर, जो भी संविधान में आस्था रखते हैं यहां हम सब हैं जो संविधान की शपथ लिये हुये हैं, तो जो भी इस देश की संस्कृति, आर्दशों और मूल्यों के प्रति आस्था रखता है वह बापू के प्रति निन्दा करता क्या कहें भाव भी व्यक्त नहीं कर सकता है। बापू महान हैं। इस देश की संस्कृति, आदर्श, आस्था और मूल्यों के प्रतीक हैं। वह इस देश और इस समाज की प्रेरणा रहे हैं। आज आगे भी रहेंगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि हम उनके पदचिन्हों पर चलते रहें। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी बापू को पूरी श्रृद्धा, विश्वास और आस्था के साथ राष्ट्रपिता मानती थी, मानती है और आगे भी मानेगी। (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा मेजों की थपथपाहट) इसलिए मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर इतनी ऊंची टोन में बात करना ही बापू की महानता के बारे में एक तरह से असम्मान व्यक्त करना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकरण को, इसी स्तर पर संकेत मानते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समाप्त करने का कष्ट करें। मान्यवर, किसी संगठन या किसी दल या किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा यह अंकित करने का प्रयास करता बापू के प्रति स्वयं में असम्मान है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय सभी सदस्यों से कि हम किसी व्यक्ति के प्रति भेद रख सकते हैं उसके विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी विचार, जिसकी चर्चा यहां की गयी वह विचार भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, बापू इस देश के राष्ट्रपिता हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी आस्था और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ उनको राष्ट्रपिता मानती है इसलिए किसी व्यक्ति के स्वतंत्र विचार को कहीं दूसरी तरफ इंगित करना, यह उचित नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता इसलिए इसे अस्वीकार करने की कृपा करें।

(श्री प्रमोद तिवारी एवं उनके दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, सब बात आ गयी है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, बैठिये आप लोग। कोई चर्चा नहीं हो रही है एक व्यवस्था उठाया उन्होंने। जैन साहब आप बैठिये। एक यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संदर्भित था, मैंने सुन लिया। नेताओं के विचार सुन लिये। अच्छी चर्चा हो गयी।

अब आप खड़े हो गये कोई चर्चा हो रही है ?

कोई चर्चा नहीं हो रही है किसी को नहीं बुलवाऊंगा। मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में माननीय आजम खां साहब, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी :--

(श्री इरफान सोलंकी के सदन के वेल में आने का प्रयास करने पर)

आप कहां जा रहे हैं, आप बैठिये। (व्यवधान)

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' तथा श्री प्रदीप माथुर आदि कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आने पर)

यह कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो जो वेल में आ रहा है खुद ही अपमान करने के लिए आ रहा है। आप तो उसको मुद्दा बना रहे हैं राजनीति का।

अब सबके विचार आ गये सबने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करने के लिए तमाम दल के नेताओं तथा पूरे सदन ने स्वागत किया, सम्मान होगा उनका, अब इसमें क्या आ गयी व्यवस्था। (व्यवधान)

विपक्ष के सभी दल के नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में अपने विचार रखे, और यह सदन की कार्यवाही से कोई इसका सम्बन्ध नहीं था इसलिए मैं कोई इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता और इसको निरस्त करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है, वह उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी की है।

जो वेल में रहेंगे उनकी सूचना मैं नहीं लूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं, ठीक है वह हैं।

गोरखपुर के भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मान जनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(विरोध स्वरूप सदन के वेल में बैठे हुए सदस्य 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम' गाने लगे। नेता विरोधी दल के प्रयास से सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी थोड़ा गुस्से में आ ही जाते हैं, आना स्वाभाविक है लेकिन यह परम्परा रही है कि किसी व्यक्ति पर इस तरह से हाथ करके हमला हो तो उस व्यक्ति को भी स्पष्टीकरण देने का थोड़ा बहुत समय माननीय तिवारी जी को देना चाहिए। इन्होंने कहा गांधी अब नहीं रहे हो, हाथ करके कहा तो फिर इनको समय देना चाहिए यह परम्परा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनको मैंने पूरा समय दिया था। आप स्टाइल से बात मत करिये, यह कोई स्टाइल मंच नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वेल में आये हुये सभी सदस्य वापस चले गये)

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं। मैनें पहले ही कह दिया। मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं।

(भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-भारी शोर)

श्री अध्यक्ष-

एक व्यवस्था का सवाल तिवारी जी ने उठाया और अपनी बात कहते-कहते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़े विषय को लिया। मेरा भी मानना यह था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान का विषय है तो एक मिनट लोगों के विचार भी आ जायें, मैंने सुन भी लिया, सभी दल के लोगों ने कह दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सब लोग सम्मान भी करते हैं देश में और विदेश में भी। मानर्नाय आजम खां, माननीय हुकुम सिंह कह दिये। ओम प्रकाश सिंह जी ने यहां तक कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है और न हमारा उनसे कोई सम्बन्ध है। जब सदन में सभी सदस्य और पूरा सदन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा है और भाव व्यक्त भी किया है तो अब इसमें कौन सी चर्चा और आक्रामक स्थिति उत्पन्न करने की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि प्रमोद तिवारी अगर दो मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैंने नेता प्रतिपक्ष जी के सम्मान में कह दिया कि दो मिनट में कह दें अगर कोई बात कहना चाहते हैं। लेकिन अब इसको मुद्दा न बनाया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-भारी शोर)

अब आप लोग बैठ जायें, अब आप लोग क्या चाहते हैं। अब तिवारी जी कोई बात तो रह नहीं गयी। आप कह चुके थे जितना आपको कहना था, व्यवस्था के नाम पर आपने कह लिया। मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा। ठीक है थोड़ा सदन का समय लग गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान, उनके आदर के सम्बन्ध में जो भी चर्चा हुई उसको मैंने स्वीकार कर लिया था। इसलिये मैनें सदन का समय कुछ दिया कि जहां उनके सम्मान का मसला हो, सदन का समय लगाना औचित्यपूर्ण होगा। लेकिन जब सब बात आ गयी और सब कुछ हो गया तो तिवारी जी अब उसको बहुत बड़ा स्टैन्ड न बनाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यदि किसी पर कुछ कहां जाता है तो उसको सफाई देने का मौका भी दिया जाता है। माननीय ओम प्रकाश सिंह ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। माननीय आजम खां ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होनें सफाई उनकी दी और माननीय हुकुम सिंह जी ने सफाई दे दी और सफाई देने के बाद उन पर कई तरह के आरोप भी लगा दिये। तो अब माननीय प्रमोद तिवारी को अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिये कि यह गांधियन है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप जो आरोप की बात कह रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लूं कि आप कोई इस तरह का आरोप लगाये हैं कि नहीं। मैं माननीय हुकुम सिंह जी से ही पूछ लूं। वही स्पष्ट कर दें कि क्या वह कोई आरोप लगाये थे।

(भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-भारी शोर)

आप लोग बैठ जाइये। यह कोई प्रदर्शन या चर्चा नहीं हो रही है। इसको बहुत इश्यू न बनाया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुये, उनकी बांतों से सहमत होते हुये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिये और देख लीजिये कि माननीय हुकुम सिंह ने किसी का नाम लिया, प्रमोद तिवारी का नाम लिया, नहीं लिया, किसी दल का नाम लिया, आखिर किसके ऊपर आक्षेप है। जब उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी दल का नाम नहीं लिया। अगर उन्होनें किसी व्यक्ति का, किसी दल का नाम लिया होता तब तो सफाई का सवाल आता। उन्होंने नाम तो लिया नहीं, तो फिर सफाई किस बात की।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, कोई आरोप नहीं लगाये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैनें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उदारतापूर्वक एक बात जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सम्बन्धित थी, रखने का अवसर दिया। मान्यवर, सभी की बातें आ गई और सभी ने उनमें आस्था व्यक्त की। मैं आपसे और मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से भी यह अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह सदन 08 फरवरी से चल रहा है और बहुत ही शान्तिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने कार्य किया है। मा0 ओम प्रकाश जी ने सफाई भी दे दी कि हमने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया है, चूंकि नियमों में बाहर कही गयी बात को यहां औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विधान सभा के सत्र का अन्तिम दिन है और आज हमारा जो विदाई कार्य है, जो तमाम नये सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे, एक इश्यू यह भी है कि हमें प्रश्न के बाद सुनने का अवसर देंगे, मान्यवर, एक प्रश्न कल उठा था उसमें आपने वक्तव्य देने का निर्देश दिया था, वह भी हमें रखना है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको इश्यू न बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 55 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री प्रमोद तिवारी के साथ सदन के वेल में आ गये। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीता राम का गान करने लगे।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गलत परम्परा हो रही है। आपने मा0 नेता विरोधी दल की अपील पर, उनके निवेदन पर सहमत हो कर नेता, कांग्रेस पार्टी मा0 प्रमोद तिवारी को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया था, आपने इसकी इजाजत दे दी थी। बाद में व्यवधान हो गया और उसके बाद एक नयी स्थिति पैदा हो गई। मेरे ख्याल से जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज आखिरी दिन है और हम भी यही चाहते हैं कि आज आखिरी दिन उसी प्रकार से सिलसिलेवार खत्म होकर टीक से सदन उठ जाय, उसके लिए मान्यवर, अगर प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी बनाये और न ही कोई और बनाये और अगर मा0 प्रमोद तिवारी जी को दो मिनट सुन लिया जाय स्पष्टीकरण के तौर पर तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है और मेरी पूरी तरह से यह चाहत है और सरकार की ओर से भी यही चाहत है कि आज अन्तिम दिन है, हम लोग केवल औपचारिकता निभाने का काम न करें। जैसे आज तक सत्र शान्तिपूर्वक चला है उसी प्रकार से चले और इसके लिए चाहें तो आप 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करके और दलीय नेताओं की बैठक करके इसका कुछ समाधान निकाल लें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मान्यवर, यह ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर मसला बढ़ता चला जा रहा है तो दल के नेता आपस में बैठें और कुछ हल निकाल लें।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य श्री अम्बिका चौधरी के साथ सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

आप बात भी नहीं सुनेंगे। आप हम लोगों की बात भी नहीं सुनेंगे। आपका क्या इश्यू आ गया कि आप वेल में आ गये, आपसे क्या मतलब है। प्रमोद तिवारी जी को नहीं सुना जायेगा, अगर यह प्रतिष्ठा बनायेंगे। मैंने तो मा0 नेता प्रतिपक्ष जी का आदर किया है, मैंने उनका सम्मान किया और प्रमोद तिवारी जी अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेंगे तो मैं प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनने दूंगा। किसी एक के हाथ में सदन नहीं रहेगा। नेता प्रतिपक्ष का हमने आदर कर दिया, लेकिन इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेंगें, यह उचित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के वेल में आये हुए अनेक माननीय सदस्य गांधी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया, कांग्रेस के मा0 सदस्य सदन की वेल में बैठे रहे)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा था।

आज दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :--

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह
2-हाजी अब्दुल समद अन्सारी
3-श्री लालजी यादव
4-श्री आरिफ अनवर हाशमी
5-श्री कृष्ण गोपाल पटेल
6-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'
7-श्री संजीव दरियाबादी
8-श्री राजाराम त्यागी
9-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी
10-श्री कादिर राणा
11-डा0 अनिल चौधरी
12-श्री पूरन प्रकाश
13-श्री कौकब हमीद
14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना
16-श्री महेश चन्द्र गुप्ता
17-श्री श्यामदेव राय चौधरी
18-श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल
19-श्री जगन प्रसाद गर्ग
20-डा0 राजेन्द्र सिंह
21-श्री दुर्गा प्रसाद यादव
22-श्री राधेश्याम जायसवाल
23-श्री राम बिशुन आजाद
24-श्री सर्वेश कुमार सिंह
25-श्री श्रीपति आजाद
26-डा0 पी0के0 राय
27-श्री अनिल कुमार सिंह यादव
28-श्री जावेद अंसारी
29-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
30-श्री सुरेश्वर सिंह
31-श्री मदन भैया
32-श्री सुल्तान बेग
33-श्री अमरमणि त्रिपाठी
34-श्री मदन चौहान
35-श्री सत्य नारायण जैसल
36-श्री संजय कपूर
37-श्री अनूप सण्डा
38-श्री मिथिलेश कुमार
39-श्री रामपाल राजवंशी
40-श्री विश्वनाथ
41-श्री दीप नारायण सिंह
42-श्री कृपा शंकर सिंह
43-डा0 कौशल किशोर
44-श्री राजेश कुमार गौतम
45-श्री मो0 उस्मानुल हक
46-श्री अनूप कुमार गुप्ता
47-श्री महेन्द्र कुमार सिंह
48-श्री अरविन्द गिरि
49-श्रीमती सीमा द्विवेदी
50-श्री बैजनाथ दुबे

उन माननीय सदस्यों के नाम, जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :--

1-श्री अब्दुल वारिस खां
2-श्री माता प्रसाद पाण्डेय
3-श्री धनन्जय सिंह
4-श्री जोखू लाल यादव
5-डा0 धर्मपाल सिंह

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

(माननीय सदस्य श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी, श्री लालजी यादव, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री कादिर राणा, डा0 अनिल चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, श्री कौकब हमीद, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री सुल्तान बेग, श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ, डा0 कौशल किशोर, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री अरविन्द गिरि, श्रीमती सीमा द्विवेदी एवं श्री बैजनाथ दुबे की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत सीवर सुधार कार्यक्रम में सीवर के शोधित जल को गंगा नदी के पार पूरब में मिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*अनुग्रह नारायण सिंह-

[इलाहाबाद महानगर में भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अंतर्गत अरबों रुपये की सीवर सुधार कार्यक्रम वर्तमान में बनाया जा रहा है। प्रयाग में तीन राष्ट्रीय पवित्र नदियों गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम है। यह तीर्थराज कहलाता है। यहां पर कुंभ, अर्द्धकुभ तथा माघ मेला लगता है। करोड़ों धर्मालु संगम में स्नान करने आते हैं।

वर्तमान योजनान्तर्गत राजापुर व बक्शी बांध निर्मित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांटों में नगर के गंदे जल को शोधित करके पुनः गंगा नदी में संगम के ऊपर मिलाने की योजना है। इससे गंगा को प्रदूषण मुक्त की योजना जस की तस ही रहेगी। इससे साधु-संत, महात्माओं एवं नागरिकों में भारी असंतोष-विक्षोभ है।

अतः नवनिर्मित होने वाले ट्रीटमेंट प्लाण्टों द्वारा शोधित पानी को नदी के पार फाफामऊ रेलवे पुराने पुल से ले जाकर किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु देने तथा शेष जल को संगम के पूरब में मिलाया जान ही उचित होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उपरोक्त योजना में सीवर मे शोधित जल को गंगा नदी के पार ले जाकर सिंचाई अथवा संगम के आगे पूरब में ही मिलाये जाने की मांग करता हूं।]

सधन्यवाद।

वाराणसी में नख्खीघाट वरुणा नदी पर बने पुल का निर्माण कराने हेतु धन आंवटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद वाराणसी में नख्खीघाट-वरुणा नदी पर बने पुल की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। उक्त पुल पिछड़े इलाके में स्थित है जहां पर दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है। स्थानीय जनता को उक्त पुल के जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा होती है, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त जर्जर पुल को बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि जनपद वाराणसी में नखखीघाट-वरुणा नदी पर बने पुल का निर्माण कराने हेतु शीघ्र धन आवंटित किया जाय।]

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ में कार्यरत कु0 जयश्री को शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ में विगत 1998 से एक असहाय महिला कु0 जयश्री, क्षेत्रीय अन्वेषक का मानसिक शोषण निदेशालय प्रशासन द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। उक्त महिला को विगत 10-08-1998 से शोध अधिकारी के पद पर नियमानुसार प्रोन्नति की जानी थी परन्तु उक्त संस्थान में कार्यरत उनसे अति कनिष्ठ श्री रामदेव वर्मा, क्षेत्रीय अन्वेषक ने गैर कानूनी तरीके से सांठ-गांठ करके प्रोन्नति क्रम में 7वें क्रम में होने के बावजूद भी शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर ली जबकि उनसे वरिष्ठ कु0 जयश्री ने अपने प्रोन्नति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से आदेश भी प्राप्त कर लिया है। कु0 जयश्री की सेवानिवृत्ति में मात्र 6 माह शेष है इसके बावजूद भी असहाय इस महिला की प्रोन्नति नहीं की जा रही है जबकि मा0 उच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 से इनसे कनिष्ठ श्री राम देव वर्मा का स्टेआर्डर भी वैकेट कर रखा है।

अतः महिला सशक्तीकरण को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत प्रकरण में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अनुरोध है कि उक्त कु0 जयश्री को वर्ष 1998 से शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम लखनपुर कांदू तहसील सोरांव निवासी सलीम के खेत पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रीमान् जी ग्राम-लखनपुर कांदू परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के निवासी श्री सलीम पुत्र श्री हबीब अली की गाटा संख्या-97 की जमीन (खेती) है। उक्त जमीन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

फल, फल एवं लकड़ी के वृक्ष लगे हैं। उक्त गाटा से लगा श्री माधो लाल पटेल पुत्र बाबू लाल व जयराम पटेल पुत्र श्री लाला का गाटा का खेत है। श्री माधो लाल पटेल द्वारा श्री सलीम पुत्र श्री हबीब अली की गाटा संख्या 97 के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। आये दिन श्री माधो लाल पटेल और श्री जयराम पटेल द्वारा श्री सलीम को धमकी दी जाती है। श्री सलीम उन दबंग विपक्षीगण द्वारा अपनी खेत की जमीन नहीं छुड़ा पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।]

राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क के बाहर जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाने हेतु वन विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[मान्यवर, राष्ट्रीय दुधवा नेशनल टाईगर सेंचुरी का क्षेत्रफल 400 कि0मी0 में फैला हुआ है पार्क के तीन तरफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छोटे-छोटे काश्तकार हैं। एक तरफ पार्क का हिस्सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्त ग्रामवासीगण एक एकड़ भूमि से लेकर 4 या 5 एकड़ भूमि में खेती कर अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं। उक्त भूमि में मुख्य उपज गेहूं, धान, लाही, मूंगफली, गन्ना व हरी सब्जियों की खेती करते हैं। पार्क की सीमा से लगी भूमि होने के कारण जंगल से बन्दर, हिरन, जंगली सुअर, नीलगाय व हाथियों के झुण्ड के झुण्ड आकर प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों के नुकसान के साथ जंगली जानवर हर वर्ष कई बच्चों व महिलाओं तथा पुरुषों को भी मार देते हैं और उनका शिकार बनाते हैं अगर अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान इनको भगाने का प्रयास करते हैं तो यह जानवर किसानों पर हमला कर देते हैं। जिससे अपनी फसल को इन जंगली जानवरों से बचा पाना कठिन व असम्भव हो गया है जिससे वहां का किसान भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया।

अतः राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क के बाहर इन जंगली जानवरों से गरीब किसानों की खड़ी फसल को बचाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाकर व संघन अभियान चलाकर इन जंगली जानवरों से किसानों की जानमाल व भूमि की खड़ी फसल की रक्षा करने के लिए वन विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

महिला कल्याण निदेशालय के अनुदान अनुभाग में कार्यरत लिपिक को फर्जी नियुक्ति और उसके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषक महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रदेश स्तर पर महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग में कार्यरत वरिष्ट लिपिक जो अनुदान अनुभाग में पटल सहायक के रूप में कार्यरत था, को तत्कालीन निदेशक को गुमराह करके निदेशालय में वरिष्ट सहायकों के उपलब्ध होने के बावजूद जातिवाद के आधार पर अनुदान अनुभाग अधीक्षक के रूप में तैनात करा दिया गया। परिणामस्वरूप कथित प्रभारी अधीक्षक अनुदान अनुभाग द्वारा प्रस्तावों में कमियों को देखते हुए सम्बन्धित संस्थाध्यक्षों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर फोन करके बुलवाया जाता है और कमियों को पूर्ण करवाकर राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति की बैठक में रखने हेतु प्रति प्रस्ताव रुपये 20,000/-की धनराशि ली जाती है। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर उक्त धनराशि दी जाती है और तब प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने की संस्तुति कर दी जाती है। इस लिपिक का स्थानान्तरण निदेशक, महिला ने विधि अनुभाग में कर दिया गया था, परन्तु अगले ही दिन निदेशक द्वारा स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया। ऐसा संज्ञान में आया है कि इस लिपिक द्वारा रुपये 50,000/- की धनराशि उच्चाधिकारियों को रिश्वत के रूप में देकर अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त करवा लिया गया। भारत सरकार द्वारा जो धनराशि संस्था वालों को दी जाती है, उसमें से 15 प्रतिशत धनराशि विभाग में प्रभारी अनुदान अधीक्षक द्वारा ले ली जाती है तो महिला का कल्याण कैसे होगा ? अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 में कार्यरत एक समीक्षा अधिकारी को अनुदान-3 से संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनुभाग-1 में तैनात कर दिया गया, फिर उसे सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित कर दिया गया। यदि शासन स्तर पर किसी समीक्षा अधिकारी की शिकायत होने पर उसे समर्पित कर दिया जाता है तो निदेशालय स्तर पर तैनात लिपिक को अनुदान अनुभाग से क्यों नहीं हटाया जा सकता ? जबकि इस लिपिक द्वारा समाज कल्याण विभाग में तैनाती अवधि में स्टोर कीपर रहते हुए लाखों रुपयों का घोटाला किया गया, की जांच भी ठीक से नहीं कराई गई एवं समाज कल्याण विभाग से महिला कल्याण विभाग में योजनाओं एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप सामानों का हस्तान्तरण भी हुआ, जिसमें से अधिकांश अच्छा-अच्छा सामान इस लिपिक द्वारा अपने घर पर रखवा दिया गया और खराब सामान घर से उठवा कर कार्यालय भिजवा दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

इसकी नियुक्ति भी फर्जी ढंग से की गई थी। इसकी आयु सीमा समाप्त हो जाने के तीन दिन बाद बैक डेट में करके तत्कालीन उप निदेशक द्वारा इसे तदर्थ नियुक्त करके छुटमलपुर (सहारनपुर) में तैनात कर दिया और कुछ दिन बाद एक साक्षात्कार करके नियमित कर दिया। फिर वह अपनी तिकडम से जिले से समाज कल्याण निदेशालय में आ गया। इस लिपिक की जनपद लखनऊ में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अत्यन्त विश्वासपात्र है, उसके द्वारा जो जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र दिया गया है उस समय उस विद्यालय का अस्तित्व ही नहीं था तो उसकी शैक्षिक योग्यता ही शून्य हो गई है। किन्तु इस लिपिक के प्रभाव से निदेशालय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसकी नियुक्ति से लेकर अब तक पूरे प्रकरण की जांच इसे मुख्यालय से दूर जनपद में स्थानान्तरित करके शासन के किसी अधिकारी से कराई जाये एवं इसके आवास पर छापा डलवाकर उपलब्ध सामानों का सत्यापन भी कराया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।]

लखनऊ के महाराजा बिजली पासी किले के आस-पास जहल नामक झील पर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पुराने मानचित्र के अनुसार स्थित यथावत बनाये रखने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कादिर राना-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्रदेश में भू-जल स्तर दिनों दिन गिर रहा है। इस सदन में कई बार इस मामले पर चर्चायें भी हो चुकी हैं जिससे ऐसा प्रतीत हुआ है कि सरकार इस मामले में गम्भीर है तथा अधिकारियों के इस मामले में आदेश-निर्देश भी दिये होंगे मैं आपके संज्ञान में जनपद लखनऊ स्थिति महाराजा बिजली पासी किला अगल-बगल सैकड़ों एकड़ में जहल नामक झील थी जिस पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया और तो और विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा भी जहल झील पर कब्जा करके कालोनी का निर्माण करा दिया जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार सरकार ने ऐसे निर्देश दिये हैं कि तालाब, झील, कुआं, पोखर आदि पर कब्जा न किये जायं तथा जहां पर अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाकर मूलस्वरूप दिया जाय सरकार को उसी क्रम में जहल झील के ऊपर बनी विकास प्राधिकरण कालोनी को हटाकर जहल झील का पुरानी स्थिति में स्वरूप लाने के निर्देश देने चाहिए। यह झील इस समय मात्र 70 से 100 बीघे में शेष बची है बाकी झील पर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कराकर आवंटन किया है जो नियमों के विरुद्ध है सरकार को झील पर कब्जा करके कालोनी का निर्माण कराये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए झील को पुराने मानचित्र में स्थिति अनुसार यथास्थिति बनाये रखने के कार्यवाही करनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जनहित के लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार को कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद महामाया नगर के कस्बा सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[जनपद महामायानगर का कस्बा सादाबाद, तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ अनेकों सरकारी कार्यालयों, बैंक, विद्यालयों को धारित करने के साथ-साथ लगभग 300 ग्रामों के लिये मुख्य व्यापारिक केन्द्र भी है। यह कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर अवस्थित है।

सादाबाद पूरी तहसील कृषि प्रधान है और जहां भूसे की बुर्जियों, बाजरा की करब के भण्डार, खलिहान, फूस के छप्पर व मकानों में अग्निकाण्ड की घटनायें अक्सर होती रहती हैं किसी भी आकस्मिक अग्निकाण्ड होने पर हर वर्ष भारी जन-धन की हानि होती है।

अतः उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु कस्बा सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं सादाबाद कस्बा, जनपद महामायानगर में अग्निशमन केन्द्र स्थापना की शासन से मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में विचाराधीन लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना हेतु धन अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन सुरक्षित है एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है सिंचाई के पानी अभाव में क्षेत्र के 55 गांव प्रभावित हैं व हर ओर पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। गोवर्धन क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र साधन सब डिवीजन लोअर आगरा कैनाल मथुरा है क्षेत्र में लालपुर माइनर के माध्यम से आगरा नहर के किमी0 131.670 बाये किनारे से अडींग रजवाहा से के किमी0 23.058 पर जल उपलब्धता हेतु लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना जिसकी की अनुमानित लागत रुपये 48.75 लाख है, विभाग में काफी दिनों से विचाराधीन है। जिसमें कि मा0 सिंचाई मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे बुधवार के जवाब में स्वीकार किया है। इस कार्य की महत्वपूर्णता को देखते हुये तुरन्त धनराशि मुक्त करायी जानी अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बागपत में मण्डी विभाग द्वारा बनाई गई सभी सड़कों की जांच तथा पुनः निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौकब हमीद-

[जनपद बागपत उत्तर प्रदेश का कृषि प्रधान जनपद है। मान्यवर, जनपद बागपत में दो मुख्य मण्डी बड़ौत एवं खेकड़ा मण्डी परिषद् विभाग उ0 प्र0 की है इनमें किसानों को अपना माल बेचने के लिये मण्डी परिषद् उ0 प्र0 द्वारा पेन्टिंग मार्गों का निर्माण कराया जाता है परन्तु मण्डी विभाग की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है सड़कें बनने के कुछ ही समय बाद टूटनी शुरू हो जाती हैं ऐसे जनपद में अनेकों सड़कें हैं जिनके बने एक वर्ष से दो वर्ष ही हुये हैं और ये वाहन चलने लायक नहीं रही तथा दूसरी और मण्डी विभाग के जनपदीय अधिकारी प्रतिवर्ष नये मांगों का चयन करते हुए इन पर लेपन स्तर की सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं जिनका निर्माण स्तर बहुत ही घटिया है जनपद की अधिकतर मण्डी विभाग की दो तीन वर्ष पुरानी सड़कें वाहनों के चलाने लायक नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत की सभी मण्डी विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की जांच करने तथा इनके पुनः निर्माण/मरम्मत कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैर वाणिज्यिक कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय,

जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 1 हार्सपावर, 2 हार्सपावर, 3 हार्सपावर तक के घरेलू उपयोग के कनेक्शन स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। जिसका कारण राज्य विद्युत निगम द्वारा लगाई गई रोक विभाग द्वारा बताई जाती है। यदि 3 हार्सपावर के कनेक्शन स्वीकृत किये जाते हैं तो वह वाणिज्यिक श्रेणी में स्वीकृत किये जाते हैं जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिक दरें देनी पड़ती हैं और उपभोक्ताओं को गम्भीर परेशानी का सामना पड़ता है विशेषकर एस0डी0ओ0 कार्यालय पट्टी के उपखण्ड अधिकारी स्तर पर उपरोक्त श्रेणी के कनेक्शनों पर अवैध धन की मांग की जाने की भी प्रायः जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जन-सुविधा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाचार-पत्रों के माध्यम से विभाग प्रचार-प्रसार कर 1 हार्सपावर, 2 हार्सपावर, 3 हार्सपावर के गैर वाणिज्यिक कनेक्शन ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्वीकृत कराये जायें जिससे जनहित प्रभावित न हो।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

शाहजहांपुर में तैनात सूचना प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी का शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर जनपद से 2 प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ प्रदेश गृह विभाग को इस आशय से वर्ष 2006-07 में भेजे गये कि इन दोनों प्रार्थियों के शस्त्र लाइसेन्स की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष कर दी जाय। ये हैं-1-श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, सीनियर टेक्नीशियन, यमुना नगर, हरियाणा। यह भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी हैं, इनकी आल इण्डिया सर्विसेज के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत वर्ष में कहीं भी स्थानान्तरण हो सकता है। जब इनकी तैनाती शाहजहांपुर में थी तब इनका शस्त्र लाइसेंस बना था। सीमा विस्तार न होने के कारण इनका शस्त्र लाइसेंस शस्त्र विक्रेता की दुकान पर जमा कराया गया। 2-श्री विनय चन्द्र सेठ, नि0 मोहल्ला मस्जिदगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर यह मेसर्स काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स के पार्टनर हैं इनका परिवार शाहजहांपुर रहता है। इस फर्म की आल इण्डिया शाखायें हैं। इनको सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का जनपद शाहजहांपुर से जारी किया गया था परन्तु सीमा विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष न होने के कारण यह भी अपना शस्त्र लाइसेंस अपने साथ में भ्रमण के दौरान नहीं रख पाते हैं तथा अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले कई महीनों से गृह विभाग उ0प्र0 द्वारा कई सूचनायें मांगी गईं जो सूचनायें सम्मिट कर दी गईं परन्तु अभी तक इनके शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार नहीं हो सका है। जनहित में सीमा विस्तार आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को आपके संज्ञान में लाते हुए जनहित में उक्त शस्त्र लाइसेन्सों की सीमा विस्तार उ0प्र0 से भारतवर्ष करने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के एन0एम0एस0एन0 दास कालेज बदायूं में शिक्षकों की नियुक्ति कर बी0एड0 की कक्षायें पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से शिक्षकों के अभाव में एन0एम0एस0एन0 दास कालेज बदायूं में बी0एड0 की कक्षायें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

एन0एम0एस0एन0 दास महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा और पुराना अशासकीय अनुदान प्राप्त कालेज है और सम्पूर्ण जिले में अनुदान प्राप्त कालेज के रूप में केवल इस महाविद्यालय में डी0पी0एड0 की कक्षायें शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा 1971 से लगातार बी0एड0 की कक्षायें चल रही हैं। सन् 1971 से 2005 तक विश्वविद्यालय के द्वारा इस महाविद्यालय की 6 शिक्षक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अनुपात में 60 छात्र आवंटित होते रहे हैं। वर्ष 2005-06 में एन0सी0टी0ई0 जो कि एक केन्द्रीय संस्था है। द्वारा नवीन आदेश के अनुसार किसी भी महाविद्यालय में बी0एड0 कक्षाओं के संचालन के लिये न्यूनतम 8 शिक्षकों की आवश्यकता है और 100 छात्र आवंटित करने की व्यवस्था है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 6 शिक्षकों की नियुक्ति है और 2 पद शासन द्वारा सृजित होने हैं, इस सन्दर्भ में काफी समय से उचित माध्यम से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिक्षकों की कमी के कारण वर्ष 2005-06 से इस महाविद्यालय द्वारा छात्र आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप इस अवधि में बी0एड0 का सत्र शून्य चल रहा है। जिससे इस क्षेत्र के छात्र बी0एड0 की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति कर बी0एड0 की कक्षायें संचालित किये जाने की कार्यवही की मांग करता हूं।]

जल संस्थान लखनऊ द्वारा कराये गये सर्वे में प्रदेश के 51 जिलों में आर्सेनिक युक्त पानी पाये जाने तथा उसकी रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय,

जल संस्थान लखनऊ द्वारा दिल्ली के एक एन0जी0ओ0 के साथ मिलकर कराये गये सर्वे के मुताबिक प्रदेश के 51 जिलों में पानी आर्सेनिक प्रभावित है। यह जिले किसी न किसी नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा हाल ही में कराई गई जांच के अनुसार गोरखपुर, बहराईच, गाजीपुर, चंदौली और बरेली में पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। वहां भूजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.5 माईक्रोग्राम तक पहुंच गई है। बलिया, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, बिजनौर संत रविदास नगर, रायबरेली और गोण्डा के जल नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा खतरे का संकेत दे रही है। मेरठ के साथ ही मुरादाबाद और शाहजहांपुर भी खतरे की जद में है। वाराणसी में गंगा नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है तथा विशेषज्ञों के अनुसार अगर नदी में गन्दा पानी को गिरने से नहीं रोका गया तो कानपुर आदि क्षेत्रों का प्रदूषित जल नदी में मिलने से नहीं रोका गया तो भविष्य में स्थिति गम्भीर हो जायेगी और जल पीने योग्य नहीं रहेगा। जल विशेषज्ञ डा0 मसूद का कहना है कि जिस तरह से जल श्रोतों का दोहन हो रहा है उससे बाहरी जल श्रोत का यहां तक पहुंचना आश्चर्य की बात नहीं है। चर्म रोग विशेषज्ञों के अनुसार अनेकों मरीजों की त्वचा आर्सेनिक के कारण संक्रमित हो रही है। आम जनता को पीने लायक शुद्ध जल की उपलब्धता बनाये रखना अति आवश्यक है क्योंकि आर्सेनिक चर्म रोगों और कैंसर का प्रमुख कारण है। शासन को उक्त विषय को गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही युद्धस्तर पर किये जाने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर लोकहित में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं।]

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा नगर, रक्षापुरम्, श्रद्धापुरी, डिफेंस एन्कलेव नामक आवासीय कालोनियों का निर्माण किया गया है। चारों कालोनियां मेरठ विकास प्राधिकरण की आमदनी वाली योजना है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इन चारों आवासीय योजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने की घोषणा आवंटियों से की थी लेकिन खेद है कि आवासीय कालोनियों का निर्माण हुए 20 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगा है जिसके कारण उपरोक्त सभी कालोनियों में सीवर का पानी जगह-जगह सड़क पर बह रहा है। सीवर का पानी बैक प्रेशर मार रहा है जिसके कारण आम नागरिकों की रसोई एवं बाथरूमों में पानी भर रहा है। नागरिकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है तथा शासकीय एजेन्सी मेरठ विकास प्राधिकरण की विश्वसनीयता एवं साख को भी ठेस पहुंच रही है। तत्काल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण होना चाहिये।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन केन्द्रों तथा दमकलों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा में अग्निशमन दमकल की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद आगरा की आबादी वर्तमान समय में लगभग 25 लाख है। आगरा में 149 बिल्डिंग, 80 पेट्रोल पम्प, 32 गैस एजेन्सियां हैं। आगरा में आग बुझाने के लिये मात्र सात दमकल हैं। ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरूआत हो चुकी है, ऐसे समय में प्रतिदिन औसतन आधा दर्जन से अधिक आगजनी की घटनायें होती रहती हैं। सीमित संसाधनों और शासन द्वारा अग्निशमन केन्द्रों को समय से अनुकूल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न किये जाने से अग्निकांडों पर काबू पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में करीब 330 हाइड्रेट प्वाइन्टों में से केवल 70 ही ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। शहर में बढ़ती गर्मी के चलते आग पर काबू पाने के लिये सिर्फ पांच गाड़ियां ही हैं। अग्निशमन दमकलों के अभाव में आग लगने की घटनाओं पर काबू न पाने की स्थिति में काफी क्षति हो जाती है। जनहित में जनपद आगरा की आबादी को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन केन्द्रों एवं दमकलों की संख्या को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा में अग्निशमन केन्द्र एवं दमकलों की संख्या को बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल स्तर गिरने से पुराने हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल का स्तर 60 से 90 मीटर तक पहुंच गया है सारे पुराने हैण्डपम्प खराब हो गये हैं रिबोर अपेक्षित मात्रा में नहीं हुए हैं जो 225 विधायक के प्रस्ताव पर दिये गये हैं वे भी पूरे नहीं लगे हैं तथा पर्याप्त भी नहीं हैं। अतः जनहित को ध्यान में रखकर 150 हैण्डपम्प अतिरिक्त देने का कष्ट करें।

अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ सदर क्षेत्र में वेलवा बनहरा मार्ग टौंस नदी पर दो पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेलवा बनहरा मार्ग टौंस नदी पर पुल का कार्य रोक दिया गया है। इसी प्रकार मिल्कीपुर, खोजापुरा, हासापुर मार्ग टौन्स नदी के पुल का निर्माण भी रुका पड़ा है। यह दोनों पुल पहले से स्वीकृत हैं और इन पुलों पर काफी कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा चुका है। परन्तु अधूरा रहने से आवागमन बाधित हो रहा है और आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। यह जनहित एवं लोकमहत्व का विषय है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल दोनों पुलों के निर्माण समयबद्ध तरीके से कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का 22.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अंश से अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत रोजगारपरक के अन्तर्गत शासनादेश के तहत लाभ देने में अधिकारियों की सांठ-गांठ से भारी पैमाने पर हेरा-फेरी की गई है। गरीब दलितों को स्वावलम्बी एवं रोजगारी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये कागजों पर व्यय कर दिये गये परन्तु दलित ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा पम्पिंग सेट क्रय किया गया है जो शासनादेश के रोजगारपरक नीति में नहीं आता है। सैकड़ों पम्पिंग सेट बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर अपने चहेते डीलरों से कोटेशन मांग कर उन्हीं से क्रय किया गया है। अधिकांशतः पात्र व्यक्तियों को लाभ न देकर अन्य व्यक्तियों को इसका लाभ दिया गया है जो पम्पिंग सेट वितरण किये गये हैं उसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। जबकि उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है। लाभार्थियों को जो पम्पिंग सेट दिये गये हैं जिला पंचायत ने 20,500/- रुपये में नकद क्रय करके दिया है जबकि बाजार से डीलरों के यहां कृषकों द्वारा नकद खरीदने पर कम मूल्यों पर क्रय किया जाता था। पम्पिंग सेट वितरण में दलितों के साथ इस प्रकार की विषमता किन परिस्थितियों में की गयी है। जबकि जिला पंचायत ने अधिक इंजन क्रय किये हैं तो उन्हें सस्ते रेट में पम्पिंग सेट मिलना चाहिए था। इससे प्रतीत होता है कि पम्पिंग सेट की क्रय प्रक्रिया संदिग्ध है। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में सूकरबाडों के नाम पर जो धनराशि आवंटन की गयी थी अधिकांशतः अभी तक सूकरबाडे निर्मित नहीं हो पाये हैं जो निर्मित भी हुए हैं, वह मानक के अनुसार नहीं हैं और न ही सूकरबाड़े चल रहे हैं। इस प्रकार सरकार की सारी योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गयी हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उन्हें इसका अभी तक लाभ नहीं दिया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

श्री आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा की जान को खतरा देखते हुये उनकी तथा परिवार को विशेष सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुल्तान बेग-

[मान्यवर, आपसे अनुरोध यह है कि माननीय सदस्य, विधान सभा डा0 आर0 ए0 उस्मानी जब दिनांक 10-3-08 को सदन में थे तब उनके मोबाइल फोन नं0 9415172650 पर मोबाइल नं0 9792227998 से जान से मारने की धमकी मिली तथा चेतावनी दी कि अगर धौरहरा लोक सभा क्षेत्र में देख लिया तो गोली मार दूंगा। सदन में विधायक जी के होने के कारण मोबाइल गनर नवाब हसन व ड्राइवर श्री मम्मा अंसारी के पास था। दोनों ने धमकियां सुनीं हैं जिसकी प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए मा0 सदस्य ने हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ को लिखित तहरीर दे दी है तथा उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। अभी तक अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। मा0 विधायक श्री डा0 आर0 ए0 उस्मानी तथा उनके परिवार को निरन्त खतरा बना हुआ है। मैं माननीय विधायक तथा उनके परिवार को सुरक्षा (विशेष सुरक्षा) दिये जाने की मांग करता हूं।]

मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आर0 पी0 सी0 धारा 433ए के तहत 14 वर्ष की सजा काटे बन्दियों को रिहा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

[मान्यवर,

बंदियों के समय पूर्व मुक्ति हेतु सभी राज्यों को आई0पी0सी0 की धारा 54 व 55 तथा सी0आर0पी0सी0 की धारा 432 तथा 433ए के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार प्रदत्त किया है जिसके तहत भारत सरकार ने प्रथम लोक सभा अधिवेशन में सर्वसम्मत से यह आदेश भी पारित किया है कि सभी राज्य स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आजादी के सम्मान हेतु अपने-अपने राज्यों से जेल में बन्द बन्दियों की राजा को लघुकृत कर उन्हें जेल से रिहा करके आजादी का सम्मान करें।

अभी निकट भविष्य में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर, 2007 में मा0 न्यायमूर्ति एम0बी0 सिन्हा एवं एच0एस0 बेदी के केस में हरियाणा सरकार द्वारा बन्दियों के मुक्ति-नीति को सही ठहराया तथा भारतीय संविधान के अनुिच्छेद-161 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल की क्षमा शक्ति को उचित तथा सही माना है।

वर्ष 2000 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा विवादित द्वय शासनादेश क्रमशः 90/22-2-2000-18(64)/99, दिनांक 11 जनवरी, 2000 तथा शासनादेश संख्या 231/22-2-2000-18(64)/99, दिनांक 25-1-2000 दोनों विरोधाभाष शासनादेश को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन नं0 5039/2000 मिर्जा हुसैन दिनांक 21-9-2001 को उपर्युक्त जी0ओ0 को निरस्त कर दिया, जबकि शासनादेश सं0 1951/22-2000-18(75)/2000, दिनांक 11-8-2000 के शासनादेश को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया है।

यह कि जनवरी के विवादित शासनादेश को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने का आधार मानकर वर्ष 2001 से विगत 7 वर्षों से 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को बंदियों की सजा में छूट न देकर, न छोड़ा जाना उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को बंदी शासन द्वारा अपने छूटने की आस लगाये बैठे रहते हैं। जब शासन द्वारा कोई छूट नहीं आती है तो उन्हें घोर निराशा होती है।

मा0 सुप्रीम कोर्ट ने भी आजीवन बंदियों को जिन्हें सी0आर0पी0सी0 धारा 433ए के तहत जिन बंदियों ने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है उन्हें अपने आदेश से रिहा किया है तथा राज्य सरकारों को भी 14 वर्ष सजा काटे बंदियों को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः श्रीमान जी से पुन विनम्र प्रार्थना है कि बंदियों की परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए 14 वर्ष की सजा का समय निर्धारित की जाय तथा अन्य बंदियों को भी अपने विवेक से दया प्रदान की जाय।

कृपया ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।]

कुशीनगर के विद्युत सब-स्टेशन फाजिलनगर में दो विद्युत कर्मियों को कार्य करते समय हुई मृत्यु पर मृतक आश्रित परिवार को नौकरी तथा सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर दिनांक 9-3-08 को मेरे विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर जनपद कुशीनगर के विद्युत सब-स्टेशन फाजिलनगर का विद्युत कर्मी विजय पाण्डेय और उस क्षेत्र का लाइन मैन दोनों ही धनहा ग्राम में स्थित विद्युत लाइन ठीक कर रहे थे। विजय पाण्डेय पोल पर चढ़कर तार जोड़ रहा था। उसी समय विद्युत प्रवाहित कर दी गयी जिससे विजय पाण्डेय विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण मृत्यु का शिकार बना। इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही करके उक्त कर्मी की जान ले ली गयी विभागीय स्तर पर न तो कोई मृतक परिवार को सहायता दिया गया और न ही दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों में इस प्रकरण को लेकर के काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए मृतक परिवार को नौकरी में लिये जाने एवं सहायता के रूप में दस लाख रुपये दिये जाने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

लखीमपुर खीरी ऐरा रोड ग्राम रामापुर से उल्ल नदी के रपटा पुल तक जाने वाली अर्धनिर्मित सड़क को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, ऐरा रोड ग्राम रामापुर ब्लाक लखीमपुर से एक सड़क उल्ल नदी के रपटा पुल तक जाती है जो पूरी कच्ची मिट्टी से बनी है। इस सड़क का एक कि0मी0 भाग पक्का कर दिया गया है। शेष भाग अब भी कच्चा है और बरसात में कट कर चलने फिरने लायक नहीं रह गया है जबकि इस रास्ते पर रपटा पुल क्रास करके उल्ल नदी के उत्तर के निवासियों का आवागमन बाधित हो रहा है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर समस्या के समाधान हेतु पक्की सड़क बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली मिश्रित के थाना प्रभारी का अन्यत्र स्थानान्तरण कर इनके द्वारा किये गये कार्यों की उच्चस्तरीय जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद सीतापुर के कोतवाली मिश्रित के प्रभारी द्वारा निर्दोष लोगों को जबरिया पकड़ कर फर्जी तरीके से प्रताड़ित किये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 28-29 जनवरी, 2008 की रात्रि में दिलीप दीक्षित व अन्य दो व्यक्तियों को थाना मिश्रित पुलिस पकड़ करके ले आयी और फर्जी तरीके से पुलिस मुठभेड़ में यह दिखाया कि इनको जंगल नरायनपुर से पकड़ा गया है और यह लूट के उद्देश्य से घटना 31 जनवरी, 08 की दिखाई गयी है। दिलीप के परिवार वालों द्वारा फैक्स/टेलीग्राम के माध्यम से प्रमुख सचिव, गृह व डी0एम0 सीतापुर को 29-1-08 को लिखित रूप से सारी स्थिति की जानकारी दी और आशंका भी जाहिर किया कि पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। अपराध सं0-67/08, 68/08, 69/08 थाना मिश्रित में इन लोगों को जेल भेज दिया इसमें थाना मिश्रित के प्रभारी हरी लाल कर्दम की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही है इनके ही द्वारा जान-बूझ कर यह सारी कार्यवाही प्रताड़ना के रूप में की गयी है। इस तरह से तमाम घटनायें प्रभारी द्वारा सम्भ्रान्त परिवार के लोगों के साथ जान-बूझ कर कराया जा रहा है और धन वसूली, पेड़ों के कटान, गाड़ियों से माहवार वसूली, व्यापारियों का उत्पीड़न, राजनेताओं को परेशान करना आदि इनकी कार्यशैली बन गयी है। इससे स्थानीय लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञा में लाते हुए तत्काल थाना प्रभारी को जिले से बाहर हटाकर इनके द्वारा किये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी से गोला कोतवाली में मा0 सदस्य श्री अरविन्द सिंह के विरुद्ध झूठे मुकदमें को लिखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरविन्द गिरि-

[मान्यवर,

अनुरोध है कि जहां पिछले सात-आठ महीनों से आधार हीन झूठे मुकदमें कायम कराये जा रहे हैं उसी श्रृंखला में एक और झूठा मुकदमा अपराध सं0-129/208 धारा-147, 323, 504, 506 अरविन्द गिरि, विधायक प्रतिनिधि विजय पाठक, विजय मिश्रा व पालिका कर्मचारी गोपाल मिश्रा के विरुद्ध आधारहीन मुकदमा कायम किया गया जबकि उस घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कल लगभग अपराह्न ढाई बजे सदन के बाहर निकला तो ज्ञात हुआ कि गोला कोतवाली में मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया है। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उप जिलाधिकारी, गोला के पत्र दिनांक 4 मार्च, 2008 के अनुपालन में पालिका सफाई कर्मी, सफाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नायक व अन्य अधिकारी 5 मार्च, 2008 को महाशिवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए पवित्र तीर्थ के चारों तरफ अनाधिकृत दुकानें आदि हटाने गये थे दुकानदारों पालिका कर्मियों के आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीर्थ के चारों तरफ सफाई और अतिक्रमण हटाने का कार्य सम्पन्न हुआ। किन्तु 8 मार्च, 2008 को मनोज आदि कुछ लोगों ने पुनः तीर्थ पर अनाधिकृत रूप से दुकानें लगाई जिसे 9 मार्च, 2008 को पालिका कर्मियों ने पुनः हटवाया इसी दौरान मनोज आदि ने सफाई कर्मियों को डराया धमकाया जाति सूचक शब्द कहे किन्तु मौके पर स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर से प्रकरण समाप्त हो गया। पालिका सफाई कर्मियों में रोष था। अतः प्रभारी अधिशासी अधिकारी द्वारा उनके प्रार्थना-पत्र को क्षेत्राधिकारी गोला, व प्रभारी निरीक्षक गोला को रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने हेतु भेजा गया किन्तु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोला द्वारा उनके प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट व कार्यवाही न करके कुछ लोगों के दबाव में उल्टे झूठा व आधारहीन उक्त मुकदमा हम लोगों पर कायम किया गया।

आपसे मांग करता हूं कि झूठे मुकदमें लिखे जाने की श्रृंखला तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक झूठे मुकदमें लिखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं होगी। अतः दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही पालिका कर्मचारियों का मुकदमा लिखा जाय एवं आधारहीन लिखा गया झूठा मुकदमा समाप्त किया जाय साथ ही उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु औचित्य के रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें।

जौनपुर के गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में बधवा में शहीद स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[महोदय आजादी की लड़ाई में जौनपुर जनपद में गड़वारा विधान सभा में महराजगंज ब्लाक में बधवा में गोली काण्ड में हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राय अम्बिका सिंह, गौरी शंकर पाठक, राज नारायण सिंह आदि लोगों ने अंग्रेज पुलिस को गोली मारी थी जिससे उपरोक्त को फांसी की सजा सुनाई गई। आज वह स्थल बधवा उपेक्षित है। अतः वहां शहीद स्मारक बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः आवश्यक निर्देश हेतु उचित कार्यवाही हेतु मेरी 301 की सूचना स्वीकृत करने की कृपा करें।]

लखनऊ, सीतापुर रोड स्थित तपस्वी नगर मुहल्ले के अधूरे डामरीकरण के कार्य को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर,

तपस्वीनगर (देवकी अस्पताल के पीछे) सीतापुर रोड, लखनऊ में केवल रोड के सामने वाली सड़क का ही डामरीकरण किया गया है जबकि पूरे मुहल्ले के डामरीकरण की स्वीकृति हुई थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छोटा मुहल्ला है जिसमें छः सात-सात छोटी-छोटी गलियां हैं जिनका खड़न्जा बहुत पुराना है, तथा पूरी तरह से धंस गया है और क्षतिग्रस्त है जिसके कारण पानी के पाइप जगह-जगह से टूट गये हैं जिस कारण पानी और कीचड़ गलियों में भर जाता है। गन्दगी से मच्छरों एवं बीमारियों का प्रकोप है। अतः तपस्वीनगर मुहल्ले के अधूरे डामरीकरण के कार्य को तत्काल पूर्ण कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।]

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-594/ग्यारह-9 (295)/07 उ0प्र0 अध्या0-37-2007-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(6)/2008, दिनांक 25 फरवरी, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन††

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ए (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में लगातार व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन माननीय सभापति प्रस्तुत करें।

सभापति जी, प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगली मद लेता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन ††

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद जी अपनी याचिकायें सदन में रखें।

श्री राम विशुन आजाद जी अपनी याचिकायें उपस्थित नहीं कर रहे हैं अब मैं अगली मद लेता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापा नहीं गया।

जनपद बागपत के ग्राम बावली लोयन धनौरा सिल्वर नगर आदि क्षेत्रों में नये 33/11 भार क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र मलिक आदि के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

*डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद बागपत में ग्राम बावली लोयन, धनौरा सिल्वर नगर, ककोर कला, मुकन्दपुर, बरवाला, मीतली, ओसिका, बिलोचपुर तथा गौसपुर में नये 33/11 भार क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री सुरेश मलिक तथा श्री सुखवीर सिंह गठना, निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10

इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री आर0ए0 उस्मानी जी अपनी विशेषाधिकार की बात रखें।

(माननीय सदस्य द्वारा अपनी बात न रखने पर)

जनपद कुशीनगर में ब0स0पा0 द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2008 को आयोजित किसान रैली में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने वक्तव्य का निर्देश दिया था आपकी अनुमति हो तो मैं वक्तव्य को रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

उक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06-3-2008 को बहुजन समाज पार्टी द्वारा कस्बा रामकोला अन्तर्गत खेतान चीनी मिल, केन वार्ड में किसान मजदूर महारैली का आयोजन किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में मजदूर महारैली को श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी मा0 मंत्री लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, श्री फतेह बहादुर सिंह मा0 मंत्री, वन एवं जन्तु उद्यान विभाग, श्री जमुना निषाद, मा0 मंत्री मत्स्य एवं सैनिक कल्याण व अन्य महानुभावों द्वारा सम्बोधित किया गया था। मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग के भाषण के दौरान खेतान चीनी मिल के धरनारत कतिपय कर्मचारीगण, श्री राकेश राम त्रिपाठी के नेतृत्व में अपने हाथों से गन्ना लेकर मंच की ओर जाने लगे तो मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी सदर/तमकुहीराज एवं थानाध्यक्ष रामकोला द्वारा शान्ति व्यवस्था की दृष्टिकोण से उनको समझा बुझाकर वहीं रोक दिया गया। किसानों द्वारा ज्ञापन देने जा रहे मजदूरों पर किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग अथवा लाठी चार्ज नहीं किया गया और न ही कोई किसान मजदूर घायल ही हुआ। उक्त किसान मजदूर महारैली

पूरी तरह शान्ति पूर्वक लगभग 5.15 बजे सकुशल सम्पन्न हुई। मा0 मंत्रीगण व अन्य महानुभाव उक्त समय तक वहां से प्रस्थान कर गये। रैली समापन के बाद 4-5 व्यक्तियों द्वारा ब0स0पा0 द्वारा लगाये गये झण्डे व बैनरों को हटाया जाने लगा। उक्त सूचना प्राप्ति पर थानाध्यक्ष रामकोला श्री अमर सिंह तत्काल मौके पर पहुंच कर उक्त 4-5 लोगों को समझा बुझाकर हटाना चाहा व न हटने पर दो व्यक्तियों सर्वश्री भानु प्रताप गोविन्द राव पुत्र कृपाल गोविन्द राव निवासी नगर पंचायत नं0-6 रामकोला एवं रवि पुत्र किशन खरवार को धारा (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सायं 7.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना रैली समापन के बाद व मा0 मंत्रीगण व अन्य महानुभावों के आने के बाद घटित हुई। दिनांक 06-3-2008 को उक्त रैली के दौरान न तो गन्ना किसानों पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज किया गया न ही उनके विरुद्ध कोई अभियोग ही पंजीकृत किया गया है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदी पुरम् मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार से तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरकार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार से तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदी पुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक और प्रस्ताव है।

यह सदन प्रस्ताव करता है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदी पुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक

11 मार्च, 2008 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदी पुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 मार्च, 2008 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(शोर के मध्य)

(माननीय सदस्यगण वेल में खड़े होकर बापू हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं के नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये विधान सभा के एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य तथा एक मुस्लिम शिया सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा 3(3)(घ) एवं (ङ) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा 3(3)(घ) एवं (ङ) के अनुसार एक मुस्लिम सुन्नी सदस्य एवं एक मुस्लिम शिया सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उ0प्र0 डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को वापस लिये जाने की अनुमति देने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2008 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2008 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में उपस्थित सदस्य बापू तेरा यह अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान के नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008†† **

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

---

† दिनांक 31-3-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है

†† दिनांक 31-3-2008 में असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

(बेल में उपस्थित माननीय सदस्य बापू हम शर्मिन्दा है, तेरे कातिल जिन्दा हैं बापू तेरा यह अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये जाने के कारण सदन में घोर व्यवधान होता रहा जिससे श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

गोरखपुर में भाजपा सांसद द्वारा राष्ट्रपिता बापू के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आप लोग बैठिये। बताइये आजम खां साहब।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, अच्छा हो, यह प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें। मान्यवर, नेता, विरोधी दल ने आपसे एक आग्रह किया और आपने उसे स्वीकार कर लिया। उसे स्वीकार करते हुए आपने मा0 प्रमोद तिवारी जी को बोलने का समय दिया। मैं तो यह चाहूंगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न, कोई भी न बनाये। आपने क्योंकि उन्हें एलाउ कर दिया था और वह बोलने के लिये खड़े हो गये थे। 2 मिनट मा0 तिवारी जी बोल लेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा इन्कलाब नहीं आया जा रहा है जिससे डरा जाए, बहुत घबराया जाए। किसी पर कोई आफत नहीं टूटने वाली है। उन्हें एक मिनट सुन लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी की बात पर, मैंने मा0 [illegible] प्रतिपक्ष जी का आदर करते हुए, लोगों से निवेदन भी किया कि नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया तो स्पष्टीकरण दे दें तो मैंने उनको अभिव्रत कर लिया, लेकिन आपने माहौल देखा है ? इसलिये मैं बात भी करना चाहता था कि आप लोग मान कर लें, कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाये। मैं तो चाहता था कि आज

सौहार्द के वातावरण में सब लोग जायें, आप लोगों की विदाई हो, एक प्रेम व्यवहार से सब लोग जायें। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की दुआयें मिलें, सभी सदस्यों को नये सदस्यों को, हमने तो यह वातावरण बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन नहीं बनने देगा कोई तो आप ही बताइये, आजम खां साहब, आप ही कुछ बताइये। मैंने तो पूरी कोशिश किया था।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, चेयर की ओर हम कोई इशारा कर नहीं सकते, इतना हम जानते हैं, लेकिन आप को स्वयं सोचना चाहिये कि सदन जो अव्यवस्थित हुआ है, वह किसके कारण हुआ है, यह खुद आप सोचिये। आप सही फैसला ले रहे थे और लिया, तो क्या वजह हुई इस पर सोचिये कि कहां, किसने अव्यवस्था की, यह आप सोचिये। कह नहीं सकता, अगर आप बुला लें अभी, मैं कह दूंगा। इतना हम देख रहे हैं, अगर आप से भी कोई ऐसे आंख दिखा कर बात करे तो हम नहीं पसंद करेंगे। यह अव्यवस्थित किसने किया है, किसकी वजह से हुई है, यह आप सोचिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश सिंह जी,

(भाजपा के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। अगर तिवारी जी खड़े हो रहे हैं तो इतना आक्रामक नहीं, एक चीज तो सुन लें। चौधरी साहब आप बैठिये। आप लोग तो ऐसी हड़बड़ी दिखा रहे हैं जैसे आज के बाद से प्रमोद तिवारी से आपकी सलाम ही नहीं होगी। आप इतना कटुता मत बढ़ाइये, ठीक है, चौधरी जी आप बैठ जाइये, मैं ओम प्रकाश जी से कह रहा हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

ऐसे सदन को हाई जैक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हाई जैक कोई नहीं कर रहा है, हाई जैक नहीं हो रहा है, अच्छा आप बैठ जाइये, चौधरी जी। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी ने उठाया, आप सभी लोगों के विचार आये, मैंने स्वागत किया है और पूरे सदन ने स्वागत किया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति, सबके मन में आदर भाव हैं, मा0 प्रमोद तिवारी जी कुछ मसले पर स्पष्टीकरण देने के लिये खड़े हो गये थे, उस समय भी माहौल थोड़ा हल्ला-गुल्ला का था तो मा0 नेता, प्रतिपक्ष जी खड़े हुए और कहा कि 5 मिनट का समय दे दें वह स्पष्टीकरण दे दें कि व्यक्तिगत तौर पर कुछ आरोप, ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जो मुझको कष्ट है, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जो मेरे प्रति हो रहा है। व्यक्तिगत में कहा, अगर उनका व्यक्तिगत नहीं है तो आप विरोध करते। अब वह स्पष्टीकरण के

लिये नेता प्रतिपक्ष ने सिफारिश की थी और उनकी बात को मैं मान गया कि दो मिनट के लिये प्रमोद तिवारी जी कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं और जब नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे और भी माननीय नेता बैठे थे तो बहुत सुकून था कि एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बनाने वाले सब लोग बैठे हैं। आज बस इस मसले पर मुद्दा आ गया है कि वह कुछ सफाई देना चाहते थे, इधर से भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं साहब वह नहीं बोलने पावें और व्यक्तिगत तौर पर हम लोग तिवारी जी को बोलने नहीं देंगे। यह माहौल देखते हुए मैंने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। एक क्रम लगने लगा कि एक बार वेल में कांग्रेस के माननीय सदस्य आ गये, फिर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य आने के लिये तैयारी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य तो इस व्यवस्था पर गये कि नहीं दल के नेता को बैठाने की क्या आवश्यकता है। जब आप एक निर्णय ले लिये हैं तो उनको बोलने का मौका मिले, स्पष्टीकरण तो दे दिये। यही परिस्थिति है, अब आप लोग जैसा निर्णय लें, करना आप सब लोगों को है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उस समय मैंने केवल इतना ही कहा था और अभी भी वही कह रहा हूं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष का पद के नाते भी और व्यक्तिगत नाते भी उनके प्रति कितना सम्मान है वह स्वयं जानते हैं और मैं आज भी सम्मान व्यक्त करता हूं। प्रमोद तिवारी जी के बारे में हमने यही कहा कि हुकुम सिंह जी न तो उनका नाम लिये, न उनके दल का नाम लिये, न केन्द्र सरकार का नाम लिये, किसी पर कोई आक्षेप तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने जनरल अपनी बात कही। तो फिर सफाई किस मुद्दे पर। या तो कहें कि सफाई वह इसलिये दे रहे हैं कि हुकुम सिंह जी ने जो बात कही उसको वह अपने ऊपर आक्षेप मान रहे हैं। उसी पर सफाई देना चाहते हैं। या उन बातों को वह समझ रहे हैं कि यह उनके लिये कही गई है। इसलिये वह आक्षेप मानते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

कार्यवाही देख लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने उस समय भी कहा था कि कार्यवाही देख लें, अब भी कह रहा हूं। और पुनः कह रहा हूं कि हुकुम सिंह जी का न तो प्रमोद तिवारी जी के प्रति कोई आक्षेप है, न कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई आक्षेप है, न कांग्रेस के किसी नेता के प्रति आक्षेप है, न केन्द्र सरकार के प्रति आक्षेप है इसलिये हुकुम सिंह के कथन पर कोई सफाई देने का अवसर किस प्रश्न पर बनता है, मुझे यह वह बता दें या आप मुझे संतुष्ट कर दें। मेरा केवल इतना ही कहना था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल केवल समाजवादी पार्टी का ही नेता नहीं होता है। नेता विपक्ष जितने विपक्ष में यहां दल बैठे हुए हैं उन सबका नेता होता है। यह परम्परा है और यह ओम प्रकाश सिंह जी जानते होंगे अच्छी तरह से, कि जब ऐसा सवाल आया है, बी0जे0पी0 को अच्छी और सही बात कहने का मौका आया, नहीं बोलने दिया तो हमने कहा कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को समय दीजिये, तो आपने समय दिया है। माननीय हुकुम सिंह जी का मैं आदर

करता हूं सदन के अन्दर हम भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं वह भी बुरा नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि हम बुरा नहीं मानते हैं लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी आप देख रहे होंगे कि आप वहां राज कर रहे, आप यह कर रहे, आपने असली किसी की हत्या की है तो आपने की है गांधी जी की इनको क्या अधिकार है, तो यह शब्द था वो, चाहे इशारा हो या कुछ भी हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। यह इशारा माननीय प्रमोद तिवारी पर था। तो मैंने सोचा कि अगर वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आप दो मिनट का समय दे दीजिये। बस इतना ही तो मामला है और मैं यह मानता हूं माननीय ओम प्रकाश जी को, माननीय हुकुम सिंह जी को, आप यह कह देते कि जो समय मैंने दे दिया, दे दिया। यह कभी उल्लंघन नहीं कर सकते, मैंने सदन में देखा है। इतना उनका अनुशासन है। यह मैं स्वीकार करता हूं और इसलिये हमने कह दिया था और जब माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को कोई बात कहनी थी तो हमने कहा और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को आपने समय दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज नहीं मानेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

चौधरी साहब की थोड़ी चलेगी, चलेगी तो माननीय ओम प्रकाश सिंह जी और माननीय हुकुम सिंह जी की चलेगी या अध्यक्ष जी की चलेगी।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। किस लिये गर्म है घर ही तो जाना है। इतना गर्म होकर घर जायेंगे तो इसका असर घर पर न पड़ जाय। माननीय ओम प्रकाश जी बैठ जायें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब दल के नेता को आमंत्रित किया जाय तो यह परम्परा डाल दें कि दल के सदस्य बैठे रहें। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन अगर खड़े हों तो सभी दल के लोग उनका सम्मान करें। यह आज ही के लिये सदन नहीं है, बहुत दिनों तक चलेगा। कई बार ऐसे अवसर आये जब आलोचनायें हुई हैं लेकिन इसी सदन में उसका पटाक्षेप भी हुआ है। कई बार ऐसे वातावरण आयेंगे जब तनाव का वातावरण होगा। ऐसे अवसर आयेंगे जब आलोचनायें होंगी और इसका पटाक्षेप होगा इससे भी गम्भीर अवसर आये हैं जब आदरणीय दल के नेताओं ने बैठकर के इसको सुलझाया है और फिर सदन को चलाने का काम किया है। ओम प्रकाश सिंह जी को मैंने आमंत्रित किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, दो बातें कहूंगा। केवल इसलिये कि नेता, प्रतिपक्ष का सम्मान रहे, इनकी बातों को रखना चाहता है यह हमने महसूस कर लिया। आपकी बात रहे, माननीय नेता प्रतिपक्ष की भी बात रहे लेकिन एक बात कहूंगा, पुनः स्पष्ट करूंगा कि माननीय हुकुम सिंह जी न तो किसी व्यक्ति के बारे में न किसी दल के बारे में और न किसी नेता के बारे में और न सरकार के बारे में कुछ कहा है। नेता जी ने भी यही कहा कि उन्होंने इशारा किया है इसलिये संसदीय परम्परा के नाते उन्हें अवसर मिलना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन की विपक्ष की भावनाओं का प्रतीक होता है इसलिये

उनकी बात का आदर होना चाहिये यह मैं मानता हूं। वह स्पष्टीकरण दे लें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात नहीं निकलनी चाहियें जिससे हुकुम सिंह जी को भी पुनः स्पष्टीकरण देने की बात आये। वरना फिर हम स्पष्टीकरण के लिये आपसे अवसर मांगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तिवारी जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की भावना का जरूर ख्याल करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और बड़ा ही विनम्रतापूर्वक आभारी हूं। आप तो हमेशा से ही सही करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग सही करने नहीं देना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने देख लिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने तो हुकुम सिंह जी को कुछ भी नहीं कहा है। अगर मैं यह कह देता कि हुकुम सिंह बहुत गलत आदमी हैं तो बात होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप सीधे गोल करिये। आप जो यह पैनाल्टी कार्नर के जरिये गोल मारना चाहते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जीवन में जब भी बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कभी भी मुझे इतने डरे हुए लोग दिखाई नहीं पड़े जितने [x x x] के लोग डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह फिर शुरू हो गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग डर नहीं रहे हैं तो बैठ जायें। जो डरता है वही खडा होता है, आप नहीं डर रहे हैं तो बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह तो राम और रावण दोनों का रोल अदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये जानकी जी बची हैं तो उन्हें भी देख लीजियेगा।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं नेता विरोधी दल का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने एक न्यायपूर्वक अनुरोध किया और आपने उसे स्वीकार किया। इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का भी जिन्होंने आखिर में सच के सामने सच मान ही लिया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त करने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

अब यह तारीफ भी नहीं करने देंगे। मान्यवर।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसमें भाषा का है दोष, इसका मतलब पहले में असत्य का साथ दे रहा था। मान्यवर, यह उचित नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर मैंने पहले भी सच कहा था और अब जो कह रहा हूं वह भी सच है। मान्यवर, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर यह इस तरह से भाषण करना चाहेंगे तो यह हो नहीं पायेगा। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ शब्द जो आपको लगते हों कि गलत है, असंसदीय हैं, अमर्यादित हैं, जो इन्हें नहीं कहने चाहिए थे, उन शब्दों को आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको देख लूंगा अगर इस तरह के शब्द होंगे तो मैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपके कहने के बावजूद भी सम्मान के भाव का यहां अभाव है। यह सम्मान करें। आपने इशारा किया हम बैठ गये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप मेरी तरफ देख कर बोलें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी तरफ बहुत देखा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमने तो माननीय नेता जी के सम्मान का ध्यान रखा लेकिन उनके आग्रह का यह दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय हुकुम सिंह जी का हृदय से आभारी हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हृदय से आभारी तो वह होगा जिसमें हृदय होगा। मान्यवर, माननीय प्रमोद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन हृदय विहीन है। निर्दयी हैं। अब क्या यह कहना चाहते हैं उसको यह सीधे-सीधे कहें, इतना आभार भी मत व्यक्त कीजिए जिसमें आप दब जायें। बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रहे हैं आप। जो बात कहनी है वह सीधे-सीधे कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हां तिवारी जी, आप अपनी बात सीधे-सीधे कहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं जिस किसी ने उन्हें नहीं माना कालान्तर में उसे स्वीकार करना पड़ा है कि महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। बहुत लोगों ने बहुत बड़े-बड़े पदों पर बैठकर धृष्टता की है गांधी को राष्ट्रपिता न मानने की। लेकिन मैं इस पवित्र आत्मा की शक्ति ही कहूंगा मान्यवर कि कालान्तर में लोगों को गांधी के चरणों पर झुकने को मजबूर होना पड़ा और गांधी को राष्ट्रपिता मानना पड़ा। यह तो ठीक है न ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैं गांधी जी की विचारधारा पर हूं, गांधी जी की विचारधारा का रहूंगा। मैं जिस विचारधारा का रहता हूं मान्यवर, उस विचारधारा में पैदा हुआ हूं। उसी विचारधारा में मरूंगा। मैं विचारधारा और नेता नहीं बदला करता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हम चाहते हैं यह मरे नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उन लोगों के सामने जरूर संकट होता होगा, जिनकी विचारधारा और नेता बदलते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपको। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं मान्यवर, कि उनके सामने यह संकट हो सकता है, मेरे सामने यह संकट बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं गांधी जी को मानता था, मानता हूं, मानता रहूंगा और मान्यवर, मुझे गर्व है कि जिस दल में मैं हूं उस दल में जरूरत पड़ने पर हमारी प्रधान मंत्री ने अपने जीवन को अर्पित किया पर देश के आतंकवाद के सामने अपने घूटने नहीं टेके। मुझे स्पष्टरूप से यह कहने में खुशी है कि मैं उस दल का हूं जिस दल के नेता ने अपने शरीर के टुकड़े हो जाने दिये, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं होने दिये। मान्यवर, मैं उस दल का हूं और दुर्भाग्य से मान्यवर।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त करने पर)

मान्यवर, अगर इस पर भी कुछ बोलने पर आपत्ति है, तो मैं कैसे अपने पर संयम रखूंगा। मान्यवर, मैंने तो अभी तक सिर्फ इतना कहा कि मैं किस दल का हूं, मैंने अभी तक सिर्फ इतना कहा कि मेरे दल के नेताओं ने क्या-क्या बलिदान दिया। मैंने अभी एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं मान्यवर [x x x] मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मान्यवर।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त करने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपने इन्हें समय दिया, आप क्या चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले ? यह अपनी आदत से बाज नहीं आयेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप आगे की कार्यवाही शुरू करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी ने कभी भी ऐसा आचरण नहीं किया है, वह मान जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, महात्मा गांधी का जिसने अपमान किया है तो वह जिस दल में है, तो यह उस दल की सहमति है तो वह दल चाहता है और महात्मा गांधी का अपमान कराता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, [x x x]

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने निवेदन किया तो माननीय प्रमोद तिवारी जी को मौका दे दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही से निकलवा दें और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा है वह भी निकलवा दें। बात खत्म हो जाये।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, महात्मा गांधी जी, इस देश के राष्ट्रपिता हैं। अगर उस दल का दोहरा चरित्र नहीं है और उनका कोई सांसद उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानता है तो उसे उस दल से निष्कासित कर दें। [x x x] इसलिए सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

(शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायें। अब इन्होंने दूसरी मांग कर ली है। माननीय खन्ना साहब आप बैठ जायें, कपूर साहब आप भी कृपया बैठ जायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन में ध्वनि प्रदूषण करना कोई अपराध है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बाहर जाना चाहिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर ध्वनि प्रदूषण करना अपराध है तो यह जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है यह भी तो अपराध है। मान्यवर, यह सिर्फ ध्वनि प्रदूषण के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं पुनः आग्रह कर दूं कि जो आक्षेपात्मक शब्द होंगे उनको आप कार्यवाही से निकलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो आपत्तिजनक शब्द होगा उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो आपत्तिजनक शब्द है उसको कार्यवाही से ही केवल न निकाल दें बल्कि जिसने बोला है उसको भी निकाल दें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 11 मार्च, 2008 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं :-

(1) उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

(3) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव से जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

* डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आज जो स्थिति है गरीब की तकरीबन 60 प्रतिशत लोग साहूकार से ऋण लेते रहते हैं। बैंकों से ऋण लेने वालों की संख्या 36 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। मान्यवर, जितना उत्पीड़न साहूकार से कर्ज लेने के बाद होता है उतना और कहीं उत्पीड़न नहीं होता है। यह जो साहूकारी विधेयक आप लाये हैं इसके अन्दर जो चेंज किये गये हैं इसमें अभी रजिस्ट्रार के लिए कहा गया है कि रजिस्ट्रार देखेगा इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना मैक्सिमम रखेंगे। इसमें मेरा अनुरोध यह था कि जो आप चेंज लाने जा रहे हैं उनमें ज्यादा दण्ड का प्राविधान रखा जाय। जो कारावास 3 वर्ष का रखा हुआ है उसको कम से कम 5 वर्ष का रखें और जो न्यूनतम 5 हजार का जुर्माना है उसको 10 हजार तक कर दिया जाय। दूसरा मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रार बहुत से कम जो साहूकार होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि यह रजिस्ट्रेशन हर एक साहूकार के लिए जो साहूकार कर्ज दे रहा है, अनिवार्य कर दिया जाय। साहूकार जब तक रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तब तक वह कर्ज देने की स्थिति में नहीं होगा, इसका इसमें प्राविधान किया जाय।

मान्यवर, गरीब के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। यह चेंज करने की जो प्राक्रिया है इससे कितने लोगों को फायदा होगा यह भी देखने का विषय है। हम नहीं समझते हैं कि गांव या किसी और संस्था के द्वारा जो कर्ज दिया जाता है वहां पर रजिस्ट्रार के द्वारा कितने लोगों को लाइसेंस निर्गत किया जा रहा हैं हम समझते हैं कि इस प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाय तथा आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी सूदखोर के द्वारा उत्पीड़न बर्दाश्त न करे। इसके लिए सरकार खास तौर से प्रयास करे और यह कोशिश करे जिससे कि सभी लोगों को बैंकों के द्वारा ही ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाय। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि गरीब और किसान के लिए मजदूर के लिए खास ऋण व्यवस्था या ऐसी संस्थाएं बनाई जायें जो कि उनको ऋण देने की स्थिति में रहे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य की चाहते है इसे गरीबों के हित में लाया गया है और इसमें गरीब व्यक्ति को जो साहूकार कर्जा देता है, मान्यवर, अगर इसको माननीय सदस्य ने ढ़ंग से पढ़ा होता तो यह संशोधन लाने का काम न करते। निश्चित रूप से इससे एक अच्छी स्थिति बनेगी और इससे जो गरीब कर्ज लेने वाला है उसका शोषण नहीं हो पायेगा। इसलिए यह बहुत ही जनहित का विधेयक आया है, संशोधन आया है। मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय और माननीय सदस्य जो संशोधन लाये हैं उसको वापिस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जो मैंने बात कही वह तो एक नहीं आई, सारे के सारे वही हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। इसमें गरीबों की बात कहां आई। मैं तो बार-बार कह रहा था कि गरीबों के लिए कोई ऐसी संस्था बनाई जाय। न ही गरीब जो साहूकार से ऋण लेते हैं उस साहूकार के कोई रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी नहीं है। गांव के अन्दर तो कोई रजिस्ट्रेशन का इंतजाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अंस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"5-प्रधान रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे साहूकारी के कारावास के लेखों और अन्य अभिलेखों का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किये जाये, निर्वहन करेंगे।

धारा 7 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 7 में, उप धारा (4) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(क) उप धारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

"(ङ) उधार की वसूली के लिए ऋणी को एक मास की नोटिस देगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी"।

(ख) उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) जहां ऋणी द्वारा साहूकार से उधार के सम्बन्ध में कोई सूचना मांगी जाती है वहां साहूकार ऐसी सूचना ऋणी को देने के लिये बाध्य होगा।"

नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"13-क-यदि ऋणी नियत समय में उधार का प्रतिसंदाय करने में विफल रहता है तो साहूकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा जो ऋणी को उधार के प्रतिसंदाय करने के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।

ऋणी के कर्तव्य

धारा 22 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 22 में उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) धारा 10, धारा 11 या धारा 13 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और न्यूनतम पांच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

धारा 23 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 23 में उप धारा (1) में शब्द "दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से" के स्थान पर शब्द "कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है और न्यूनतम पांच हजार रुपये के जुर्माने से" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज मैंने नियम-311 की एक सूचना दी थी, उस पर कृपापूर्वक आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे लेकिन प्रश्नकाल के बाद सदन अव्यवस्थित हो गया तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे आप कब सुनेगें ?

श्री अध्यक्ष-

हमने कहा है, इसको तो सुनेगें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप मुझे अवसर दे देंगे तो हम कार्यवाही जो हुयी है, उसको बता देंगे तो हो सकता है कि चौधरी जी को कहने की जरूरत ही न पड़े।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद यह बार-बार हो रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी मना कर रहे हैं जबकि माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे अनुमति दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। जो अध्यक्ष जी चाहेंगे, वही होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों के बारे में वित्त मंत्री जी प्रस्ताव रख दिये हैं, मैंने उनको आमंत्रित भी कर दिया है, तो उसको हो जाने दें।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधयेक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 1 जून, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 में धारा 5 में उपधारा (1) में शब्द "और अंक 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "और अंक 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चाहें तो वापस ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम लोग सहमत नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इन्होंने इसकी पहल की है तो इन उपलब्धियों को समाजवादी पार्टी पर लागू न किया जाय, हम इसके लिये सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया, बस्ती द्वारा जारी सी0डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिकर चौधरी-

मान्यवर, मुझे बुलाया है आपको नहीं बुलाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद द्वारा संरक्षित संस्था हरैया बस्ती, जो अम्बेडकर साहब के नाम पर चलने वाली संस्था है। इस संस्था द्वारा एक सी0डी0 बनायी गयी है और प्रसारित की गई है। श्रीमन्, बहुजन समाज पार्टी की जो पुरानी नीतियां हैं और जो पुराने नारे थे उन्हीं नारों को दोबारा दोहराते हुए सांसद महोदय ने एक नया काम शुरू किया है। पहले इनका नारा था "तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार" उन नारों को दोहराते हुए समाज में जो बड़ी जातियों के लोग हैं और विशेष तौर पर ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी के लोगों पर आक्षेपात्मक और गालियां देते हुए ऐसी-ऐसी बातें उस सी0डी0 में रिकार्ड की गई हैं और उन्हें प्रसारित किया जा रहा है। अब तो

मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले चैनल पर एक घंटे तक कल के कार्यक्रम में उसे दिखाया गया है। मान्यवर, उस सी0डी0 की कापियां लाखों की संख्या में करके विशेष तौर पर पूर्वांचल में बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस मण्डल में और पूरे प्रदेश में श्रीमन् यह वितरित की गई हैं। मान्यवर, सभी जगहों पर इसका प्रसारण किया जा रहा हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, पूरी दुनिया में यह संदेश गया और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आक्षेप करने का काम, सीता की मर्यादा पर आक्षेप करने का काम और मान्यवर, हमारे लिए बहुत गम्भीर बात इसलिए है कि हम डा0 राम मनोहर लोहिया के अनुयायी लोग हैं, डा0 राम मनोहर लोहिया ने शंकर का मस्तिष्क, राम की मर्यादा और कृष्ण के कर्म को उच्च आदर्शो पर माना, इसलिए हम डा0 राम मनोहर लोहिया के मानने वाले लोग किसी भी स्थिति में ऐसे कुत्सित प्रयास की आलोचना करते हैं। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सरकार स्वयं संरक्षण दे करके ऐसे कृत्य में शामिल है, इसी सदन में यह बात उठी थी, ऐसी-ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करके उन पर सब्सिडी दे करके प्रदेश में बंटवाया गया था, जिसमें राम और सीता को गालियां दी गई थीं। हमारे देवी-देवताओं को गालियां दे करके आस्थाओं पर मात्र प्रहार नहीं बल्कि पूरे समाज को बांटने का इनका कुत्सित प्रयास जारी है। श्रीमन्, आपने संक्षेप में कहने के लिए कहा है इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मान्यवर, यह बात तात्कालिक है, अविलम्बनीय है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद का खुला संरक्षण है, सत्तारूढ़ पार्टी की छद्म नीतियां और कभी-कभी जो जाहिर नीतियां हैं, उनके प्रतिपादन के फलस्वरूप यह सी0डी0 तैयार करके पूरे प्रदेश को जातीय और साम्प्रदायिक उन्माद में जलाने का षड़यन्त्र है। जन कारणों से, चूंकि सरकार इन पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल है, इस 10 महीने के कार्यकाल में जनता देख लिया, सभी ओर से ध्यान हटाने के लिए, छात्र, व्यापारी, किसान, सारे मुद्दों की ओर से ध्यान हटाने के लिए सदन में जो बातें उठायी गयी हैं किसी एक बात का भी जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए जातीय हिंसा और साम्प्रदायिक उन्माद का सहारा ले करके यह सी0डी0 बनाकर पूरे प्रदेश को जलाने की साजिश हो रही है। मैं जहां इस पर कार्यवाही किये जाने की आपसे मांग करता हूं वहीं आपसे अनुरोध करता हूं कि नियम-311 में सदन के सभी नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 अम्बिका चौधरी जी ने जो कहा है, उसमें केवल राम के लिए नहीं सीता के लिए ही नहीं बल्कि जो सी0डी0 दिखायी गयी है उसमें भारत मां पर भी आक्षेप किया गया है, कृष्ण पर भी आक्षेप किया गया है और जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि बिष्णु पर भी आक्षेप किया गया है मैं पूछना चाहता हू कि फिर बचा क्या है देश की संस्कृति और सभ्यता कहां बची है। आज हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर यही हरकतें रहीं तो इस देश में गृहयुद्ध होगा, जातीय युद्ध तक नहीं रहेगा, गृहयुद्ध होगा। मैंने पहले भी सावधान किया था और आज भी सावधान कर रहा हूं। उस समय मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप हस्तक्षेप कीजिए और मा0 अध्यक्ष ऐसे सवालों पर हस्तक्षेप करते रहे हैं। यह खुली छूट है और संसदीय कार्य मंत्री कह देंगे कि हम हर महापुरुष का आदर करते हैं। जो इस किताब को लिखते हैं, राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, बिष्णु को गाली देते हैं, सीता जी को क्या-क्या कहते हैं, वह शब्द हम नहीं कह सकते हैं इस सदन के अन्दर। लेकिन जो आदर्श हमारी नारियां हैं, उनमें सीता, पार्वती और

द्रोपदी है। आप किताब पढ़ लेना, डा0 लोहिया पूरे नास्तिक होते हुये भी भारतीय संस्कृति के प्रति कितने समर्पित थे उन्होंने राम पर भी लिखा, कृष्ण पर भी लिखा, शिव पर भी लिखा, पार्वती, सीता और द्रोपदी पर भी लिखा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि डा0 लोहिया नास्तिक थे लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में उनकी राय, उनका लेख ओर उनकी किताबें पढ़ करके आप सबके दिमाग साफ हो जायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं, हम जयादा लम्बा नहीं खींचना चाहते हैं, समय के अनुसार ही बोलना चाहते हैं। यह गृह युद्ध की तैयारी है। अगर आपने नहीं रोका, सजा नहीं दिलायी जब संसदीय कार्यमंत्री जी सदन में कह देते हैं कि हम तो हर महापुरुष का आदर करते हैं। किताब बांटने वाले महापुरुष हो गये, किताब छपवाने वाले महापुरुष हो गये, क्या ये अगर हैं तो संसदीय कार्यमंत्री जी कहें कि ये महापुरुष हैं। सदन में कहा कि हम महापुरुषों का आदर करते हैं, उस किताब का भी आदर करते हैं। यह सी0डी0 जो बनायी गयी है उस सी0डी0 को पूरी तरह से देखा जायेगा तो उसमें जो बातें हैं उसे हम नहीं बोल सकते कि क्या-क्या लिखा है ? जो सी0 डी0 पर बोल रहा था सुनकर आश्चर्य हुआ, अचानक टी0 वी0 पर जो हेड लाइन आ रही थी पता नहीं था कि क्या बोला जायेगा। टी0 वी0 पर जो कैप्सन आ रहा था उसे देख करके मेरे मन में उत्सुकता जाहिर हुई कि हम देखें कि आखिर क्या है आज इस तहलका में ? तब पता चला कि रामायण, महाभारत और सीता जी के बारे में जो बातें आयी उसे मैं नही कह सकता कि क्या कहा गया है। राम के बारे में नहीं कह सकते कि क्या कहा गया, महाभारत के बारे में नहीं कह सकते कि क्या कहा गया ? यह बार-बार कहा गया, तो इससे गम्भीर कोई और सवाल हो नहीं सकता और सीधी बात कहना चाहते हैं कि सत्ता के मद में न रहें, सत्ता मद वालो को आपने इतिहास में देखा है। सत्ता के मद में आकर ये किताबें केवल पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित पूरे हिन्दुस्तान में बांटी जा रही है, दुनिया ने देखा है। महात्मा गांधी का सवाल उठा था ये उनका देश है, महात्मा बुद्ध का देश है। एकता और विभिन्न संस्कृतियों से देश विशाल बना है, विभिन्न भाषायें हैं, विभिन्न क्षेत्रीय विषमतायें हैं, लेकिन मुसीबत के समय भारत एक रहा है। जब किसी विदेशी का हमला हुआ है, किसी भी तरह से हिन्दुस्तान को खतरा हुआ है तो हिन्दुस्तान एक हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

विनियोग विधेयक का 3.00 बजे का समय निर्धारित है, अगर आप अनुमति दें तो इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव कर दूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पहले मैं अपनी बात कह लूं। आप हस्तक्षेप करके उन्हें सजा दिलाईये और यह प्रतिबन्ध लगाइये सी0डी0 पर भी और किताबों पर भी।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 को लिये जाने का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी विनियोग विधेयक आप प्रस्तुत कर लें, इस पर और लोग भी विचार रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अभी नहीं प्रस्तुत हो सकता, विनियोग विधेयक बिना अनुदान मांग प्रस्तुत हुये नहीं प्रस्तुत हो सकता इसलिये इस बात को अन्यथा न लें, मैं यह चाह रहा था कि 3.00 बजे उसके लिये समय निर्धारित है, इसलिये उसको बढ़ाने का मैं यहां प्रस्ताव कर दूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक अपराहन 4.00 बजे ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जैसा मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विनियोग विधेयक अपराह्न 3.00 बजे के बजाय 4.00 बजे ले लिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अम्बेडकर बौद्धिक संस्थान हरैया, बस्ती द्वारा जारी सी0 डी0 से जातीय विद्वेष फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अगर आप लोग हमारी बात सुन लें तो हो सकता है कि मा0 सदस्यों को फिर कुछ कहना न पड़े।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हम लोगों की भी बातें आ जाए, नहीं तो हम लोगो के साथ अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष-

आज जब इस विषय को उठाया गया था तो मैंने कहा था कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये सुन लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमें एतराज नहीं है। विनियोग विधयेक यहां से पास होगा उसके बाद विधान परिषद् में भी जाना है, वहां भी पास होना है, इसलिये 4.00 बजे के बाद इसे हम नहीं बढ़ा सकते।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पहले पास करा लीजिये उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान मांगों पर चर्चा तो हो चुकी है। उस्मानी जी का विशेषाधिकार का मामला है। अनुदान मांगों को ले लीजिये।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, आप समय बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं। अब वापस लौटने की परम्परा नहीं है। 4.00 बजे तक समय बढ़ा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आजम साहब ओम प्रकाश सिंह, प्रमोद तिवारी, श्री कौकब साहब सी0 डी0 प्रकरण पर बोलना चाहते हैं इसमें समय लगेगा इसलिये अनुदान मांग पास करा लें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

यह ठीक नहीं होगा। यह दृष्टान्त बन जाएगा कि स्पीकर साहब अपने निर्णय से बैक हुये हैं। हम एक घण्टे में चर्चा कर लेंगे लेकिन यह नहीं होने देंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, रात और सुबह में दो घटनायें सबके सामने आई। बल्कि एक ही साथ दो घटनायें आई। एक सी0 डी0 का प्रचार जिसको माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में रखा। सुबह हम लोगों ने और सपा के लोगों ने इसकी चर्चा किया था, मुद्दा उठाया था सी0 डी0 के प्रकरण में यह बात सुबह आई थी कि सत्तादल के सांसद उससे जुड़े हुये हैं। यह स्वयं बयान दे रहे हैं। बस्ती में वह स्थान जहां सार्वजनिक रूप से सी0 डी0 दिखाई जा रही है, प्रचारित किया जा रहा है वह स्थान भी दिखाया जा रहा है। वहां दिखाने वाले जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं सी0डी0 बेचते हुये, बांटते हुये दिखाई दे रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं यह हम गांव-गांव घूमकर बहुत दिनों से कर रहे हैं। इतना व्यापक विष वमन करने वाला समाज में विद्रोह पैदा करने का कार्य हो रहा है। जिसके साथ बहुजन का नाम जुड़ा है और सरकार को पता नहीं है जब चैनल पर दिखाया जाता है साथ ही साथ यह भी पर्दाफाश हो गया तो रोक लगा दी आदेश जारी किया कार्यवाही हो गई। चैनल पर इन्टरव्यू दिया जा रहा है अगर चैनल पर न दिखाते तो कार्यवाही न होती। एक बहुजन कहता है हम समाज में भाईचारा समारोह कर रहे हैं। सी0 डी0 में एक बहुजन कहता है कि राम सीता निन्दनीय है रामायण, महाभारत जातिवादी है। जिस सर्वजन हिताय सर्वजनसुखाय और सारे समाज को जोड़ने की बात की जाती उस जाति की भी निन्दा की गई। इसलिये यह बड़ा साफ है कि गोपनीय ढंग से नहीं चल रहा था जिस कार्य को हजारों-हजार लोग गांव में देख रहे हों वह सरकारी एजेंसी के संज्ञान में न हो, जनकारी न मिली हो। सत्तरूढ़ दल के [xxx] जिनका इसमें नाम उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यबर, जो इस सदन का सदस्य न हो उसका नाम लेना उचित नहीं है। मान्यवर इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैं खुद कह रहा हूं कि नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाय। वह कह रहे हैं कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। अब ऐसा नहीं है कि वह चुप रहे होंगे इसका मतलब सारी चीज शासन के संज्ञान में थी। यह वैसे ही जानकारी में थी जैसे सच्ची रामायण बिकती थी जब चर्चा हुई सारा विपक्ष एक हुआ तब कह दिया कि नहीं बिकती। आदेश नहीं हुआ नहीं बेची जायेगी, नहीं वितरित की जायेगी। तो जब एक कार्य हो रहा है जो ऊपर से समाज में भाईचारा जोड़ने का आयोजन कर रहा है एक बहुजन दूसरा बहुजन अंदर-अंदर जाति विद्वेष फैलाने का क्रम कर रहा है। मान्यवर, हमने यह भी देखा प्रदेश में कि नाटक के माध्यम से कैसे जाति विद्वेष फैलाये जाते थे और जिस नारे की चर्चा माननीय अम्बिका चौधरी जी ने की उस नारे को कैसे चरितार्थ किया जाता था। आज उस नाटक को न करके सी0डी0 के माध्यम से किया जारहा है लक्ष्य यह है कि कैसे समाज में विद्वेष पैदा किया जाय, समाज में कैसे विद्रोह पैदा किया जाय, समाज को कैसे बांटा जाय ? कैसे समाज में खून खराबा हो ? राजनीति का यह स्तर हो गया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह पूरी तरह से संरक्षित और नियोजित है। शासन इससे बच नहीं सकता नम्बर एक। प्रतिबंध लगाने का आज हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि आदेश हो गया, कार्यवाही करने को, पुलिस करने को लेकिन उसी के साथ यह घटना इतने दिन से हो रही थी, जिसे पूरे प्रकरण को देखकर आदेश जारी करने के और निश्चित रूप से सरकार यह कहती कि हमको उसी से संज्ञान हुआ तत्काल आदेश जारी हुआ तो बस्ती में जो डाक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति उसके कार्यालय पर क्यों नहीं हमको सुबह अखबार में पढ़ने को मिला कि आपने कोई कार्यवाही की हो ? जो उस सी0डी0 के अंदर व्यक्ति है जो साधु, बौद्ध उसको क्यों नहीं गिरफ्तारी करने का समाचार हम लोगों को सुबह मिला ? यदि कोई कार्यवाही गिरफ्तारी करने का समाचार हम लोगों को मिलता तो हम लोग समझते कि सरकार सही अर्थ में बहुत गम्भीर है ?

यह शासनादेश भी केवल झुठलाने और गुमराह करने और पर्दा डालने के लिये किया गया है। क्योंकि मूल लक्ष्य समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का, विद्वेष फैलाने का यह सदियों से जो समाज एक है जिसको मुगल और अंग्रेज भी अलग नहीं कर पाये। विदेशी भी नहीं कर पाये। उसको करने का काम मान्यवर, आज स्वतंत्र भारत में किया जा रहा है इसलिये मान्यवर, इससे गम्भीर प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। इन सारे को मेरा आरोप है कि इस सत्ता का, शासन का संरक्षण है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे है क्योंकि कार्यवाही केवल आदेश जारी करने की हुई। कोई ठोस कार्यवाही अभी तक सामने नहीं आई इसलिये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, गम्भीर और चिन्तनीय स्थिति कोई और नहीं हो सकती इसलिये सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें यही मेरा अनुरोध है ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रमोद तिवारी जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

क्या मान्यवर, चर्चा शुरू करा दी ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, क्या इनकी भी थी सूचना ?

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सूचना तो उनकी भी नहीं थी। नहीं कौकब साहब इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा तो शुरू नहीं हो रही है। मान्यवर, मेरा भी उत्तर आ जाने दें। अगर उसके बाद भी आप आवश्यकता महसूस करेंगे तो फिर आप देख लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हो रही है। सूचना दिया था तीन लोगों ने माननीय अम्बिका चौधरी, श्री उस्मानी और विशम्भर प्रसाद जी, तीन चार लोगों ने 311 में दिया था।

(तीन चार सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सभी सदस्यों ने रख लिया, आपने चर्चा शुरू नहीं की है। इसको स्वीकार नहीं किया है इसलिये मेरा कहना है कि सरकार का वर्जन भी आ जाय।

(तीन चार सदस्यों के बोलने के लिये खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठिये। हो गया नेता बोल चुके। अब नाम पढ़ दिया तो इसका मतलब आप बुला लिये गये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 311 की सूचना नहीं ली जा रही थी इसलिये हमारी सूचना वापस कर दी गई। ये मैं कहना चाहता हूं और इसमें दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यही मेरा कहना है।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर, यह चर्चा तो शुरू नहीं हुई।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने अनुमति दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं दो मिनट के लिये उन्होंने कहा है।

श्री मुलायम सिंह-

नहीं नहीं आप करिये। इस तरह से नहीं। अब ये तय करेंगे कि आप तय करेंगे कि कौन बोलेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं अपना पक्ष रखूंगा और मान्यवर, अगर आपने अनुमति दे दी है तो मैं बैठ जाऊं। अगर प्रमोद तिवारी जी को आपने अनुमति दी है तो बैठ जाऊं लेकिन मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए तो मैं यह रख रहा हूं कि आपने चर्चा ग्राह्य नहीं की है।

चर्चा ग्राह्य नहीं की तो इसमें चर्चा कराने का औचित्य नहीं बनता है। बाकी निर्णय आपको लेना है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। कौकब साहब आप बैठें इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह तो बड़ी अजीब सी बात होगी सारे नेता बोलेंगे, मैं ही क्यों नहीं बोलूंगा ? क्या वजह होगी मान्यवर, मुझे वजह बता दीजिए ? और मैं तो ज्यादा अच्छा पक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं बोलूंगा तो वह तो सुख सौहार्द की बात होगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने निर्णय क्या लिया है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभारी हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि आप बैठ गए हैं। मैं सिर्फ दो बात कहकर आपकी बात का ध्यान रखते हुए कहना चाहता हूं कि इस देश में सबको अपना धर्म और अपनी विचारधारा को मानने की आजादी है लेकिन कोई ऐसी बात जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो किसी धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंचाती हो, किसी विचारधारा को ठेस पहुंचाती हो तो वह भारतीय दंड संहिता कानून के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। मान्यवर, यह कोई किताब नहीं है कि चोरी छिपे बांटी जाए। मान्यवर, यह ऐसा साहित्य नहीं है जो किसी को बाइ पोस्ट भेजा जा रहा है। यह मान्यवर, बाकायदा प्रचार होता है, प्रसार होता है कि आज इतने बजे से इसका प्रसारण होगा और सौ से लेकर एक हजार तक लोग इकट्ठा होते हैं। मान्यवर, सौ लोग इकट्ठा होकर देखते हैं, एक हजार

तक लोग इकट्ठा होकर देखते हैं। अगर कोई नहीं देखता है तो सरकार से जुड़े तंत्र को मालूम नहीं होता है बाकी सबको मालूम रहता है। तो इसको कौन स्वीकार कर सकता है इसमें कहीं न कहीं से मौन स्वीकृति या मैं तो कहूंगा कि सक्रिय स्वीकृति सत्तारूढ़ की कहीं न कहीं है। यह क्या विश्वास करने काबिल चीज है कि एक तरफ यह सूचना दी जाएगी कि यह दिखाया जाएगा गांव इकट्ठा होता है लोग देखते हैं यह अनवरत प्रक्रिया चल रहीं है और यहां कह दिया जाए कि सरकार को जानकारी नहीं है। तो यह तो कहीं से यह बात बनती नहीं इसके प्रचार-प्रसार को रोका जाना चाहिए। इसके प्रचार-प्रसार से घृणा फैल रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन है ?

(मा0 सदस्य कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिए कौकब साहब अब बात आ गई है। अब यह जिद न करें कि हर दल के नेता इसमें बोलें इसमें कोई ऐसा निर्णय हमने नहीं लिया था कि दलीय नेताओं को बुलाया जाएगा।

*श्री कौकब हमीद-

सब दल के नेता बोलेंगे और मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह निर्णय नहीं लिया था।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, अगर 311 में आपने सबको बोलने का अवसर दिया तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं ? मेरे बोलने में क्यों एतराज है ?

श्री अध्यक्ष-

कोई एतराज नहीं है ? मैंने तो इस आधार पर निर्णय लिया था कि नेता प्रतिपक्ष जी बोल चुके हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो मान्यवर, अगर इनके बारे में चर्चा और गलत चर्चा इस सदन में हो रही है तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बाकायदा यह हुआ और एक मौन सहमति रही सत्तारूढ़ दल की। मान्यवर, अगर हम अपने पुरखों को भूल जाएंगे, हम अपनी परम्परा और सभ्यता को भूल जाएंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा ? किस बात की यहां चर्चा करेंगे ? इसको तुरन्त रोकना चाहिए। अगर हमारे देवताओं को बुरा कहा जाएगा तो यह निन्दनीय है। इस पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो नारे का उल्लेख किया, तिलक, तराजू, मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न तो यह बहुजन समाज पार्टी का कभी नारा था और न है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की समाज के सभी वर्गों में स्वीकार्यता न होने पाए, इसलिए मान्यवर, विपक्ष के लोगों को जब दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने अपने-अपने ढंग से नारा स्थापित करने का काम किया। उस नारे से बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना-देना नहीं। मान्यवर, आज चिन्ता इस बात की है, सभी सदस्यों को, मान्यवर, आज जो चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी में बैठे हुए लोगों की जब शक्ल देखते हैं तो सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, यही इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इस तरह की तमाम बातें उठाने का काम करते हैं। (बसपा सदस्यों ने मेजें थपथपाई), मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस सी0डी0 प्रकरण से, इस सी0डी0 से बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी के किसी सांसद का कोई वास्ता नहीं है, यह मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं ? मान्यवर, न तो सरकार का है, न तो बहुजन समाज पार्टी का है और न बहुजन समाज पार्टी के किसी सांसद का है। मान्यवर, जहां तक आईबीएन-7 चैनल पर ये जो दिखाया गया, उसके बाद इस सी0डी0 के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। सी0डी0 बनाने की कार्यवाही हरैया तहसील अन्तर्गत स्थित तथा उसका प्रसारण अन्यत्र किया गया। प्रशसन को इसकी जानकारी होने पर हरैया तहसील के हरैया कस्बे में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा समिति के बारे में जानकारी की गयी। समिति के परिसर पुस्तकालय की तलाशी ली गयी, किन्तु कथित सी0डी0 अथवा उसके बनाने/प्रसारण करने के उपकरण नहीं मिले। विवेचना के मध्य समिति के सक्रिय कार्यकर्ता श्री शिवाकान्त, निवासी-मिर्जापुर, थाना-हरैया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले आईबीएन-7 चैनल की टीम आई थी एवं फिल्म बनाई थी। शिवाकान्त के कब्जे से 6 सी0डी0 बरामद की गई और उसके आधार पर थाना हरैया जनपद-बस्ती में मुकदमा अपराध संख्या-119/2008, धारा-153ए, आईपी0सी0 कायम किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार किए गये हैं, शिवाकात, रामफल और अनिल तिवारी। मान्यवर, शासन के स्तर पर जैसे ही पता चला तुरन्त सी0डी0 प्रसारण के बारे में रोक लगायी गयी और इस पर भी विवेचना चल रही है जो भी व्यक्ति दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मान्यवर, इस तरह से त्वरित गति से, शासन के संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्यवाही हुई है। मान्यवर, आज वास्तव में कष्ट इस बात का नहीं है, असली चेहरा इन लोगों का, जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश और प्रदेश में भाई-चारा बनाने का आन्दोलन चला रही है और सभी जाति-वर्ग के लोगों को एक साथ भाई-चारा बनाने का काम कर रही है, यही इन लोगों के दर्द होना स्वाभाविक है और इसलिये इन बैठे हुये लोगों में देखा जा रहा है आज सबसे ज्यादा चाहे वह ब्राम्हण समाज के लोग हों, चाहे वह क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वह पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, चाहे वह

अल्पसंख्यक समाज के हों, सबसे ज्यादा विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आये हैं, यही इनको असली दर्द है, इसलिये इस तरह से जाति के आधार पर, समाज को बांटने के लिये ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाने का काम करते हैं। मान्यवर, गृह-युद्ध बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती, मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी, समाज को भाई-चारा के आधार पर जोड़ना चाहती है, गृह-युद्ध तो ये लोग करना चाहते थे, कराना चाहते थे, जो किसी एक वर्ग या जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम किया करते थे, यह पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, अकेले हमारे कहने और करने से बात नहीं उठती है। बहुजन समाज पार्टी, समाज के हर वर्ग को जोड़ना चाहती है और इस सी0 डी0 प्रकरण से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता का हाथ नहीं है, इसमें कार्यवाही की जा रही है, 3 लोग गिरफ्तार हुये हैं और विवेचना के आधार पर जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इसे आप अग्राह्य करके आगे के मद लेने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी सदन को अवगत कराया है कि अपराध अन्तर्गत धारा-153, पंजीकृत कर लिया गया है। श्रीमन्, 153 के अन्तर्गत ऐसे अपराध को पंजीकृत किया गया है जिससे 17 करोड़ से ज्यादा निवासी इस उत्तर प्रदेश के, उनके जीवन को और उनके सम्मान को जिसमें खतरा है, इसमें इन्होंने 153 में 3 लोगों को पकड़ कर बन्द कर दिया है। हमारा स्पष्ट आरोप था कि इनका सांसद उसमें शामिल है। मान्यवर, उस संस्था के बाइलाज दिखवा लें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सी0डी0 के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया कि दलितों को अग्नि में झोंकने का काम ब्राह्मण कर रहा है, जिस सी0डी0 में यह दिखाने का काम किया गया कि राम शम्बूक का वध करके दलित विरोधी थे और सारे दलितों की हत्या करने वाले राम थे, जिस सी0डी0 में यह दिखाया गया कि राम जिस जाति में पैदा हुये थे वह दलितो के विरोधी हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के कारण घोर शोरगुल उत्पन्न हो गया।)

(घोर शोरगुल के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने आपको सुना, अब आप मुझे सुन लीजिये। मान्यवर, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर, सोशल इंजीनियरिंग तक आकर ब्राह्मण समुदाय को नोट पर टिकट बेचकर ब्राह्मण समाज की तरफदारी करने का काम इनके द्वारा किया गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आक्षेप है।

(सत्तापक्ष और समाजवादी पार्टी के सदस्य एक साथ अपने स्थानों पर खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे जिससे घोर शोरगुल जारी रहा)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको जनता ने ठुकरा दिया और आज इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब बी0एस0पी0 में बैठे हैं तो प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। बहुजन समाज पार्टी के भाईचारा के साथ खड़ी हुयी है। यह समाज को बांटने वाले, समाज को बांटना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको नियम 56 में अग्राह्य करता हूं। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(घोर शोरगुल के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, थाने की जमीन को हथियाकर अपना बनाने वाले लोग, तहसील की जमीन को हथियाने वाले लोग, वह हमको पाठ पढ़ायेंगे। जिनका हर जगह दाग है, जिनका हर जगह छेद है मान्यवर, वह हमें पाठ पढ़ायेंगे। थाने की जमीन और तहसील की जमीन को हथियाने वाले यह लोग हमारे ऊपर क्या आरोप लगायेंगे। पूरे प्रदेश की जनता यह जानती है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब अब बैठ जाइये। अब आप लोग बैठ जायें। अब चर्चा हो गयी, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया। शुक्ला जी अब बैठ जाइये। अब आप बैठ जाइये। आप बैठिये। अरे सुनिये। आप बैठिये। राजकुमार सिंह, आप बैठकर हाथ मत दिखाइये। आप बैठिये। माननीय चौधरी साहब आपकी बात आ गयी, मैंने सुन लिया, मैं उस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। सरकार का वर्जन भी आ गया। चौधरी साहब अपनी बात कह लिये। सरकार का स्पष्टीकरण आ गया, आपने विरोध जता दिया। सरकार ने जो कार्रवाई की वह कह दिया। अब जिसमें आप न संतुष्ट हों तो आपने इसमें स्पष्टीकरण कर लिया उस संदर्भ में।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इतने गम्भीर और महत्वपूर्ण सवाल पर आप इस तरह से आरोप लगायेंगे।

(विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम शेष सत्र के लिये इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के साथ सहन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी, बहुत तेज मत बनिये। सदन की परम्परायें होती हैं इतना तेज मत बनिये।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 132 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 132 में,-

(क) उपधारा (3) में शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" तथा शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3-क) में शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" तथा शब्द "चार लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) में शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच लाख रुपये" तथा शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में शब्द "उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) या उपधारा (3-क)" रख दिये जायेंगे।

धारा 135 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 135 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (1-क) में शब्द "चार लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुये, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

धारा 136 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 136 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (2) में शब्द "सोलह लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुये, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी के लोग वापस सदन में आ गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आपकी अनुमति से "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" (2007-2008) समिति का "प्रथम प्रतिवेदन" जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (1999-2000) में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग (वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर इसका प्रस्ताव तो पहले ही कर दिया था। मान्यवर, कल इस चर्चा में बहुत से सदस्यों ने हिस्सा लेने का काम किया, मैं उन सभी सदस्यों श्री अम्बिका चौधरी, श्री हुकुम सिंह, श्री लालजी टण्डन, श्री कौकब हमीद, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री घुरा राम, डॉ0 पी0 के0 राय, श्री बृजेश सौरभ, श्री इमरान मसूद, श्री धनन्जय सिंह, डा0 उस्मानी जी, श्री अनिल चौधरी, श्री गौरी शंकर, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा जी का आभारी हूं। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने एक सवाल पर, विशेष रूप से श्री हुकुम सिंह जी ने ध्यान दिलाने का काम किया था।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें चर्चा जारी करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय भगवान दास जी की चर्चा थी वह नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं खड़ा हो गया। समय का ध्यान रखते हुए क्योंकि इसे काउन्सिल में जाना है और वहां से पास होकर आना है, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

---

† छापा नहीं गया।

† दिनांक 10 मार्च, 2008 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी बहुत सारे विचार आ चुके हैं, अब आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

श्री हुकुम सिंह जी और श्री अम्बिका चौधरी जी ने एक बिन्दु पर विशेष बल देने का काम किया था कि गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग का बजट नेता सदन के द्वारा प्रस्तुत होता है।

माननीय अम्बिका चौधरी जी ने बड़े दृष्टान्त उठाने का काम किया था। मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। मान्यवर, 2003 में 2003-2004 का जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो मोहम्मद आजम खां ने इसको रखने का काम किया था और माननीय हुकुम सिंह जी ने कटौती रखने का काम किया था। मैंने उस कार्यवाही में पढ़ा, शायद आज भी माननीय हुकुम सिंह जी ने कोई आपत्ति की हो, लेकिन उस समय माननीय हुकुम सिंह जी ने एक शब्द भी आपत्ति करने का काम नहीं किया था। मान्यवर 2004-05 में मोहम्मद आजम खां द्वारा रखा गया था और ऐसा अवसर आया था कि किसी ने कटौती ही रखने का काम नहीं किया था।

मान्यवर, जो समाजवादी पार्टी है इनकी सरकार थी मान्यवर, और बड़ा लोकतांत्रिक बातों का उद्धरण देने का काम करते हैं। अभी चर्चा कर रहे थे डा0 राम मनोहर लोहिया की, मैंने तो चौधरी चरण सिंह की किताब पढ़ी थी, मुझे वह मालूम नहीं था, लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र की बड़ी दुहाई देने का काम करते हैं, लेकिन केवल एक सदस्य ने केवल यह आवाज उठाई थी कि उत्तर प्रदेश के बजट का 71 करोड़ रुपया अगर उच्च शिक्षा का था तो उसमें से 69 कोड़ रुपया एक महाविद्यालय को दिया गया था और निजी प्रबन्धतंत्र के विद्यालय को दिया गया था। केवल इतनी ही आवाज पर बोलने नहीं दिया गया था मजबूर होकर सारे विपक्ष को वाकआउट करना पड़ा था। और माानीय मोहम्मद आजम खां जी ने उस प्रस्ताव को रखा था, कोई कटौती नहीं हुई थी, नेता सदन ने नहीं रखा था। मान्यवर, 2005-06 में भी 14 मार्च, 2005 को यह प्रस्तुत किया गया था, उस समय भी मैंने देखा मोहम्मद आजम खां ने 14 मार्च को भी प्रस्तुत करने का काम किया गया था। इसी तरह से मान्यवर, 2006-07 का भी बजट 11 मार्च, 2006 को रखा गया था और ऐसा उद्धरण था कि एक से लेकर के जितनी अनुदान मांगें हैं, एक साथ रखने का काम किया गया था। उस समय भी नेता सदन ने इसको रखने का काम नहीं किया था। मान्यवर, इस तरह से इसे पिछली बार रखने का काम किया गया था। मान्यवर, इसी तरह से तमाम माननीय सदस्यों ने जो अपराधों पर वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा करने का काम किया था, मान्यवर, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो लक्ष्य है अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करते हुए कानून का राज कायम करना, यह हमारी सरकार की, बहन कुमारी मायावती जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर 19-05-2007 को प्रदेश के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में राज्य सरकार की इस प्राथमिकता से अवगत करा दिया गया था और विस्तृत निर्देश भी सभी को भेज

दिये गये थे। उस निर्देश में यह भी था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की पहचान जाति के आधार पर नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में अपराधी की पहचान पार्टी के नाम पर नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका स्थान जेल होगा। उसको छोड़ने का काम नहीं किया जायेगा।

इस लक्ष्य को हमारी सरकार ने दोहराने का काम, बहन कुमारी मायावती जी ने दोहराने का काम किया था और इसी के तहत मान्यवर, तत्परतापूर्वक कार्यवाही की गई। साम्प्रदायिक सोहार्द्र बनाने के लिए कार्यवाही करने का काम किया गया। पेशेवर अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने का काम किया गया और इस बात को भी दोहराने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि अब पुलिस अधिकारियों की या अधिकारियों की समीक्षा अपराधों की संख्या के आधार पर नहीं होगी, उनकी समीक्षा उनके अपराधों के दर्ज होने के बाद, उस पर कृत कार्यवाही से होने से काम किया जायेगा और इसका परिणाम भी मान्यवर, सामने आया और जो अपराध दर्ज हुए उसमें लगभग 98 प्रतिशत कार्यवाही करने का काम किया गया। मान्यवर, हमने इस बात को जो बताने का काम किया था, कई सदस्यों द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया, हमने इस बात का निर्णय बहन कुमारी मायावती जी को दिया कि शत-प्रतिशत अपराधों का पंजीकरण होना चाहिए और उसी का परिणाम हुआ कि शत-प्रतिशत पंजीकरण करने का काम किया गया। मान्यवर, इसके तहत मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कहीं पर थोड़ा-बहुत वृद्धि भी अगर समान्य अपराधों में होती है तो उसका कारण यही है कि शत-प्रतिशत अपराधों का पंजीकरण करने का काम किया गया लेकिन जो मान्यवर अपराध है उसमें कल हमने आंकड़ा आपके सामने रखने का काम किया था। मैं फिर उसी को दोहराना नहीं चाहता हूं। उसी अवधि का जो कार्यकाल था उसी के आधार पर आंकड़ा रखने का काम किया था। मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने यह कहा था कि जो 9516 अभियोग दर्ज हुए थे उसमें 2158 अभियोग झूठे पाये गये थे। मान्यवर, इन झूठे पाये गये मुकदमों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ इन झूठे मुकदमें दायर कराने वालों के विरुद्ध धारा 182 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। मान्यवर, इसी तरह से जो पिछली बार इसी बात को उठाने का काम किया गया था अपराधों के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 13-5-07 से 29-2-2008 तक डकैती की 98 घटनायें हुई है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 118 डकैती के अपराध हुए थे। इसी तरह से दहेज हत्या में इस अवधि में 1524 दहेज हत्या के मामले हैं जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1619 मामले थे।

मान्यवर, 13-5-07 से 29-2-2008 तक 1064 बलात्कार की घटनायें घटित हुई जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1211 मामले थे। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि डकैती एवं बलात्कार के अपराधों में कमी हुई है। मान्यवर,हम अपने इन आंकड़ों से भी बहुत संतुष्ट नहीं हैं, बहन कुमारी मायावती जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश ऐसा बनेगा कि अगर रात में भी कोई महिला निकलती है तो वह सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचेगी। उसके साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं

होने पायेगी। यह संकल्प लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, इसी तरह से माानीय लाल जी टण्डन और माानीय अम्बिका चौधरी जी ने माओवादी गतिविधियों से सम्बन्धित घटनाओं को उठाने का काम किया है। इस संदर्भ में यह बताना चाहूंगा कि भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, अभिसूचना इकाई, आई0बी0 की इकाईयां तथा चेक पोस्ट कायम है। कड़े नियंत्रण व निगरानी के परिणामस्वरूप उ0 प्र0 नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इसी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है। इस तरह से इसमें और भी कार्यवाही करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं फिर यह बताना चाहता हूं कि विवेचनाओं के निस्तारण की नियमित सीमा क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक के स्तर पर की जाती है तथा गम्भीर अपराधों में पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 13-5-2007 से 29-2-2008 तक 1,08,543 अभियोग पंजीकृत हुए। इतने पंजीकृत अभियोगों में से मात्र 3,403 अभियोगों की विवेचनायें लम्बित हैं। 01 वर्ष से अधिक पुरानी मात्र 3 विवेचनायें थानों पर लम्बित है।

मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन ने सक्रियतापूर्वक काम किया है। जिसका परिणाम है कि आज लगभग 98 प्रतिशत से ज्यादा विवेचानाओं की समीक्षा करने का और उन पर कार्यवाही करने का काम किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से जो आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया गया है। मान्यवर, मैंने कल भी इस पर कहा था, पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और हमारी नेता ने इसको गम्भीरता से लेने का काम किया है और त्वरित गति से इसमें कार्यवाही करने का निर्णय लेने का काम किया है। मान्यवर, जहां एटीएस के गठन का काम किया गया। वहीं पर एसटीएफ के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। एसटीएफ का काम पहले लखनऊ से ही होता था अब बनारस और मेरठ में भी इनको रखने का काम किया गया है। उनका मुख्यालय पूर्व में वाराणसी में है तथा पश्चिम में गौतमबुद्धनगर में है। इसी तरह से बताना चाहता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण किया गया है। इसी तरह से अभिसूचना संकलन के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाइयों एवं केन्द्रीय एजेन्सियों से पूरा समन्वय बना हुआ है। अभिसूचना संवर्ग को पुनर्गठित किया जा रहा है। मान्यवर, यहां पर यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सार्थक प्रयासों से मई, 2007 से अब तक 24 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये एवं 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मार गिराए गए। पुलिस के इस सार्थक प्रयास से कई आतंकवादी घटनायें जो हो सकती थीं, उन्हें बचा लिया गया है। आतंकवादी विरोधी कार्यवाही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि रामपुर में ग्रुप सेन्टर सीआरपीएफ में एक घटना हुई थी। उसमें जो लोग सम्मिलित थे वह सभी अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

मान्यवर, इसी तरह से हमारे एक साथी ने जाली नोटों का जिक्र किया था उस सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं कि उसमें भी कार्यवाही की गयी है और एक गिरोह को पकड़ा गया है और

साथ ही साथ इसकी विवेचना, प्रकरण की विवेचना सीबीआई द्वारा किये जाने की संस्तुति 28-12-07 को करने का काम किया गया। इस तरह से जहां हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि आम जनों को लखनऊ तक भागने की जरूरत न पड़े। इसलिए कि ज्यादातर घटनाएं गांव क्षेत्र की ण जिले की या मंडल के स्तर तक होती है। इसलिए सरकार ने यह सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम किया था और बहन कुमारी मायावती जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया था कि प्रत्येक दिन 10.00 बजे से लेकर 12.00 बजे तक अपने आफिस में बैठकर जनता की समस्याओं को निराकरण करने का काम करें। इसके साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया था कि मंगलवार को तहसील दिवस पर बैठकर जनता की फरियाद को, जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनकर उसका भी निस्तारण करने का काम करें।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि तहसील दिवस पर दिये गये जन शिकायतों का निस्तारण के सम्बन्ध में कल कुछ सदस्यों ने इसका जिक्र किया था, यह अवगत कराना है कि जन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया। दिनांक 13-5-07 से 29-2-08 तक 7,78,409 जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें 7,76,550 निस्तारित की गयी। निस्तारण का प्रतिशत 99.76 प्रतिशत रहा। मान्यवर, इस तरह से कई सदस्यों ने इस बात का उल्लेख करने का काम किया था। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने इस बात का उल्लेख किया था कि हमारी सरकार यादव समाज के कुछ लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ भेदभाव कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार की किसी जाति बिरादरी के साथ भेदभाव की मंशा नहीं है। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वह उत्तर प्रदेश और देश में जातिविहीन सामाजिक व्यवस्था को बनाना, हमारी चाहत है समतामूलक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना यह हमारे नेता का लक्ष्य है और उसके तहत उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 1300 थाने हैं उसमें जहां अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है वहीं यादव समाज के भी आज लगभग 52 थानों पर थानाध्यक्ष यादव समाज के हैं। इसलिए मान्यवर, यह सरकार किसी जाति या वर्ग की विरोधी नहीं है। हमने सबको साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराने का काम किया है। मान्यवर, इसी तरह से अन्य घटनाओं का तमाम सदस्यों ने जिक्र किया है मैं इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इसका उल्लेख काके हर एक जो घटना उठाई गयी थी, मेरे संज्ञान में है मैं सबका जवाब देना चाहता था लेकिन मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं। हर एक छोटी से बड़ी घटना का यह सरकार संज्ञान लेती है उसको गम्भीरता से लेने का काम करती है और त्वरित गति से कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही आजादी के बाद से शायद ही कभी हुआ रहा हो जो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है। केवल आज ही नहीं मान्यवर, यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं यह पूरे देश और प्रदेश की जनता भी मानती है कि अपराधियों से कोई समझौता बहन कुमारी मायावती जी करने वाली नहीं हैं, उनसे कोई समझौता करने वाली नहीं हैं। अगर हमारा भी सांसद अपराध करने का काम करता है, अगर हमारा भी विधायक अपराध करने का काम करता है, हमारा भी पार्टी का पदाधिकारी कानून को

अपने हाथ में लेने का काम करता है तो उसको भी कानून के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको भी जेल में पहुंचाने का काम किया जाता है। उसमें किसी तरह से इस तरह की स्थिति नजर नहीं आती कि उसमें पक्षपात नजर आता हो।

मान्यवर, किडनी प्रकरण का जिक्र किया गया था। इसमें हमारी सरकार ने मुकदमा पंजीकृत कराने का काम किया और इस घटना की सीबीसीआईडी से जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया। मान्यवर, गुण्डा टैक्स वसूली की बात कर रहे थे माननीय चौधरी साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कल माननीय ओम प्रकाश सिंह जी मेरी एक बात कर हंस पड़े जब मैंने शेम-शेम कहा था- इनको शायद वह घटना याद नहीं है। मुझे बलिया में जाने का अवसर मिला था। मैंने देखा था कि वहां का एक व्यक्ति, जो कभी मंत्री था, उसने एक थाना, जो आजादी के समय से स्थापित था, उस थाने को खाली कराकर उस जमीन को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनाने का काम किया। मैंने इस बात को देखने का भी काम किया तहसील भवन जो बहुत वर्षों से चल रहा था उस तहसील भवन को भी अपने नाम पर कराने का काम किया। इस तरह से सरकारी सम्पत्ति को लूटने वाले लोग और गुण्डा टैक्स वसूली, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा होता था जब टेन्डर पड़ता था तो अपराधी बैठ जाता था और टेन्डर उसी को दिया जाता था जो 5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 3 प्रतिशत पहले उनको दे जाता था। इस तरह की वसूली और हर जगह पर वसूली का काम किया जाता था। इकबाल की बात करते हैं। मान्यवर, इस सरकार का इकबाल बुलन्द है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि बहन कु0 मायावती जी ने सरकार का इकबाल बुलन्द करने का काम किया है। सभी लोगों को विश्वास दिलाया है कि इस सरकार का जो संकल्प होता है उसको अक्षरशः पालन करने का काम किया जाता है। उसमें किसी तरह से कोई रियायत नहीं बरती जाती।

आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गुण्डा टैक्स की वसूली बंद हुयी है। इसको मैं दावे के साथ और जोर देकर कहना चाहता हूं और इसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी स्वीकार करने को तत्पर है। मान्यवर, अधिकारियों का किस तरह से सम्मान किया जाता था। फिरोजाबाद के एस0 पी0 को एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने मारने का काम किया था, मेरे जिले में एक अल्पसंख्यक समाज के दरोगा को अम्बेदकर नगर जिले में बसखारी में दौड़ा-दौड़कर मारने का काम किया गया था। राम नगर में एक मौर्या सब रजिस्ट्रार था, उसको समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने दौड़ा-दौड़ाकर मारने का काम किया था। लेकिन कोई भी अपराध दर्ज करने का काम नहीं किया गया था। ऐसे लोग हमें इस बात को सिखाने का काम कर रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण कैसे दिया जाता था। मान्यवर, यह लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। मान्यवर, नक्सलवाद की बात आई थी। नक्सलवादी समस्या के लिये भी हमारी नेता ने प्रयास किया था। इस बात का भी यहां जिक्र किया गया कि नक्सलवादी क्षेत्रों में जो विकास कार्य हो रहा था उसको रोक दिया गया था। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि नक्सलवादी

क्षेत्रों में जो विकास के कार्य थे, उनमें किसी को भी रोकने का कार्य नहीं किया गया, सारे विकास के काम चल रहे हैं और इसी का परिणाम है कि एक भी नक्सलवाद की घटना इस कार्यकाल में नहीं हुयी है। मान्यवर, इसी तरह से माननीय सदस्य ने कई ऐसे मुद्दे उठाने का काम किया, बजट में पैसे की व्यवस्था के सम्बन्ध में। कि एक हजार रुपया अग्निशमन केन्द्र का, किसी का 2 हजार रुपया और किसी का तीन हजार रुपया। मान्यवर, मैं भी बहुत दिनों से सदन में रहा हूं और आप भी जानते हैं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बहुत से मद ऐसे होते है जिनकी टोकेन ग्रान्ट रखी जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे की कोई कमी है। निश्चित रूप से टोकेन ग्रान्ट के रूप में रखकर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उस कार्य को करना है और जब उसका डिटेल इस्टीमेट बनता है तो उसके अनुसार उसके लिये पैसे की व्यवस्था की जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह 4.00 बजे प्रस्तुत हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके बाद 1-2 मिनट स्पष्टीकरण के लिये जरूर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने इस बात को कहा कि वाहन में 14.97 करोड़ की धनराशि जिससे 359 नये वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। इनमें जीप 188, टाटा स्पेशियो 25, बोलेरो 27, जिप्सी 59, अम्बेस्डर कार 50, मीडियम वाहन 3 और भारी वाहन एक सम्मिलित है। इसी तरह से अच्छे शस्त्र उपलब्ध कराने के लिये 18.93 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। इसी तरह से दंगा निरोधक उपकरण के लिये 2.71 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। मान्यवर, इससे बाडी प्रोटेक्टर 5000, पालीकार्बोनेट शील्ड 2175, हेल्मेट 6000, बुलेटप्रूफ जैकेट 100, बुलेटप्रूफ हेलमेट 2297, बुलेटप्रूफ पटाका 300 सम्मिलित है। कम्प्यूटराइजेशन के लिये मान्यवर, 11 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिससे उन तमाम योजनाओं को जिनसे हम सूचना संकलन को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसके तमाम उपकरणों की व्यवस्था की गई है। कहीं भी पैसे की समस्या नहीं आने दी जायेगी अपराध को नियंत्रित करने के लिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुये और जिन मा0 सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेने का काम किया था उन सभी मा0 सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।, धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जितनी तीव्र गति से बहुत ही प्रभावी शैली में आपने उत्तर दिया या भाषण दिया इसका तो फर्क करना मेरे लिये सम्भव नहीं हो पाया इसलिये स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। अभी आपने पुरानी सरकार का हवाला दे करके कहा कि उस सरकार में गुण्डाटैक्स की वसूली होती थी। सड़क

पर खड़े हो करके लोग वसूली करते थे। क्या यह सम्भव है, आप या आपके कोई भी सहयोगी बिना लालबत्ती की गाड़ी लिये हुये तीन जगह मैं बता रहा हूं, किसी शाम को जा सकते हैं ? हरियाणा में जहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, करनाल-मेरठ मार्ग पर यमुना के पुल पर खड़े हो जायें। पानीपत-खटीवां मार्ग पर यमुना के पुल पर खड़े हो जायें। उत्तरांचल में जहां से आते हैं वहां पर चेकपोस्ट है पुरकाजी, तीनों जगहों पर आप खड़े हो जायें तो आपकी रूह तक कांप जायेगी। मान्यवर, जिस तरह से डंडे के जोर पर टैक्स की नहीं पैसे की वसूली उन लोगों से हो रही है, क्या संदेश पंजाब और हरियाणा के ट्रक वाले ले जाते होंगे, क्या संदेश उत्तरांचल के ट्रक वाले ले जाते होंगे, मान्यवर, रूह कांप जायेगी। मैं जानता हूं कि मा0 मुख्यमंत्री जी की जानकारी में यह बात नहीं है, अगर होती तो निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही हो गई होती। लेकिन यह भी जानकारी कर लीजियेगा कि तीनों जगह कौन लोग बैठे हुये हैं, किनका संरक्षण प्राप्त है। मान्यवर, बाकायदा ठेके छोड़े गये हैं और ठेके छोड़ने वाले कोई और नहीं हैं मान्यवर, वह जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले मान्यवर हैं। वह मान्यवर हैं वह किसी न किसी पद पर आसीन हैं। बाकायदा ठेके छोड़े गये हैं, हम और आप सभी इस बात से पीड़ित होंगे कि उत्तर प्रदेश [illegible] खराब न हो लेकिन जिस प्रकार से छवि को खराब करने में लोग लगे हुये हैं, उसको रोकना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, दो दिन के अन्दर, परसों और कल एटा और मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग के ठेके छूटे हैं, हालत देख लेना, कौन विधायक थे जो गाड़ियों में बैठ करके, जिन्होंने किसी को वहां फटकने ही नहीं दिया और जितने ठेके छूटे हैं, उनकी मर्जी से, उनके कन्ट्रोल में, उनके नियंत्रण में छूटे हैं। इसमें केवल जानकारी करने की बात है, हम आरोप इसलिये नहीं लगाते क्योंकि यह जो वर्ग है यह किसी के नियंत्रण में नहीं है, यह केवल सत्तापक्ष में होता है, इनकी कोई पार्टी नहीं होती है। जो सत्ता में होता है ये लोग तुरन्त उसी दल में शामिल हो जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि हमारे यह बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े अनुयायी हैं लेकिन ये लोग किसी के अनुयायी नहीं होते, लेकिन हां उनमें क्षमता इतनी होती है कि वह विश्वास अर्जित कर लेते हैं। कुछ दल ऐसे भी रहे जहां वह नहीं फटक सके लेकिन हां जहां आपने इशारा किया और मजबूर हो करके जहां मैं इशारा कर रहा हूं, मैं मजबूर हो करके इस विश्वास के साथ इशारा कर रहा हूं कि हमारी यह वाणी केवल यहां तक सीमित न रह जाये, हमारी वाणी व्यावहारिक रूप में भी आये और हमारी वाणी का असर कल ही जाय कि जो लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश में आयेंगे, उन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हमारी मुक्ति हुई है, जो सदन में कहा गया था उसका प्रभाव सड़क तक पहुंच गया है। यह संदेश अगर चला गया तो मा0 मंत्री जी हम आपका नागरिक अभिनन्दन कर देंगे।

पार्टी की बात इसमें नहीं है, हम चाहते हैं कि आम जनता को किस तरह से शुकून और शान्ति मिले। मान्यवर, जब आपने शुरू किया था तो कहा था कि फलां दिन फलां समय तक अधिकारी मिलते हैं। हमारे मा0 विधायक अशोक कंसल जी बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, चार दिन तक एस0एस0पी0, मुजफ्फरनगर से मिलने का समय मांगते रहे। मान्यवर, इनके घर की

समस्या नहीं थी, केवल आम जनता की समस्या थी. चार दिन तक यही होता रहा कि सुबह टेलीफोन किया तो दोपहर को करना, दोपहर को किया तो चार बजे करना, चार बजे मिले नहीं आठ बजे तक बैठे रहे। अगर विधायकों का यह सम्मान है तो ठीक है। आप संतुष्ट तो मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे। क्यों नहीं अधिकारियों के ऊपर इतना प्रभाव है वह कितने ही सक्षम अधिकारी रहे हों, आपके नियंत्रण में आ करके कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो लेकिन यह इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि विधायकों का सम्मान न करें, उनको खुलेआम अपमानित करें। उनके साथ 10 व्यापारी थे, उन व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ? वह कह रहे होंगे कि किसलिये चुन करके गये हैं, इस्तीफा दे करके घर बैठो, अगर आपकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप एस0 पी0 से समय लें और आपको समय न मिले। ये दो-तीन बातें मैंने कही है इसलिये क्योंकि समय हो रहा है, आप कुछ कहना चाहे तो अच्छा लगेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह ने जानकारी दी है उसको मैंने संज्ञान में लिया है। मान्यवर, हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, जहां तक टेण्डर का सवाल है तो हमारी सरकार, बहन कु0 मायावती जी ने यह व्यवस्था की है कि अब इण्टरनेट पर टेण्डर लिये जा सकते हैं और डाले भी जा सकते हैं। इसलिये उसमें कहीं इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। मान्यवर, एक बात आयी थी राज्य मानवाधिकार का।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप पता कर लेंगे जिस दिन इण्टरनेट में डालते हैं दूसरे दिन उसको लॉक कर देते हैं। हो सकता हो कि आपको जानकारी न हो, अपने लोगों को जिसको टेण्डर देना होता है उसी को देते हैं दूसरों को मौका नहीं देते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

हम पता लगा लेंगे। मान्यवर, राज्य मानवाधिकार की बात आयी थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यगण के बनाने की समिति है, उसके अध्यक्ष माननीया मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय सभापति, विधान परिषद्, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद् और मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा इसके सदस्य हैं और आप भी हैं। मान्यवर, इसकी बैठक 8 मार्च, 2008 को बुलायी गयी थी और ये सभी लोग बाहर थे, उनके अनुरोध पर मीटिंग टल गयी है। इस पर भी जल्द ही निर्णय लिया जायेगा और इस पर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको हमने संज्ञान में लिया है और हम इसको पूरी तरह से दिखवाने का काम करेंगे।

अब कटौती रखने वाले तो है नहीं, मान्यवर, अनुरोध किससे कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,66,69,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक की प्रतियां बांट दी जाए।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008

31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2008-2009 के लिए 122698,41,32,000 रुपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 2008) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 122698,41,32,000 रुपये (एक लाख बाइस हजार छः सौ अट्ठानवे करोड़ इकतालिस लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	आबकारी विभाग	राजस्व :	500349	1000	501349
		पूंजी :	2000	---	2000
2	आवास विभाग	राजस्व :	1260188	77521	1337709
		पूंजी :	6053204	119629	6172833
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं	राजस्व :	808349	400	808749
	निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	55900	---	55900
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	272103	1	272104
		पूंजी :	---	---	0
5	उद्योग विभाग	राजस्व :	399078	---	399078
	(खादी एवं ग्रामोद्योग)	पूंजी :	---	---	0
6	उद्योग विभाग (हथकरघा	राजस्व :	449691	---	449691
	उद्योग)	पूंजी :	---	---	0
7	उद्योग विभाग (भारी एवं	राजस्व :	1867339	---	1867339
	मध्यम उद्योग)	पूंजी :	1600000	---	1600000
8	उद्योग विभाग (मुद्रण	राजस्व :	804685	---	804685
	तथा लेखन-सामग्री)	पूंजी :	89725	---	89725
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	22887002	253674	23140676
		पूंजी :	77784642	---	77784642
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	1619861	5700	1625561
	(औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	34466	---	34466
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	23352601	1210	23353811
	(कृषि)	पूंजी :	2391354	---	2391354
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	1464910	---	1464910
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	---	---	0

1	2	3	4	5	6
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	14212804	1050	14213854
		पूंजी :	6677915	---	6677915
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	11700026	---	11700026
		पूंजी :	6312326	---	6312326
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	3035695	1379	3037074
		पूंजी :	1092425	---	1092425
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	1107997	20	1108017
		पूंजी :	20000	---	20000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	757389	---	757389
		पूंजी :	---	---	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1422159	18600	1440759
		पूंजी :	320500	102700	423200
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	70309	---	70309
		पूंजी :	---	---	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	11408	146397	157805
		पूंजी :	---	5084	5084
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	1417210	2050100	3467310
		पूंजी :	65026219	15000050	80026269
22	खेल विभाग	राजस्व :	258403	100	258503
		पूंजी :	500051	---	500051
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	924487	150	924637
		पूंजी :	175000	---	175000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	645196	---	645196
		पूंजी :	300000	---	300000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	1709561	800	1710361
		पूंजी :	641027	---	641027
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	36288396	6527	36294923
		पूंजी :	2912002	--	2912002
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2402547	---	2402547
		पूंजी :	96181	---	96181

1	2	3	4	5	6
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	851843	---	851843
		पूंजी :	---	---	0
29	*गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	---	47563	47563
		पूंजी :	---	---	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	20834	---	20834
		पूंजी :	---	---	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	8236807	---	8236807
		पूंजी :	1579134	---	1579134
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व :	17417136	2000	17419136
		पूंजी :	4334769	---	4334769
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	2431155	---	2431155
		पूंजी :	88800	---	88800
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1152713	---	1152713
		पूंजी :	156776	---	156776
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	8157977	1500	8159477
		पूंजी :	1750000	---	1750000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	2578061	100	2578161
		पूंजी :	---	---	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	23388061	---	23388061
		पूंजी :	2000003	---	2000003
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	153783	---	153783
		पूंजी :	590000	---	590000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	64955	---	64955
		पूंजी :	---	---	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	946907	---	946907
		पूंजी :	596331	---	596331
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	654896	---	654896
		पूंजी :	---	---	0

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

1	2	3	4	5	6
42	न्याय विभाग	राजस्व :	5341600	889864	6231464
		पूंजी :	2074955	---	2074955
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	510490	---	510490
		पूंजी :	161134	---	161134
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	152129	---	152129
		पूंजी :	672628	---	672628
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	885010	---	885010
		पूंजी :	806500	---	806500
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	51027	---	51027
		पूंजी :	---	---	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	1619398	102	1619500
		पूंजी :	364880	---	364880
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	2211491	205	2211696
		पूंजी :	272670	---	272670
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	20276292	1000	20277292
		पूंजी :	600802	---	600802
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	2799347	1604	2800951
		पूंजी :	1660326	---	1660326
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	11344678	---	11344678
		पूंजी :	1000000	---	1000000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	9256782	4577	9261359
		पूंजी :	1001	1051	2052
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	16722	---	16722
		पूंजी :	100	---	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	7167583	400	7167983
		पूंजी :	---	---	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	306500	26187	332687
		पूंजी :	465504	5285	470789
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	250000	---	250000
		पूंजी :	3820000	---	3820000

1	2	3	4	5	6
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	110000	---	110000
		पूंजी :	5750000	---	5750000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	13001985	500	13002485
		पूंजी :	28763501	55000	28818501
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	805605	---	805605
		पूंजी :	1252227	---	1252227
60	वन विभाग	राजस्व :	2468887	1370	2470257
		पूंजी :	2243885	---	2243885
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	47848221	144257722	192105943
		पूंजी :	2440053	152530365	154970418
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	50157364	24391	50181755
		पूंजी :	500000	---	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	866018	400	866418
		पूंजी :	11232	---	11232
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व :	925984	---	925984
		पूंजी :	200	---	200
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	15085	1261723	1276808
		पूंजी :	---	---	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	176720	4536	181256
		पूंजी :	3000	---	3000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	498612	5701	504313
		पूंजी :	1200	---	1200
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	309427	---	309427
		पूंजी :	---	---	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	89557524	---	89557524
		पूंजी :	9860	---	9860
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	30426139	270	30426409
		पूंजी :	205500	---	205500
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	8851614	1	8851615
		पूंजी :	375000	---	375000

1	2	3	4	5	6
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	698521	---	698521
		पूंजी :	13005	---	13005
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	1226384	---	1226384
		पूंजी :	---	---	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	1084002	---	1084002
		पूंजी :	161713	---	161713
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	2442046	---	2442046
		पूंजी :	248183	---	248183
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	11772120	---	11772120
		पूंजी :	193611	---	193611
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	21645458	---	21645458
		पूंजी :	---	---	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	288337	10	288347
		पूंजी :	94373	---	94373
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	178814	14515	193329
		पूंजी :	80000	---	80000
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	40689657	---	40689657
		पूंजी :	29468323	---	29468323
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	6782	---	6782
		पूंजी :	---	---	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	24215	---	24215
		पूंजी :	---	---	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	570200	---	570200
		पूंजी :	10000	---	10000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	239339	10	239349
		पूंजी :	8600	---	8600

1	2	3	4	5	6
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	329009	---	329009
	(निदेशालय)	पूंजी :	---	---	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	2572310	1003	2573313
	(वाणिज्य कर)	पूंजी :	125000	---	125000
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजर	राजस्व :	612415	---	612415
	तथा बाजीकर)	पूंजी :	---	---	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं	राजस्व :	811803	4	811807
	पंजीकरण)	पूंजी :	10000	---	10000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	186731	5	186736
		पूंजी :	1220203	---	1220203
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	10810042	5000	10815042
		पूंजी :	1790915	---	1790915
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	14202941	---	14202941
		पूंजी :	23642961	40000	23682961
	योग	राजस्व :	616304281	149116892	765421173
		पूंजी :	293703795	167859164	461562959
	महायोग :		910008076	316976056	1226984132

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र चित्रकूट को अलग करके एक प्रथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी तथा विवेक कुमार सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड राज्य का गठन हो जाएगा तो हम लोगों के लिए रास्ता बनेगा। वहां पर भुखमरी और पलायन रुकेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो मैंने कहा कि चर्चा जारी रहेगी जिससे पूरे सदन के सामने आपकी बात आए। अच्छे माहौल में बहस हो।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय जिसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य के 22 जिलों को सम्मिलित करके पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

* श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदास नगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिये जाने विषयक चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय।'

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में गो-हत्या हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु राज्य मार्गों के किनारो पर बरगद, नीम, पीपल आदि वृक्षों का रोपण किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के सभी स्कूलों और कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं। 'यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ भूमि पर अधिग्रहण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाय।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा के विकास के लिये प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू रेन्यूअल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को आगरा में अविलम्ब आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विकास के लिए प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू रेन्यूअल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य आगरा में भी अविलम्ब आरम्भ कराये जायं।'

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा और गरीब कारीगरों के जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूतों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त करने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने और गरीब कारीगरों के जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु रु0 300.00 अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूतों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा दि0 6 नवम्बर, 2007 को नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो चर्चा जारी है जैन साहब।

* श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

हां मान्यवर, हम इसमें यह चाह रहे थे कि राज्य का निर्माण या पिछड़ापन कुछ ऐसा हो जाय जहां पर भुखमरी और सारा पलायन बन्द हो जाय तो हम चाहते हैं कि आज समय भी है आप इस पर एक घण्टे की चर्चा आज करा दें बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

एक घण्टे की चर्चा अब कहां हो सकती है ? आप देख रहे हैं।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, आज कुछ काम भी नहीं है सदन में।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं काम है। आज एक घण्टे की चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मैं चाह रहा था बुन्देलखण्ड का कुछ भला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जारी रखते है। यह जीवित रहेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

ठीक है, जारी करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह चर्चा जारी रहेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-51 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आज पढ़ेंगे नहीं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 69 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-श्री अशोक कंसल की चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के बी0एड0 में उत्तीर्ण छात्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है।

2-श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद एटा के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री अशर्फीलाल गुप्ता की विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

3-श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित जीवनी मण्डी चौराहे से वाटरवर्क्स चौराहे तक जर्जर एवं गड्ढ़ायुक्त सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

4-श्रीमती कृष्णाराज की जनपद लखीमपुर खीरी में मोहम्दी-जहानीखेड़ा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

5-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद औरैया के ग्राम हबिलिया व खेमन ग्रामों की विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

6-श्री राम बिशुन आजाद की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल की हिन्दी की किताब में गोस्वामी तुलसी दास का जन्म स्थान गोण्डा के स्थान पर आजमगढ़ दिखाये जाने के सम्बन्ध में है।

7-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

8-श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद महामायानगर की सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में बन्द पड़ी आरा मशीनों को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

10-श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के चयनित अम्बेडकर ग्राम अचकारी में दबंगों द्वारा सड़क का कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में है।

11-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर स्थित पवसरा रजवाहे पर बनी पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

12-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद फतेहपुर की हथगांव ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में नियुक्त शिक्षित बेरोजगारों के रुके मानदेय को दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

13-श्री आर0पी0एन0 सिंह की जनपद कुशीनगर में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

14-(1) डॉ0 राजेन्द्र सिंह (2) श्री सुधीर कुमार की प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में एण्टी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता मांग के अनुरूप सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

15-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की जनपद कुशीनगर की तहसील भवन हाटा एवं जर्जर अधिवक्ता चैम्बर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

16-श्री श्याम नारायण यादव की महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के कैम्पस में अनाधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है।

17-हाजी अब्दुल समद अन्सारी की जनपद वाराणसी के थाना कैंट अन्तर्गत अराजक तत्वों द्वारा दुकानदारों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

18-श्री कृष्ण गोपाल पटेल की प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्रामवासियों के मकान व कृषि भूमि को वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

19-श्री मिथिलेश कुमार की ट्रामा सेन्टर लखनऊ में श्री शिवशंकर की किडनी निकाले जाने की जांच के सम्बन्ध में है।

20-श्री जंगबहादुर सिंह की सिंचाई विभाग, गोरखपुर द्वारा जबरन फरेन्दा राजपुर-दौलतपुर बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

21-श्री उदयराज यादव अमेठी-सुल्तानपुर निवासी श्रीमती शान्ती देवी की जमीन पर जबरिया कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

22-श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम लोहरौला स्थित प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

23-डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में भू-जलस्तर में गिरावट के कारण शहर एवं देहात में पानी की कमी के सम्बन्ध में है।

24-श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर में खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है।

25-श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी कताई मिल, बहादुरगंज को पूरी क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

26-डा0 राजेन्द्र सिंह की जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला, बेलघाट एवं अरूवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

27-श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी की श्रीमती कान्ती देवी को विधवा वृद्धा पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

28-श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा स्थित डी0एल0एफ0 कम्पनी के रोड़ी बदलपुर सीमेन्ट प्लान्ट से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है।

29-श्री अरविन्द गिरि की जनपद लखीमपुर खीरी स्थित सिकन्दराबाद विद्युत सब स्टेशन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

30-डॉ0 कौशल किशोर की नगर पंचायत खीरी से नगर पंचायत ओयल को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

31-श्री सुन्दर सिंह की विधान मण्डल के सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों की गम्भीर बीमारी से पीड़ित होने पर सरकार द्वारा उचित इलाज नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में है।

32-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद अम्बेडकरनगर में जल निगम मैं तैनात सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

33-श्री मदन भैया की नगर निगम, लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

34-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की जनपद बांदा के अतर्रा नगरपालिका में यू0पी0एस0आई0डी0 लिमिटेड द्वारा अवैधानिक रूप से बाउन्ड्री वाल गिराये जाने के सम्बन्ध में है।

35-श्री जोखू लाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है।

36-श्री अमरमणि त्रिपाठी की प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागारों को आदर्श कारागार की श्रेणी में रखने तथा प्रदेश के सभी जनपदीय कारागारों में दोषसिद्ध बन्दियों को रखे जाने के सम्बन्ध में है।

37-श्री महबूब अली की जनपद हरदोई की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में तैनात चिकित्सकों एवं लैब टेक्नीशियनों द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है।

38-श्री कादिर राणा की महिला कल्याण विभाग में वर्ष 2003 में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किये गये कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

39-श्री राधेश्याम गुप्ता की जनपद फतेहपुर के द्वाबा क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में है।

40-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद मेरठ के ग्राम पिठलोकर में नदी द्वारा हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में है।

41-श्री अवस्थी बाला प्रसाद की भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय, लखनऊ की असाध्य रोग से पाड़ित सुश्री मीता चटर्जी को चिकित्सीय अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है।

42-डॉ0 अजय तोमर की जनपद बागपत के ग्राम आसारा के मो0 शाहिद की लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में है।

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्य के पदों पर आरक्षित वर्ग के उच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

44-श्री सर्वेश कुमार सिंह की उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद आजमगढ़ के ग्राम पनशब्दा निवासी श्रीमती मधु सिंह को स्वीकृत ऋण पर मार्जिन मनी के रूप में छूट का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है।

45-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की आगरा केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध श्री सलीम की शासन द्वारा की गयी संस्तुति के बावजूद भी रिहाई न होने के सम्बन्ध में है।

46-चौ0 सतपाल सिंह की जनपद अलीगढ़ के पलवल टप्पल राष्ट्रीय राजमार्ग की गड्ढ़ायुक्त सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद जौनपुर के इण्टर कालेज, इमलोपाण्डेय पट्टी में कार्यरत सहायक अध्यापक की अर्हता न होने एवं बी0एन0बी0 इण्टर कालेज, मड़ियाहूं की श्रीमती रेखा सिंह द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर दो स्थानों से वेतन प्राप्त करने के सम्बन्ध में है।

48-श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग पर वैट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

49-श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच के ग्राम गुलरिहा जगतापुर के श्री राम अचल की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

50-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की मिलक बिलासपुर मार्ग को हाटमिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

51-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की वर्ष 2006 तक के असहायिक अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने के सम्बन्ध में है।

52-श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद-सुल्तानपुर की जर्जर एवं गड्ढ़ायुक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

53-श्री जावेद अंसारी की बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए जौनपुर शहर में विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध मे है।

54-श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के ग्राम चुदावां की सैकड़ों बीघा जमीन पवरी माइनर के टूटने के कारण जलमग्न होने के सम्बन्ध में है।

55-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में स्थायी रूप से फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

56-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में सिंचाई विभाग द्वारा पूरी क्षमता से पम्प कैनालों को चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

57-श्री मो0 उस्मानुल हक की जनपद मुरादाबाद स्थित पराग दूध दुग्ध संघ, दलपतपुर द्वारा किसानों के करोड़ों रुपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।

58-श्री धनन्जय सिंह की जनपद जालौन के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानक के विपरीत विद्यालयों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

59-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की इलाहाबाद जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण के बाद भी कानपुर जल संस्थान में कार्यभार ग्रहण न करने के सम्बन्ध में है।

60-श्री लालजी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर स्थित बासी के सिंचाई निर्माण खण्ड द्वारा किसानों के भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

61-श्री राजेश कुमार गौतम की जनपद लखीमपुर खीरी में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

62-श्री महबूब अली की लखनऊ स्थित इन्दिरानगर कालोनी के पुराने पिकनिक स्पाट रोड के किनारे नाले की खुदाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

63-श्री सुखलाल की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम असरफपुर के प्रमुख चकमार्ग पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

64-श्री अनूप संडा की जनपद सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

65-श्री अनूप कुमार गुप्ता की श्री रामकिंकर पाण्डेय, क्षेत्र प्रमुख, मिश्रिख, सीतापुर के विरुद्ध पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

66-डॉ0 अजीत चौधरी की पुलिस मेडल प्राप्त सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, श्री जयदेव सिंह वर्मा की पदोन्नति सम्बन्धित लम्बित मामले के निराकरण के सम्बन्ध में है।

67-श्री श्रीपति आजाद की जनपद महाराजगंज के मिठौरा ब्लाक में राष्ट्रीय रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

68-श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड, ऊन के गांव रांझण में जोहड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नियम-301 की सभी सूचनाओं को लिए जाने का अनुरोध

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं कि जो 301 की सूचनाएं जो रद्द कर दी थीं वेल के कारण बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं चार पांच दिन से प्रयास कर रहे थे। उनको ले लेते।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अच्छा ठीक है, सबकी ले लेते हैं। शेष स्वीकृत सूचनाएं भी ले लेते हैं।

(निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं जो आज स्वीकार की गयी हैं, भी पढ़ी हुयी मानी गयीं)

झांसी महानगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु ड्राई क्षेत्रों को पाइप लाइन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

[मैं इस सदन के माध्यम से झांसी महानगर की पयेजल समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। झांसी महानगर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुमनावारा, वीरांगना नगर, कोछाभाँवर, पिछौर, करगुंवाजी, मैरी सिमरधा, खोड़न लहरगिर्द, भगवन्तपुरा, रक्सा, हंसारी, बिजौली, राजगढ़ सैयंद इत्यादि में गहरा पेयजल संकट व्याप्त है। पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, यह ड्राई क्षेत्र है। कुंयें व हैण्ड पम्प सूख गये हैं। जलापूर्ति हेतु इन क्षेत्रों को पाईप लाईन से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। 12 करोड़ की लागत से वर्षों से बंद पड़ी बराठा बेसिन को भी अभी तक चालू नहीं किया गया है। जिला योजना में भी इन क्षेत्रों के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में आन्दोलन चल रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिक पेयजल समस्या से परेशान हैं। टैंकरों से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू पास प्रणाली व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संजीव दरियाबादी-

[मैं इस सदन के माध्यम से जनपद कानपुर के कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कानपुर विकास प्राधिकरण जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। के0डी0ए0 में पास प्रणाली लागू कर दी गयी है, जिससे वहां पर आने-जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर वर्किंग आवर में प्रतिदिन लगभग तीन हजार लोग अपने कार्य के सिलसिले में आते-जाते हैं। पास बनवाने के लिए लाईन लगानी पड़ती है जिससे लोगों को लाइन में ही घण्टों गुजर जाते हैं, जहां पर पास बनाने की व्यवस्था की गयी है, वहां पर कोई छाया भी नहीं है जिससे लोगों को और अधिक परेशानी होती है। कानपुर विकास प्राधिकरण में जब से पास प्रणाली लागू की गयी है, तब से नागरिकों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, उनके समय से कार्य नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर समय पास बनवाने में ही निकल जाता है। यदि कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू की गयी पास प्रणाली व्यवस्था को खत्म कर दिया जाय तो लोगों को काफी राहत मिल जायेगी।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

तत्कालीन राज्य सरकार के समय में राजनैतिक द्वेष भावना से शान्ति भंग की आशंका में श्री राजाराम त्यागी (सदस्य विधान सभा) पर लगाये गये मुकदमें हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजाराम त्यागी-

[दिनांक 10-8-04 को जनपद रायबरेली स्थित डीह डी0वाई0 नहर में पानी कम जाने और डेबारमऊ माइनर में पानी न चढ़ने की समस्या को लेकर जनपद रायबरेली के मऊ त्रिपुला के पुल पर महराजगंज इन्हौना मार्ग में कुछ लोगों द्वारा जाम लगाया गया। जाम की सूचना पर तत्कालीन एस0एच0ओ0 श्री एस0एन0 सिंह महराजगंज, रायबरेली अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद तत्कालीन एस0डी0एम0 व तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भी मौके पर गये। मुझे सूचना प्राप्त होने पर तत्कालीन एस0डी0एम0 व तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के पहुंचने के बाद मैं मौके पर गया। उस समय सपा की सरकार थी तथा सरकार के दबाव में राजनैतिकि द्वेष भावना से शांति भंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की आशंका को लेकर पंजीकृत मु0अ0सं0-624/04, थाना-महराजगंज, रायबरेली में मेरा नाम जोड़ दिया जाय। दर्ज मुकदमें में मेरा नाम अंत में क्रमांक-19 पर अंकित है। तत्कालीन सपा सरकार के दबाव में आकर अधिकारियों ने मेरा नाम डाल दिया था। उक्त मुकदमें मेरा नाम ऊपर न होकर नीचे क्रमांक-19 पर है। इससे मुझे बेहद मानसिक पीड़ा है। आप माननीय सदस्यों के संरक्षक हैं। राजनैतिक द्वेष भावना से जोडे गये मेरे नाम को उक्त मुकदमें से हटवाया जाय।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

स्व0 बाबूराम सक्सेना, पेट्रोल मैन, मिश्रिख, सीतापुर की मृत्योरान्त उनके आश्रित पुत्र श्री सत्य प्रकाश सक्सेना को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, श्री सत्य प्रकाश सक्सेना जो अपने पिता स्व0 बाबूराम सक्सेना, पेट्रोल मैन, मिश्रिख, सीतापुर की मृत्यु होने के उपरान्त बार-बार आवेदन-पत्र देकर मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति दिये जाने की मांग कर रहे हैं बाबूराम सक्सेना की मृत्यु 11-1-1970 को हो गई थी, इनके साथ के अन्य लोगों को सेवा में ले लिया गया। मृतक आश्रित परिवार भुखमरी के कगार पर है और नियमों को शिथिल करते हुए इनको सेवा में लिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की कार्यवाही में विलम्ब करने के कारण कर्मियों में रोष व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल मृतक आश्रित परिवार सत्य प्रकाश सक्सेना को सेवा में लिये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर बोझी अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग के चौड़ीकरण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाले ठेकेदारों व अभियन्ताओं को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सर्वेश कुमार सिंह-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर बोझी अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग के चौड़ीकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता किये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जीयनपुर बोझी अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग का निर्माण कार्य,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चौड़ीकरण कार्य व सुदृढ़ीकरण कार्य चल रहा है। इसमें गिट्टी ओवर साइज की डाली जा रही है, बालू की जगह मिट्टी डाला जा रहा है, सफेद गिट्टी के बजाय लाल गिट्टी डाली गयी है। इस सड़क पर 377.86 रु0 की लागत का खर्च आ रहा है तथा स्थानीय ठेकेदारों एवं अभियन्ताओं की मिलीभगत से सरकारी धन का खुलेआम दुरुप्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं पूरे जिले में इस तरह की लूट अभियन्ताओं द्वारा की जा रही है। यह प्रकरण मेरे द्वारा बार-बार सरकार के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद भी पूरी जांच इसमें दोषी अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व जूनियर अभियन्ताओं के मार्फत कराकर यथाकथित जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी जा रही है, दोषी लोग ही अगर जांच करेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी, चूंकि ठेकेदारों से उक्त मार्ग पर कार्य देख रहे अभियन्ताओं की सांठ-गांठ है, अगर विजलेंस जांच हो जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और चूंकि यह अभियन्ता कई वर्षों से घूम फिर जिले व मण्डल में तैनात हैं ठेकेदारों से इनकी मिलीभगत है।

अतः इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों व अभियन्ताओं को दण्डित करने हेतु मांग करता हूं।]

नगर पालिका परिषद्, एटा के अध्यक्ष द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीपति आजाद-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, कार्यालय नगर पालिका परिषद् एटा के अध्यक्ष श्रीमती कंचन गुप्ता अड़ंगा व विनोद कुमार जैन द्वारा गृह कर पंचवर्षीय कर निर्धारण 1998 में करीब 50 लाख से अधिक का राजस्व हानि पहुंचाई। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् एटा द्वारा 20-2-08 में लिखा है जो स्थानीय पेपर में प्रकाशित किया गया, कर अनुभाग लिपिक द्वारा भी डिमाण्ड रजिस्टर आदि में अनियमितता किये जाने के बारे में अध्यक्ष को लिखा, अध्यक्ष के ऊपर तमाम तरह के अनियमितता करने का आरोप है और गृह कर किराया दुकानात आदि में करोड़ों का नुकसान किया है राजस्व निरीक्षक के रिपोर्ट जो कर अधीक्षक को दिनांक 23-8-02 में दिया गया था उसमें स्पष्ट रूप से दोषी होने व कार्यवाही करने के लिए लिखा है इसी प्रकार 5-5-2003 में कर अधीक्षक एटा द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय को लिखा उसकी सूचना आयुक्त व जिलाधिकारी को दिया जिसमें वित्तीय अनियमितता करने का जिक्र किया गया है नगरपालिका परिषद् एटा के अध्यक्ष द्वारा करोड़ों का घोटाला किया है और उसके लिए इनको दण्डित किया जाना आवश्यक है यह लोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महत्व का गम्भीर विषय है और इसकी विजिलेंस जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एवं कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में सेवरही चीनी मिल में फर्जी खाता खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 पी0 के0 राय-

[महोदय, चीनी मिल सेवरही जनपद कुशीनगर में जांचोपरान्त फर्जी खातेदारों का खाता बन्द कराया गया है। सुरक्षित क्षेत्र के किसानों का गन्ना अनुबन्धित कराया गया है, पुनः विगत माह से फर्जी अभिलेखों के आधार पर मिल प्रबन्ध एवं गन्ना समिति की मिलीभगत से बन्द हुए फर्जी खातेदारों का खाता खोला जा रहा है जिससे वास्तविक खातेदारों का गन्ना चीनी मिल पर नहीं गिर पा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निष्पक्ष जांच एवं तत्काल फर्जी खाते खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल कुमार यादव-

[मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0, लखनऊ में शासनादेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महाप्रबन्धक जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पद पर प्रतिनियुक्ति कराकर तैनाती करा दी गयी है। यहां तक कि इनके मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं प्राप्त किया गया है जबकि महाप्रबन्धक के मूल विभाग राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) में इनकी पदोन्नति/संविलियन अनैतिक एवं अनियमित होने के कारण प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1230/69/1-1-05/45 (स0) 96, दिनांक 13 मई, 2005 के द्वारा इनकी पदोन्नति एवं संविलियन निरस्त किया जा चुका है। विरोध फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या-427 (एस0बी0) 2005 में पारित होने वाले सम्भावित आदेशों के अधीन इनकी सेवायें स्थिर कर दी गयी थी। ऐसी स्थिति में बगैर अनापत्ति प्रमाण-पत्र के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद के अन्तिम निर्णय के पूर्व अथवा मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने से पूर्व किसी भी विभाग में उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्त किया जाना असंवैधानिक है एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी खुला उल्लंघन है।

अतः मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए शासनादेश एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के करंजा कलां क्षेत्र में जमुआही से भदेठी गांव के अन्तिम छोर तक की मुख्य सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जावेद अंसारी-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद जौनपुर के करंजा कलां ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली महत्वपूर्ण सड़क जो "जमुआही से भेदठी गांव के अन्तिम छोर" तक जाकर मुख्य सड़क से मिलती है। इस इलाके की एक मात्र यह सड़क अत्यन्त खराब व गड्ढायुक्त होकर आवागमन योग्य नहीं रह गयी है। लगभग पांच किलोमीटर लम्बी इस सड़क से जनपद जौनपुर व जनपद आजमगढ़ की सुगम यात्रा कष्टप्रद हो चुकी है तथा पैदल चलने लायक नहीं रह गयी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बार-बार इस सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध करने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि लोकमहत्व और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

बांदा में केन नदी की कटान से ग्रामों को बचाने के लिये पत्थर पीचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा में प्रति वर्ष केन नदी की कटान के दर्जनों ग्रामों के हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, ग्राम भूरागढ़, चटगन खप्टिहाकला, पैलानी, सिन्धनखुर्द, तारा, चिल्ला आदि ग्रामों की लगातार कई वर्षों से नदी से कटान हो रही है ग्राम पैलानी में दियाबानी बाबा की प्रसिद्ध मजार है जो कटान की चपेट में आ गयी है तथा हजारों लोगों के मकान कटकर नदी में समाहित हो गये हैं इसलिए सिंचाई विभाग से सर्व कराकर कटान रोकने हेतु पत्थर पीचिंग कराया जाना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त का अवलोकन कर लोक महत्व के विषय पर मा0 सिंचाई मंत्री जी केन नदी की कटान से ग्रामों को बचाने के लिए पत्थर पीचिंग कराने की कृपा करें।

बहराइच की क्षेत्र पंचायत महसी में सिकन्दरपुर के ग्राम प्रधान श्री मायाराम त्रिपाठी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश्वर सिंह-

[गत सप्ताह जनपद बहराइच के क्षेत्र पंचायत-महसी के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से औरही सम्पर्क मार्ग की लगभग 1600 मी0 सोलिंग सिकन्दरपुर के ग्राम प्रधान श्री मायाराम त्रिवेदी ने उखाड़ कर अपने निजी एवं ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में उपयोग करके अपने को आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं सरकारी धन को लूटने का कार्य किया है।

सिकन्दरपुर औराही सम्पर्क मार्ग लगभग 3 कि0मी0 लम्बा है एवं पांच हजार की आबादी को जोड़ता है। इस कृत्य से नागरिकों में रोष व्याप्त है। सरकारी सम्पत्ति लूटने की सुनिश्चित घटना है साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है।

जनहित, न्यायहित एवं राजस्व हित में यह आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर उखाड़ी गयी सोलिंग की ईंट बरामद कर, सम्पर्क मार्ग पर पुनः सोलिंग लगवाने एवं दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो।

विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, हाल में घटित हुआ है, घटना सुनिश्चित है।

अतः विधान सभा की कार्य-प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।

आगरा के आर0टी0ओ0 कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जिलाधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आर0टी0ओ0 आगरा को तत्काल हटाकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन भैया-

[मैं आपके संज्ञान में एक अविलम्बनीय सूचना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद आगरा का आर0टी0ओ0 कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है। वहां सरकारी कर्मियों की सीट पर किराये के दलाल काम कर रहे हैं। जिसके कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहां बिना ड्राइविंग टेस्ट ही फर्जी ड्राइविंग लाइसेन्स जारी कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचायी जा रही है। आर0टी0ओ0 कार्यालय के भ्रष्टाचार की खबर सारे जनपद में है। जिसको संज्ञान में लेते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुये जिलाधिकारी महोदय ने छापे हेतु टीम गठित की। ए0डी0एम0 व सी0ओ0 की टीम ने वहां छापा मारकर फर्जी लाइसेन्स, फालतू धनराशि तथा दलालों को सरकारी सीट पर कार्य करते रगें हाथों पकड़ा तथा जिलाधिकारी ने अपने गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-18055/ओ0एस0डी0/दिनांक 16-12-2007 द्वारा शासन को सारे तथ्यों के अवगत कराते हुए रिपोर्ट भेजते समय इस भ्रष्टाचार के सूत्रधार बाबू व आर0टी0ओ0 के खिलाफ स्थानान्तरण करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की। परिवहन आयुक्त ने भी शासन को लिखा परन्तु सरकार ने बाबू के खिलाफ तो कार्यवाही की परन्तु अभी तक आर0टी0ओ0 के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। जबकि पहले आर0टी0ओ0 के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में कार्यालय में अनियमित व अवैध कार्य सम्पादित हो रहे थे। जिसका स्पष्ट उल्लेख जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में करते हुए ही अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की है। इससे सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जिलाधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आर0टी0ओ0 आगरा को तत्काल हटाने तथा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच तथा भौतिक सत्यापन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत जो योजना ग्रामीणों के रोजगार हेतु बनायी गयी है। उसी योजना के तहत एस0जी0आर0आई0 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में फर्जी तरीके से तालाबों की खुदाई (जे0सी0बी0) मशीन से करायी जा रही है। जिससे लोग रोजगार जीविका से वंचित हैं तथा निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। यह सूचना जनहित से जुड़ी लोक महत्व की व अविलम्बनीय है। अतः वर्ष 2006-07 व 2007-2008 की उच्च स्तरीय जांच टी0ए0सी0 से कराने तथा भौतिक सत्यापन कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

सोनभद्र चन्दौली सड़क का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य नारायण जैसल-

[महोदय, सादर संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सोनभद्र-चन्दौली को जोड़ने वाली मात्र एक सड़क है जो पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है। नित प्रतिदिन आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। सड़क पतली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जिसे चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है। यह रास्ता पूर्णतयः नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सड़क को चौड़ा कराने एवं सघन मरम्मत जनहित में कराने की कृपा करें ताकि जनपद सोनभद्र एवं चन्दौली के बीच सुगमता से आवागमन हो सके।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहां पर आई0टी0आई0 का भवन न होने की वजह से आई0टी0आई0 की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आई0टी0आई0 भवन न होने की वजह से आई0टी0आई0 जनपद रामपुर से चलाई जा रही है। जिससे छात्र/छात्राओं को आई0टी0आई0 की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 35 किमी0 दूर रामपुर जाना पड़ता है, जिससे छात्र/छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा आई0टी0आई0 की शिक्षा का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आई0टी0आई0 जनपद रामपुर से चलाये जाने के कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। बिलासपुर में आई0टी0आई0 का भवन निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। जिससे छात्र/छात्राओं को आई0टी0आई0 की शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके।

अतः इस लोक महत्व तथा अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

उप निबन्धक कार्यालय सुल्तानपुर के लिपिक श्री राम सागर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा-

[उप निबन्धक कार्यालय सुल्तानपुर में दिनांक 05 जून, 2007 को सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय सिंह से विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु वहां तैनात लिपिक राम सागर ने निर्धारित शुल्क 7 रुपये के बदले 1000/-रुपये की मांग की इस पर श्री संजय सिंह तथा वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने घूसखोर लिपिक राम सागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की किन्तु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

इस घटना का दुखद पहलू यह है कि पुलिस द्वारा उक्त लिपिक के कृत्यों पर पर्दा डालने एवं उसे बचाने हेतु शिकायतकर्ता संजय सिंह एवं मीडिया कर्मियों के हरिजन उत्पीड़न एक्ट व सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुलिस की बदनीयती इससे भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रमाणित होती है कि श्री संजय सिंह के प्रार्थना-पत्र एवं उपलब्ध कराये गये सबूतों के दृष्टिगत भ्रष्टाचार निवारण अदालत गोरखपुर ने कोतवाली नगर सुल्तानपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इतना ही नहीं सरकार ने घूसखोर लिपिक राम सागर को दोषी मानते हुए उसका तथा उप निबन्धक का स्थानान्तरण सुल्तानपुर से किया था इससे यह स्पष्ट होता है कि लिपिक रामसागर दोषी था। सुल्तानपुर पुलिस ने तथ्यों की उपेक्षा कर भ्रष्टाचारियों का साथ देते हुए श्री संजय सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। स्पष्ट है कि सुल्तानपुर के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत घूसखोर बाबुओं के साथ थी।

अतः फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री देवेन्द्र दुबे के विरुद्ध कार्यवाही करना न्यायोचित होगा तथा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों के लिए एक सबक भी बनेगा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस प्रकरण में नियम-301 के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।

लखीमपुर खीरी में गोला गोकरननाथ कोतवाली अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये अपहरणकर्ताओं को मामूली धाराओं में चालान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मिथलेश कुमार-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरननाथ कोतवाली अन्तर्गत लोहिया पुल पर श्री योगेन्द्र साहनी, सीताराम राठी, अमीरचन्द्र सर्राफ को दिनांक 26-1-08 को सायं 8 बजे फार्म हाउस से लौटते समय अपहरण किया गया अपहरणकर्ताओं द्वारा भारी रकम लेकर के छोड़ दिया गया। जिसमें अपहरण करने वाले दो लोग गिरफ्तार हुये जिसमें महेश व अशफाक को थाना बण्डा जिला शाहजहांपुर के एस0ओ0 श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अ0सं0 56/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत व अ0सं0-37/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उनसे एस0ओ0 द्वारा 6 लाख रुपये व 20 तोले सोने की जंजीर लेकर के उपरोक्त धाराओं में चालान कर दिया गया। जबकि अन्य अपहरणकर्ताओं को 6-7 फरवरी, 08 को 27 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया जनपद शाहजहांपुर के एस0ओ0 द्वारा धन के वसूली के चलते दोषी लोगों को छोड़ दिये जाने व मामूली धाराओं में चालान किये जाने से स्थानीय लोगों में बहुत ही रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के थाना पिसावां के प्रभारी के कृत्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामपाल राजवंशी-

[मैं आपका ध्यान जनपद सीतापुर थाना पिसावां के प्रभारी के कार्य गुजारी के तरफ दिलाना चाहता हूं कि राम किंकर पाण्डेय प्रमुख क्षेत्र पंचायत मिश्रिख व राकेश गुप्ता पूर्व प्रधान ग्वालौली के विरुद्ध दिनांक 16-5-07 को अपराध सं0-194/2007 धारा-452, 147, 148, 342, 323, 504, 506 का अभियोग भट्ठे के ही मजदूर से दर्ज कराया गया, अभियोग की विवेचना पूर्ण होकर चार्जशीट भेजे जाने न्यायालय सी0ओ0 मिश्रिख को भेजी गयी। सी0ओ0 मिश्रिख द्वारा जान बूझकर उत्पीड़न की दृष्टि कोष से पुनर्विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष पिसावां को दिया गया। तीन बार मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण हेतु प्रत्यावेदन दिया गया पुलिस द्वारा कि राम किंकर पाण्डेय वांछित नहीं हैं। विवेचना प्रचलित है आख्या भेज दी गयी लगभग 7 माह बाद विवेचक द्वारा जानबूझकर धारा-364, आई0पी0सी0 उपरोक्त अभिदोग में तरमीम कर दिया गया। सारे कार्य स्थानीय पुलिस द्वारा राजनैतिक बदले की भावना से की जा रही है। थाना मिश्रिख व पिसावां की पुलिस उपरोक्त लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का व अपमानित करने का कार्य कर सकती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं एवं उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में गरौठा तहसील में पानी का गम्भीर संकट दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण सिंह-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा की तहसील गरौठा सूखे से प्रभावित होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इस क्षेत्र के लिए सिंचाई के साधन के लिए पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर है, कुछ समय पूर्व पारीछा विद्युत तापीय परियोजना के तृतीय चरण के विस्तार हेतु जल के प्रबन्ध हेतु एक अनुबन्ध ऊर्जा विभाग एवं सिंचाई विभाग के मध्य हुआ था जिसमें तय हुआ कि पारीछा बांध के लिए दिये जाने वाले पानी गुरुसराय मुख्य नहर की सीसी लाइनिंग करके दिया जायेगा। परन्तु लाइनिंग न करते हुए पानी दिये जाने लगा जबकि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रोजेक्ट शासन को भेजा जा चुका है परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे भविष्य में पानी की गभीर संकट उत्पन्न होने का भय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल शासन में लम्बित प्रस्ताव की स्वीकृति करने एवं कार्यवाही आदि कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हं।]

उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के विक्रमपुर ऊंचगांव मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृपाशंकर सिंह-

[भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य जिला मार्ग विक्रमपुर ऊंचगांव यातायात की दृष्टि से अत्यधिक व्यस्त है। सड़क संकरी होने के कारण प्रायः दुर्घटनायें हुआ करती हैं इसके अलावा सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है और बरसात के कारण तथा भारी वाहन के चलने के कारण कहीं-कहीं धंस गयी है तथा ऊंची-नीची हो गयी हैं इस कारण सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जनहित को ध्यान में रखकर कराया जाना चाहिए था किन्तु अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मार्ग की दशा एवं यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विक्रमपुर-ऊंचगांव मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण की मांग करता हूं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि विक्रमपुर-ऊंचगांव मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण की मांग माननीय सदन में उठाने की अनुज्ञा देने की कृपा करें।]

लखीमपुर खीरी के कतिपय मार्गों के निर्माण कार्य की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार गौतम-

[अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पैला जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों का कार्य न कराकर फर्जी भुगतान किया गया है जो निम्नवत् है :-

(1) बिजुआ मार्ग से राम नगर अम्बेडकर ग्राम तक।

(2) बिजुआ मार्ग से होते हुए कमियापुर तक, वि0 खं0 बिजुआ

(3) गोला बिजुआ रोड से अम्बेडकर ग्राम पलनापुर तक

(4) नीम गांव से ग्राम देवरी तक

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से उक्त मार्गों की निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा-18 देहात क्षेत्र के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा पीपलसाना मार्ग को राजस्व विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बाजार के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मो0 उस्मानुल हक-

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के विधान सभा 18 देहात क्षेत्र के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा अन्तर्गत ग्राम पीपलसाना अम्बेडकर विकास योजना में चयनित है। यहां से ग्राम लालूवासा तक घनी आबादी में होता हुआ लम्बाई 3 कि0मी0 मार्ग पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनाया जा रहा है यह मार्ग 20-25 गांवों का सम्पर्क मार्ग है और मुरादाबाद टिहरी गढ़वाल हाइवे उत्तरांचल से जोड़ता है। गांव में रोड के समीप बाजार लगता है विगत 3 माह से बाजार का स्वामी इस बाजार के सामने वाला नाला निर्माण रोड बनाने नहीं दे रहा है ? सबसे व्यस्ततम् एवं महत्वपूर्ण मार्ग है। सभी गांव में जाम की स्थिति रहती है। निर्माण कार्य रुक जाने से अन्य मार्गों के लोगों को आवागमन में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है। इस मार्ग को राजस्व विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बाजार के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर शीघ्र बनवाया जाना जनहित में होगा। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विद्युत सब-स्टेशन बभनावा के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मर बदले जाने तथा तारों को लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[जनपद सीतापुर के विद्युत सब-स्टेशन बभनावा के अन्तर्गत

(1) ग्वारी

(2) ग्राम शमसेरी पुरवा

(3) ग्राम मोइया खानपुर

(4) ग्राम सेमरा के ट्रान्सफार्मर कई महीनों से खराब पड़े हैं। लगभग सभी गांव पूर्व में अम्बेडकर ग्राम भी रह चुके हैं तथा ग्रामवासियों एवं मेरे स्वयं के प्रयासों के बावजूद ट्रांसफार्मर बदले नहीं गये हैं जब कि शासन के निर्देश है कि 48 से 72 घण्टे के अन्दर खराब ट्रांसफार्मर बदलना अनिवार्य है। ग्राम सेमरा के तो विद्युत तार भी चोरी हो गये हैं। जिससे लगभग एक वर्ष से विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है जिससे उक्त ग्रामों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त सभी ग्रामों के ट्रान्सफार्मर बदले जाने के साथ-साथ चोरी गये तारों को भी लगाये जाने की शासन से मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र स्थित डाला सीमेन्ट फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान न होने एवं वन विभाग की सम्पत्ति को मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स को अनाधिकृत रूप से दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा, मथुरा ...

एक माननीय सदस्य-

इसको पढ़ा मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा, मथुरा द्वारा डाला सीमेन्ट की जमीन सरकार द्वारा जे0पी0 समूह को बेचे जाने एवं सरकार की गलत नीतियों के कारण वहां की जनता के आन्दोलित होने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या-75-70, 75-85/2002 एवं याचिका संख्या-1061/1982 बनवासी सेवाश्रम बनाम उ0 प्र0 सरकार का पालन न कर अवमानना करने तथा सीमेन्ट कारखाने की 9000 करोड़ की सम्पत्ति महज 459 करोड़ में बेच देने की शिकायत की गई है। इसके अलावा वन विभाग की जमीन भी बिना भारत सरकार की सहमति से प्रदेश सरकार द्वारा दे दिये जाने की बात कही गई है। इसके दृष्टिगत इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि वन विभाग की जमीन जे0पी0 समूह को बिना भारत सरकार की सहमति के दिये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग से स्पष्ट करायी गई। भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिनियम की धारा-4 से आच्छादित भूमि के खनन पट्टे का न तो नवीनीकरण किया गया है और न ही उन्हें हस्तान्तरित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतएव इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अवमानना का प्रश्न ही नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-यह भी उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 (परिसमापाधीन) की जो भी इकाइयां मै0 जे0पी0 एसोसियेट्स को विक्रय की गई है वह मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30-1-2006 के अनुक्रम में की गई है। निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की कार्यवाही का दायित्व मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन शासकीय समापक, इलाहाबाद का है, शासन का नहीं। इस प्रकरण में शासन स्तर से जो भी कार्यवाही की गई है, वह मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ही की गई है।

4-उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मै0 जे0 पी0 एसोसियेट्स को उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 की परिसम्पत्तियों का विक्रय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेशों के अन्तर्गत ही किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि वन अधिनियम की धारा 4 से आच्छादित भूमि का कोई खनन पट्टा न तो नवीनीकृत किया गया है और न ही हस्तान्तरित किया गया है। इसके अलावा शासन स्तर से जो भी कार्यवाही की गई है, वह मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में ही की गई है।]

जनपद बलरामपुर स्थित गनेशपुर मार्ग पर सुवांव नाले पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह ...

एक माननीय सदस्य-

इसको पढ़ा मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद बलरामपुर में देवरिया रानी जोत से गनेशपुर मार्ग पर सुवांव नाला पर ह्यूम पाईप पुलिया के निर्माण न होने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा पुलिया निर्माण न होने से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

उक्त मार्ग की स्थिति प्राप्त सूचनानुसार निम्नवत् है :-

जनपद बलरामपुर में देवरिया रानी जोत से गनेशपुर मार्ग पीलीभीत बस्ती मार्ग (राज्य मार्ग सं0-26) के कि0मी0 334 से निकलती है। इस मार्ग की लम्बाई 6.00 कि0मी0 है। कि0मी0 5.100

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से सुवांव नाला पड़ता है जिसका 5.20 कि0मी0 भाग लेपित है एवं 0.80 कि0मी0 भाग कच्चा है। पूर्व में इस नाले पर लकड़ी का काफी पुराना पुल बना था जो क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त पाईल सेतु के स्थान पर 4x6 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-14रा0स0नि0/23-1-07-44रा0स0नि0/01 दिनांक 29-01-07 द्वारा रु0 40.37 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका था। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात पुराने क्षतिग्रस्त पाइल सेतु के डिस्मैन्टलिंग इत्यादि का कार्य कराया गया। मानसून से पूर्व अल्प अवधि में कार्य पूर्ण कराना सम्भव नहीं था एवं वर्षा ऋतु में नाले में बाढ़ के कारण आंशिक किये गये कार्य की क्षति होने की पूरी संभावना को देखते हुए पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। तत्पश्चात् वर्षा के कारण कार्य स्थल पर जल भराव हो गया। वर्तमान में जल भराव समाप्त हो गया है एवं पुलिया निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है जो वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कराया जाना लक्षित है।]

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मोहम्मदी नगर पालिका में देव स्थान के जीर्ण-शीर्ण जलाशय की मरम्मत एवं सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मोहम्मदी नगरपालिका स्थित देवी स्थान में जीर्ण-शीर्ण जलाशय की मरम्मत एवं सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के नगर पालिका मोहम्मदी के अन्तर्गत हिन्दुओं की आस्था एवं धार्मिक संस्कारों का एक मात्र स्थान देवी स्थान है। यहां पर दूर दराज में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर की अव्यवस्था के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां के जीर्ण-शीर्ण जलाशय की मरम्मत एवं उसकी सफाई तथा मंदिर भवन का मरम्मत होना अत्यन्त आवश्यक है। यह तमाम हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान है।

2-उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, खीरी से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार पौराणिक मंदिर देवी स्थान नगर पालिका, परिषद्, मोहम्मदी के वार्ड संख्या-17 में स्थित है। मंदिर तक पहुंच मार्ग के निमित्त वर्ष 2006-07 में पेण्टेड मार्ग का निर्माण नगर पालिका परिषद् द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से रु0 4,46,134.00 लागत से कराया गया था। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में ही एक इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प व एक हाई मास्क लाइट लगायी जा चुकी है। नगर पालिका परिषद् द्वारा मंदिर परिसर की प्रतिदिन सफाई कराते हुए कूड़े का निस्तारण कराया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है एवं ग्रीष्म ऋतु के पूर्व पक्के तालाब की सफाई करायी जाती है। जिला योजना 97-98 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 1.55 लाख समाज कल्याण निर्माण निगम खीरी को आवंटित किया गया था। जिसके अन्तर्गत मन्दिर की बाहरी दीवारों में टाइल्स एवं फर्श का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार से वर्तमान समय में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता है। नगरपालिका परिषद् द्वारा श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है।]

वर्ष 2004 की पी0सी0एस0 परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 विधान सभा सदस्य श्रीमती कृष्णा राज द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि पी0सी0एस0 परीक्षा 2004 का अन्तिम परिणाम दिनांक 9 जनवरी, 2007 को घोषित होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुए हैं जिससे 182 सफल घोषित अभ्यर्थियों का बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ में जा रहा है। इस सम्बन्ध मे मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका को दिनांक 12 नवम्बर, 2007 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिये गये थे। उक्त सूचना पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 11-3-2008 को वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2-प्रकरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) पी0सी0एस0 परीक्षा 2004 (सामान्य चयन) के सम्बन्ध में विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये कतिपय अधियाचनों में आरक्षित रिक्तियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण आयोग के पत्र दिनांक 1-12-2006 के द्वारा शासन से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

(2) आयोग के पत्र दिनांक 1-12-2006 के अनुसार सम्बन्धित विभागों से स्थिति स्पष्ट कराकर आयोग को उत्तर प्रेषित किये जाने के पूर्व ही आयोग के पत्र दिनांक 17-2-2007 के द्वारा उक्त परीक्षा की संस्तुतियां कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दी गयी।

(3) इसी मध्य 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों के आरक्षित होने, अनिवार्य प्रश्न पत्रों में स्केलिंग लागू किये जाने आदि के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में एक रिट याचिका संख्या-13167/2007 दिनेश प्रताप सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में शासन द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के बावजूद मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3-4-2007 को स्थगनादेश पारित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि आयोग के पत्र दिनांक 1-12-2006 का स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाय।

(4) जिन विभागों के अधियाचनों में आरक्षित रिक्तियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी, के साथ एक बैठक आहूत कर, कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 15-6-2007 के द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि जिन विभागों के विशेष चयन से सम्बन्धित अधियाचन सामान्य चयन के साथ सम्बद्ध हो गये हैं को पृथक करते हुए पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। तदानुसार मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया गया। आयोग द्वारा शासन के पत्र दिनांक 15-6-2007 के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(5) दिनांक 12-11-2007 को हुयी सुनवाई में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश को अपास्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त की गयी विधिक राय के आधार पर आयोग को पत्र दिनांक 3-12-2007 के द्वारा पुनरीक्षित संस्तुतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध पुनः किया गया। आयोग के पत्र दिनांक 6-12-2007 के द्वारा अवगत कराया गया कि रिट याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।

(6) कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 4-2-2008 दिनांक 18-2-2008, दिनांक 22-2-2008 एवं दिनांक 28-2-2008 के द्वारा आयोग से पुनः अनुरोध किया गया कि विशेष चयन से सम्बन्धित अधियाचनों को पृथक करते हुए पुनरीक्षित संस्तुतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(7) सचिव, लोक सेवा आयोग द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि दिनांक 4-3-2008 को सम्पन्न आयोग की बैठक में शासन के अनुरोध के अनुसार पुनरीक्षित संस्तुतियां उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया गया है।

3-उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2004 के आधार पर संस्तुत/चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सजग है। चूंकि दिनांक 4-3-2008 को सम्पन्न बैठक में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वररा पुनरीक्षित संस्तुतियां उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है, अतः जैसे ही आयोग द्वारा संस्तुतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी, उक्त संस्तुतियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के निर्देश के साथ सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दिया जायेगा।]

फतेहपुर में बिना विधायक की संस्तुति के क्षेत्रीय विकास निधि से रुपये पैंतीस लाख फर्जी तरीके से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको स्थगित किया जाता है।

जनपद बागपत के ग्राम जागोस स्थित स्व0 मनोज कश्यप के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

दिनांक 01-02-2008 को प्रातः समय लगभग 8.00 बजे थाना छपरौली ...

एक माननीय सदस्य-

इसको पढ़ा मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[क्षेत्र ग्राम जागोस निवासी श्री मनोज पुत्र सत्यपाल कश्यप ने अपने खेत पर अपनी पत्नी छोटी उर्फ आरती उम्र 27 वर्ष व बच्चो सागर आयु 05 वर्ष, गौरव ढाई वर्ष व पुत्री भावना 06 माह के साथ कीटनाशक/जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। आस-पास के व्यक्तियों ने इनको पीड़ित अवस्था में देखकर उपचार हेतु आनन्द नर्सिंग होम बड़ौत में भर्ती कराया था जहां मनोज व उसकी पत्नी छोटी का देहान्त हो गया था तथा तीनों बच्चों की गम्भीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था जिससे उन्हें प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था करके तीनों बच्चों को दिल्ली स्थित गुरू तेग बहादुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था तथा उसी दिन मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत द्वारा लगभग 12.00 बजे 01 एम्बुलेन्स मय चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों के साथ गुरू तेग बहादुर चिकित्सालय नई दिल्ली भेजी गई थी जहां पर चिकित्सकों द्वारा उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों गौरव, सागर एवं भावना को जाकर वहां तैनात चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। पूर्ण रात्रि 01 एम्बुलेन्स वही पर तैनात रही ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना होने पर कार्यवाही की जा सके। एम्बुलेन्स लगातार 03 दिन तक वहीं पर रही जब तक बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो गया था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बच्चे अब घर आ गये हैं। मृतक के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागपत द्वारा चेक संख्या-968352 दिनांक 10-3-2008 को अंकन रु0 20,000/-वितरण हेतु निर्गत कर दिया गया है। साथ ही रेडक्रास सोसाइटी की ओर से सहायता के रूप में अंकन रु0 10,000/-दिया जाना प्रस्तावित है। जिला समाज कल्याण अधिकारी बागपत की ओर से मृतक मनोज के पिता श्री सत्यपाल को लिखित में यह पत्र भेजा गया है कि यदि वे चाहे तो मृतक के तीनों बच्चों को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में वैधानिक रूप से प्रवेश दिला सकते हैं जहां पर उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध निःशुल्क सरकार की ओर से किया जायेगा परन्तु अभी तक मृतक के पिता की ओर से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मृतक श्री मनोज का वर्ष 2006 में जनपद मेरठ में गन्ने के क्रेशर पर काम करते समय बांया हाथ कट गया था। क्रेशर के ठेकेदार द्वारा श्री मनोज का इलाज कराने के साथ-साथ लगभग 60,000/-रु0 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया गया था। इस पैसे को श्री मनोज द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा ग्राम कोताना में खाता खोलवाकर दिनांक 09 अगस्त, 2007 को जमा कर दिया गया था, जिसमें दिनांक 30-01-2008 को अंकन रु0 18,000/-का अन्तिम निष्कासन मृतक द्वारा किया गया है और खाते में रुपये 7638/शेष बचा है। इससे स्पष्ट है कि श्री मनोज द्वारा केवल आर्थिक तंगी के कारण आत्मघाती कदम उठाया गया, सही नहीं है। मृतक 03 भाई हैं। मृतक श्री मनोज के पिता श्री सत्यपाल जीवित हैं।]

उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम संख्या-10) की धारा 21 (2) में यह प्राविधान है कि राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा अर्थात्

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है,

(ख) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है,

(ग) एक सदस्य जो उस राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है,

(घ) दो सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है।

नोट :-[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त प्राविधानों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का विधिवत् गठन दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 को हुआ था। तत्समय उ0 प्र0 मानवाधिकार आयोग में एक मा0 अध्यक्ष तथा चार सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित विवरण के अनुसार की गई थी :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	मा0 न्यायमूर्ति श्री ए0पी0 मिश्र	अध्यक्ष
2	मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सरन	सदस्य
3	मा0 श्री सुखलाल आदर्श	सदस्य
4	मा0 श्री एस0 आर0 आर्य	सदस्य
5	मा0 श्री एस0बी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य

उक्त तिथि दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 से उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग क्रियाशील है। कालान्तर में अध्यक्ष तथा सदस्य समय-समय पर अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मा0 सदस्य श्री जे0 एस0 यादव की नियुक्ति दिनांक 29 जून, 2007 को की गई तथा वर्तमान समय में कार्यरत हैं तथा मा0 अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है तथा शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जाएगी।]

जनपद-चन्दौली के चकिया नौगढ़ मार्ग पर किनारे की लगी झाड़ियों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

"जनपद चन्दौली के अन्तर्गत हमारे नक्सल प्रभावित विधान सभा क्षेत्र चकिया में चकिया से नौगढ़ जाते समय सड़क के दोनों तरफ काफी घनी झाड़ियां लगी हुई हैं। जिससे नक्सली वारदात का खतरा बना रहता है कभी झाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सली गम्भीर घटना को अन्जाम दे सकते हैं। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ की झाड़ियों को कम से कम 50 मीटर दूरी तक साफ कराना नितान्त आवश्यक है।"

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी द्वारा चकिया से नौगढ़ मार्ग जो 23 कि0मी0 वन क्षेत्र से जाता है, में लगी झाड़ियों को साफ करने हेतु रु0 3.50 लाख का प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत दिनांक 4-3-2008 को मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को प्रेषित किया गया है। धनराशि स्वीकृत होने पर अग्रतर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद बलिया के ग्राम अखोप से कुण्डौल ग्राम तक की सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री लालजी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप ग्राम से कुण्डौल ग्राम तक बनने वाली सड़क की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

उक्त मार्ग की स्थिति प्राप्त सूचनानुसार निम्नवत् है :-

जनपद-बलिया में विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में अखोप से कुण्डैल नियामत अली मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 है जो ग्रामीण मार्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है। मार्ग के प्रारम्भिक 02 कि0मी0 में वर्ष 2006-07 में विशेष मरम्मत सहित नवीनीकरण कराया गया है जो वर्तमान में ठीक है। मार्ग का अवशेष 02 कि0मी0 भाग क्षतिग्रस्त है जिसमें साधारण मरम्मत मद से पैच मरम्मत कराया जा रहा है। यह मार्ग नहर की पटरी पर होने के कारण नहर का जल बहाव भी मार्ग के लेपन को प्रभावित करता है। पैच मरम्मत कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर स्थित सैजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 5-3-2008 को दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर में तीन पानी से ग्राम खण्डिया की ओर से जाने वाली सैजनी नदी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सैजनी नदी पर पुल नहीं है, जिसमें लगभग 70-80 गांव का रास्ता बन्द है। यह पुल जनपद बरेली के शीशगढ़ को जोड़ता है। पुल न होने की वजह से क्षेत्रवासियों को शीशगढ़ जाने के लिये लगभग 100

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि0मी0 का रास्ता तय करना पड़ता है। इस पुल को बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। इस पुल के बनने से लाखों क्षेत्र वासियों को काफी सुविधा हो जायेगी तथा इसका आगणन शासन में लम्बित है तथा वित्त विभाग द्वारा इस पुल को वित्तीय स्वीकृति मिल गयी है। इस पुल का निर्माण होना जनहित में अति आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत सेतु स्थल पर सैजनी नदी न होकर के भांखड़ा नदी है। प्रश्नगत सेतु का आगणन गठित कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में नये सेतुओं के मद में सम्प्रति पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के ग्राम नौखटिया तप्पा खानपुर में बिना चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किये ही फार्म-45 बांटने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 5-3-2008 में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त ग्राम चौखटिया तप्पा खानपुर में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गांव के खातेदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव समाज की भूमि मालियत लगाकर चक एलाट कर दिया गया है जिससे गांव समाज की बड़ी क्षति हुई है। धारा 42 का संशोधन तालिका बिना स्वीकृत किये ही फार्म 45 बना दिया गया है। जी0डी0सी0 स्तर के जो फैसले हुए हैं उनके अभी तक पैमाइश नहीं की गई है। गांव के नक्शे में कई नम्बर चक एलाट करने के बाद बदल दिये गये हैं। कास्तकारों को जाने के लिए चकरोड तक नहीं छोड़ा गया है जिससे गांव के किसानों में रोष व्याप्त है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम सभा की मात्र 0.579 हे0 भूमि का प्रदिष्टीकरण चकों की आकृति को सीधा करने व उन्हें नाली चकरोड प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-19क के अन्तर्गत चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया गया है। वस्तुस्थिति यह है आरक्षित भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि की कोई क्षति चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं की गयी है तथा चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान चकबन्दी की अवशेष बचत के रूप में 1.284 हे0 भूमि ग्राम समाज को उपलब्ध करायी गयी है। अभिलेखों के मिलान के दौरान पाई गई त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए कुल 11 सन्दर्भ बने थे। यद्यपि अन्तिम अभिलेखों के निर्माण के दौरान उक्त सन्दर्भों से सम्बन्धित त्रुटियों का निराकरण करते हुए ही अन्तिम अभिलेख बनाये गये हैं, परन्तु सन्दर्भों के उप संचालक चकबन्दी न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित रहने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सन्दर्भों की स्वीकृति उप संचालक चकबन्दी स्तर से नहीं हो पायी। इसी माह में उप संचालक चकबन्दी से सन्दर्भों को स्वीकृत कराकर इस कमी को दूर करा लिया जायेगा। अभिलेखों के अनुसार उप संचालक चकबन्दी स्तर के चक निगरानियों का निस्तारण 28-4-1999 को हुआ है। उप संचालक चकबन्दी स्तर से चक सीमांकन का कोई भी प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है। यहां यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में समय-समय पर चक सीमांकन हेतु जो भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते रहे हैं, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाता रहा है तथा वर्तमान में सीमांकन का कोई भी प्रकरण सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय में अवशेष नहीं है। ग्राम के चक भूचित्र व बन्दोबस्ती भूचित्र का मिलान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चक सं0-195 राकेश पुत्र गयालाल चक सं0-203 वली मोहम्मद पुत्र बादू व चक सं0-138 मुश्ताक पुत्र छक्कन (नया नम्बर क्रमशः 528, 529 व 530) की आकृति चक भूचित्र से भिन्न बना दी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं है। इसकी दुरुस्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया है कि नया नम्बर 529, 75, 416, 274, 271, 283, 284, 292, 293, 279 व 285 (कुल 11 चकदार) को चकरोड नहीं मिल पाया है। चकदारों के संतुष्ट रहने व न्यायिक प्रक्रिया में उनके द्वारा चाराजोई न करने के कारण ही ऐसा हुआ है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम चौखड़िया तप्पा-खानकोट तहसील-इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 13-11-1991 को लिया गया था। ग्राम का चक निर्माण दिनांक 7-4-1994 को तथा ग्राम का कब्जा परिवर्तन दिनांक 27-6-1997 को हुआ है। तत्पश्चात् उप संचालक चकबन्दी स्तर की चक निगरानियों का निस्तारण 28-4-1999 को हुआ है।

अभिलेखों के मिलान के समय पाई गई त्रुटियों के निस्तारण हेतु उप संचालक चकबन्दी न्यायालय में सन्दर्भों का निस्तारण अवशेष है। यद्यपि चकबन्दी में तैयार किये गये अन्तिम अभिलेखों में उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है मात्र उप संचालक चकबन्दी न्यायालय में लम्बित सन्दर्भों का निस्तारण अवशेष है। उप संचालक चकबन्दी सिद्धार्थनगर को निर्देश दिये गये हैं कि वह एक माह के अन्तर्गत उक्त सन्दर्भों का निस्तारण करके अनुपालन आख्या निदेशालय को उपलब्ध करायें। अन्तिम अभिलेखों में बनाये गये नये गाटा संख्या-528, 529 एवं 530 की आकृति चक भूचित्र से भिन्न पाई गई है। इस सम्बन्ध में उप संचालक चकबन्दी को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह इस त्रुटि के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा भूचित्र को शुद्ध कराये जाने की कार्यवाही करते हुए निदेशालय को अवगत करायें। जिन चकदारों को चकमार्ग प्रदिष्ट करना अवशेष रह गया है, तद्नुसार चकमार्ग प्रदिष्ट करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निदेशालय को अवगत कराया जाय। ग्राम सभा की कोई क्षति चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं की गयी है। चकों की आकृति को सीधा करने व उन्हें नाली चकरोड प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की मात्र 0.579 हे0 भूमि का प्रयोग किया गया है तथा इसके बदले ग्राम सभा को चकबन्दी की अवशेष बचत के रूप में 1.284 हे0 भूमि उपलब्ध करायी

गयी है। वर्तमान में इस ग्राम के उप संचालक चकबन्दी स्तर के चकों के सीमांकन का कोई भी प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है।]

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की भांति पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2160/26-3-2003-4 (77)/2002, दिनांक 16-7-2003 तथा शासनादेश संख्या-2172/26-3-2004-4 (134)/2004, दिनांक 16-8-2004 एवं शासनादेश संख्या-2899/26-3-2006-4 (88)/2005, दिनांक 11-8-2006 आदि के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा आरक्षित वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों संख्या तथा उनकी साक्षरता स्तर को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक/सामाजिक क्षेत्र में यही सुविधा उपलब्ध करा दी जाय जो आरक्षित वर्गों को उपलब्ध है तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग आदि के लोगों का आर्थिक/सामाजिक विकास सम्भव हो सकेगा। आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य वर्ग) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश अर्थात् नान रिफण्डेबुल प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की भांति अनुमन्य करायी जाय। शासनादेश संख्या-2182/पि0व0क0/2006-07, दिनांक 4-1-2007 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य व्यक्ति के छात्रों को प्रवेश के समय समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों एवं संस्थाओं को सीधे प्रवेश शुल्क (नान रिफण्डेबुल) दिये जाने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अनुरूप पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मेडिकल कालेज एवं अन्य अनुदानित वित्त विहीन विश्वविद्यालयों आदि में अध्ययनरत हैं और प्रवेश के समय शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं उनको भी समाज कल्याण विभाग द्वारा वैसी ही सुविधा प्रदान की गयी है जैसी कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्गों (सामान्य) को प्रदान की गयी है किन्तु अभी तक यह सुविधा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नहीं मिल रही है जिससे आर्थिक कमी के कारण उनकी शिक्षा में बाधा आती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना शत-प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना राज्य वित्त पोषित है। इस वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों की भांति पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।]

वाराणसी नगर निगम की षष्टम् शाखा के अवर अभियन्ता की घर से सात ट्रक हैण्डपम्प से सम्बन्धित सामान बरामद होने के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 विधान सभा, सदस्य द्वारा कागजों पर हैण्डपम्प लगाने व सारा माल बाजार में बेच देने वाले वाराणसी जल निगम के षष्टम् शाखा के जे0ई0 के घर से 7 ट्रक माल बरामद होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

"दिनांक 06 मार्च, 2008 को जल निगम षष्टम् शाखा के जे0ई0 के आवास से 7 ट्रक हैण्डपम्प और तत्संबंधी सामान बरामद किया गया। इस बात की शिकायत आम है कि जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची जन प्रतिनिधियों के मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है क्योंकि विभाग के पास अद्यतन जानकारी देने हेतु कोई कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था नहीं है, इसी का परिणाम है कि जे0ई0 श्री फूलेन्द्र सिंह के आवास से जिला प्रशासन द्वारा जल निगम का हैण्डपम्प संबंधी 7 ट्रक माल बरामद किया गया। उक्त जे0ई0 के विरुद्ध अनेक दिनों से शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक पहुंच के कारण उक्त के विरुद्ध कभी कोई जांच नहीं की गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी। आवश्यकता है कि सभी जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सूची के अनुसार हैण्ड पम्प लगे कि नहीं इसका सत्यापन कराया जाय और सभी हिसाब किताब कम्प्यूटराइज्ड किया जाये और वह जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाये। प्रकरण में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा अपेक्षा की गयी है कि इस दिशा में सभी अवर अभियन्ताओं के कार्यों की गुणवत्ता की भौतिक सत्यापन कराये जाये ताकि जनता के पैसे के दुरुपयोग को रोका जा सके।"

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी में पिछले वर्ष 2006-07 में अधिष्ठापित किये गये 2921 हैण्डपम्पों की सूची जिला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासन तथा जनपद के जनप्रतिनिधियों को जून, 2007 में प्रेषित की गयी। मा0 सदस्य, विधान सभा की सूची के अधिष्ठापित 115 हैण्डपम्प की सूची अधिशासी अभियन्ता, षष्टम् निर्माण खण्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 26-2-08 को भी उपलब्ध करायी गयी है। जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों को हैण्डपम्प कार्य की सूची समय से उपलब्ध कराने हेतु जनपदों के नोडल अधिशासी अभियन्ताओं को पूर्व में समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं तथा इस आशय के निर्देश जल निगम मुख्यालय द्वारा दिनांक 10-3-08 को पुनः जारी किये गये हैं। दिनांक 6-3-08 को 7 ट्रक सामग्री श्री फूलेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता के आवास से प्राप्त होने की घटना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, षष्टम् निर्माण खण्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 7-3-08 को भा0द0सं0 की धारा-409 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है। श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध संज्ञान में आये प्रकरणों पर जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।]

गोण्डा की तहसील मनकापुर में नवम्बर, 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप योजनाओं का कार्य आरम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह कई विभागों से सम्बन्धित था और इस पर उत्तर पूर्ण नहीं था इसलिये इसको स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाने पर किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक दिनांक 29 फरवरी, 2008 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा भी जारी रहेगी।

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, जिन सदस्यों की है, वे तो सदन का बहिष्कार कर गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा गन्ना किसानों से सम्बन्धित थी लेकिन जिन माननीय सदस्यों की है, श्री राम बिशुन आजाद, डा0 पी0 के0 राय, श्री बैजनाथ दुबे तथा श्री आरिफ अनवर हाशमी, वे लोग सदन में नहीं हैं, इसलिये चर्चा समाप्त की जाती है।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए।

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कुशल संचालन के कारण मैंने विभिन्न कई वर्षों की कार्यवाही देखने का काम किया और विभिन्न वर्षों की कार्यवाही के उपरान्त

एक लम्बे समय के बाद ऐसा अवसर मिला है कि हम जिस दिन से बैठे हैं और अन्तिम दिन तक सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से संचालित हुई है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं साथ ही साथ मा0 नेता सदन का, जिनके कुशल निर्देशन के कारण हम सब लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि आपकी अध्यक्षता में बैठकर और इस विधान सभा के संचालन में भाग लेने या इस विधान सभा सत्र में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके ही कुशल निर्देशन का यह परिणाम हुआ कि जो बिन्दु यहां पर आए उसका सम्मानजनक ढंग से निस्तारण किया गया इसी के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष, नेता भा0ज0पा0 नेता कांग्रेस, नेता लोकदल अन्य दल के नेताओं का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र में पूर्ण निष्ठा दिखाते हुए इस विधान सभा को जो वाद-विवाद की जगह होती है जिसमें हम चर्चा करके विभिन्न समस्याओं के निराकरण की चर्चा करने का काम करते हैं उस दिशा में भी सभी लोगों का सार्थक सहयोग प्राप्त हुआ और सभी दलीय नेताओं के प्रयासों का यह परिणाम है कि बहुत लम्बे समय के अन्तराल के बाद इस विधान सभा में एक अवसर मिला कि नये सदस्यों को भी अपनी बात कहने का भी अवसर मिला मैंने इस बात को महसूस किया कि बहुत सी प्रतिभायें दिखाई पड़ीं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये जाने वाले बिन्दुओं से या चर्चा में हिस्सा लेकर यह साबित करने का काम किया है कि इस देश में, इस प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अवसर मिलने पर वह भी एक सार्थक भूमि का इस देश और प्रदेश के निर्माण में उजागर करने का काम कर सकते हैं मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी विधान सभा कर्मियों का भी जिन्होंने सवेरे से लेकर शाम तक यहां पर रहकर सभी विधान सभा सचिवालय के जो कर्मी हैं प्रमुख सचिव पाण्डेय जी के सहित अन्य सभी जो विशेष सचिव संयुक्त सचिव या अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं उन्होंने भी पूरा परिश्रम करके विधान सभा की गरिमा को बनाये रखने में सहयोग करने का काम किया है। आज लम्बे समय से विधान सभा की कार्यवाही में कोई गतिरोध नहीं आया। लम्बे समय से संचालित होती रही। आज थोड़ा बहुत गतिरोध आया था लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का और माननीय प्रमोद तिवारी जी का, जिनके अच्छे सोच के चलते ही उनके सार्थक कार्य के चलते ही जो उन्होंने रुख दिखाया इस सत्र के समापन के अवसर पर उस गतिरोध को दूर करने के उपरान्त हम विभिन्न कार्यों को कर सके। मान्यवर, कुल 18 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में किसी एक दिन 11 घण्टा 10 मिनट, 11 घण्टा 2 मिनट, 8 घण्टा 9 घण्टा इस तरह से काफी समय तक यहां पर देर तक बैठकर विधान सभा के जो कार्य थे जो विधान सभा की जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी मा0 सदस्यों को और अपने सभी साथीगणों का जो हमारे मंत्रीगण सहयोगी हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी मा0 विधायकगण का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके सहयोग से ऐसा हो सका है। लेकिन साथ ही साथ मान्यवर, सबसे ज्यादा इसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपने तमाम ऐसे अवसरों पर जब कटुता पैदा होने की स्थिति भी थी, तब आपने अपने शब्दों के माध्यम से सदन के माहौल को ऐसा रोचक बनाने का काम किया जिससे फिर लोगों की निष्ठा संसदीय कार्यों के प्रति

जागी, जिसका परिणाम हुआ कि कुल 18 उपवेशन जो हुए, इसमें हम सभी लोगों ने मिलकर लगभग 125 घण्टे से ज्यादा कार्य करने का काम किया है इसके लिए मैं पुनः सभी लोगों का, सभी दलीय नेताओं का, मा0 नेता सदन का और मा0 विधायकों का, आपका और सभी विधान सभा के कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए, इस बात का भी मा0 नेता सदन की तरफ से एलान करना चाहता हूं कि हर वर्ष दिन-रात हमारे विधान सभा के कर्मी परिश्रम करने का काम करते हैं और इसलिए मा0 नेता सदन ने मुझे निर्देश दिया है कि आप इस बात की घोषणा करने का काम करें कि सभी को विगत वर्षों की भांति 2500 रुपये का मानदेय इस बार भी देने का निर्णय लिया है, मा0 नेता सदन ने उसका भी मै। एलान करते हुए आप सभी को पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सदन और इस सदन का इस बार का सत्र निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुनः स्वस्थ संसदीय परम्परा की ओर चलने की, [illegible]शक्त शुरुआत किया है, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में इस सदन की परम्पराओं के बारे में प्रश्नचिन्ह लग रहे थे और यह चिन्ता होने लगी थी कि अगर सदन की परम्परा टूटती जायेगी और एक असंतोषजनक और अशोभनीय स्थिति [illegible]ती जायेगी तो इस प्रदेश में लोकतंत्र का क्या होगा, इस प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्[illegible]ओं का क्या होगा ? लेकिन मान्यवर, इस राजनीतिक ईर्ष्या, द्वेष, द्वन्द की स्थिति में जब दलों के [illegible] और नेताओं के बीच वैचारिक और व्यव्हारिक भेद एक होने जैसे दिखने लगे, उस परिस्थिति में भी सदन की एक बहुत ही मर्यादित, शालीन और सुखद बैठकें करके एक नई शुरुआत आपने किया है, मान्यवर, इसका पूरा-पूरा श्रेय मैं आपको देता हूं। (मेजें थपथपाई गई) इसलिए देता हूं कि हमने भी बहुत लम्बे समय तक इस सदन को देखा है, उस कुर्सी पर बैठे हुए 1974 में प्रो0 वासुदेव सिंह को देखा है, उसके बाद के लोगों को देखा है और जब प्रश्नचिन्ह खड़ा होने लगा था कि इस सदन की मर्यादा का क्या होगा, उसकी शुरुआत भी देखी है और पीछे के काल को देखा और इसको भी देख रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मुख्य रूप से पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो आपने उस कुर्सी पर बैठते वक्त जो वचन दिया था, जो संकल्प लिया था, उसको सही अर्थ में आप[illegible] व्यवहार रूप में उतार कर दिखाया है। (मेजें थपथपाई गई) और यह आशा जगाया है कि यह उत्तर प्रदेश की सदन की परम्परा पुनः अपने पुराने यशस्वी और मर्यादित काल को प्राप्त करेगी। आपकी इच्छा और आपके प्रयासों के कारण, आपकी तरफ से कभी उत्तेजना का और मैं यह शब्द विशेष रूप से कह रहा हूं कि उस पद पर बैठने वाले को पिछले कुछ वर्षों से लोकसत्ता दल अपने दबाव और निर्देश के अनुसार चलाने का प्रयास किया था। हम लोगों को भी संदेह था लेकिन आपने संदेह से बिल्कुल मुक्त कर दिया। इसलिए कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी की पीड़ा कभी-कभी देखने को मिलती थी। आपने उतना ही किया है क्योंकि मैं भी मर्यादाओं का, परम्पराओं का, आदर्शों का पक्षधर हूं और कोशिश करता हूं [illegible]के अनुसार चलूं। निश्चित है कि जब आप देखते हैं कि मंत्री जी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो

आपका दायित्व है, बचाने का, आप उसे बचा लेते हैं, लेकिन यह आपका दायित्व है, लोकतांत्रिक संसदीय परम्पराओं की यह आवश्यकता है। इसलिए आज मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि यह सदन एक नई कार्य संस्कृति की पुनः शुरुआत कर रहा है। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बधाई जरूर दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि उन्होंने भी जिस कर्मठता से सत्तापक्ष की बात को रखने का प्रयास किया और आपकी इच्छानुसार विपक्ष के प्रति सहिष्णुता दिखाई इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आगे जो अगला सदन होगा वह और भी मर्यादित, परम्पराओं के अनुसार होगा और उसमें बहुत ही स्तरीय चर्चाएं होंगी और आपने नये सदस्यों को प्रोत्साहित किया और नये सदस्य भी काफी रुचि लेने वाले और ज्ञानवान, अच्छे वक्ता इस सदन में आये। यह भी प्रमाणित हुआ और यह इसलिए प्रमाणित हुआ क्योंकि आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया। इसलिए मैं आपको और सभी माननीय नेताओं को, माननीय सदस्यों को और सभी कर्मचारियों को आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत दिनों बाद देखने को मिला कि यहां के जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो यहां के विधायक हैं उनमें धक्कामुक्की नहीं हुयी। वरना ऐसी स्थिति हर सत्र में आती थी कि सुरक्षाकर्मी और विधायकों में धक्का-मुक्की होती थी ऐसा लगता था कि सुरक्षाकर्मी कोई और है और विधायक कोई और है, दोनों प्रतिद्वंदी ग्रुप है दोनों में धक्का-मुक्की ऐसी होती थी। लेकिन इस बार नहीं हुयी और यह माननीय अध्यक्ष जी आपके कारण भी हुआ और माननीय सदस्यों ने संसदीय परम्पराओं के प्रति जो जागरूकता दिखायी उसके कारण भी हुआ। मान्यवर, एक बात और कि सुना है कि सुरक्षाकर्मी जो 60-62 है केवल वही रह गये हैं, केन्द्रीय वेतनमान पाने को और विधान सभा में शायद सभी को मिल गया है ऐसा हमें बताया गया है तो उस पर भी विचार कर लीजियेगा। मान्यवर, विशेष रूप से आपके प्रति, पाण्डेय जी के प्रति और सभी नेताओं और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट की अनुमति है। दो मिनट बोल सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज सदन जब उठ रहा है तो बोझिल वातावरण में नहीं उठा रहा है बल्कि एक दुखी वातावरण में उठ रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि एक परिवार बन गया, परिवार बनकर फिर कहीं टूट रहा है। आज अच्छा नहीं लग रहा है कल सदन नहीं होगा 11.00 बजे। एक वातावरण बन गया था जहां लोग अपने हो गये थे। मान्यवर, जबसे मैं इस सदन में आया हूं यह सुनता रहा हूं कि उस पीठ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी बैठा करते थे, उनका नाम था, आज सुखदेव प्रसाद जी के बैठ जाने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी जीवित हो गये है। उनकी परम्पराओं के बारे में सुना था, आज आपमें देख लिया। जिस तरह से सदन का संचालन आप करते हैं वह अपने आप में एक मिसाल है। मान्यवर, 403 के परिवार में सबको

प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल होता है। आप को देखता हूं, कैसे लालजी वर्मा नजरें टेढ़ी करते थे जैसे कह रहे हों कि बहुत मौका देते हों, लेकिन इनकी नजर बचाकर आप मेरी तरफ देख लेते थे। उधर से जब आप निलकते थे तो आजम खां से आपकी मुलाकात होती है, लेकिन कैसे एक रखकर आप चलते थे। मैं समझ सकता हूं कि जब आपका अभी यह हाल है तो जवानी में कैसा हाल होगा। आस-पास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया होगा।

श्री लालजी वर्मा-

अभी बफड्ढे नहीं हुए हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अध्यक्ष जी और संसदीय कार्य मंत्री का मधुर रिश्ता होता है लेकिन बुड्ढा और जवानी का सर्टिफिकेट देने का रिश्ता आज पता लगा है। मान्यवर, सदन का गरिमामय पद नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का होता है। मैं इन दोनों की प्रशंसा करना चाहता हूं। नेता सदन जब भी आयी हैं उन्होंने नीतिगत घोषणाएं कीं। नेता विरोधी दल ने काफी समय दिया और अच्छे अवसर पर वाकपटुता दिखायी। मैं चाहता हूं कि बधाई मेरी उन तक पहुंचा दें। मान्यवर, जितने लोग भी आये हैं यह सच है कि चार छः महीने पहले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर आये हैं, एक दूसरे का हम विरोध करते रहें, कड़ुवाहट भी तब आयी थी लेकिन इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि आज हम साथ हैं। पांच मिनट पहले हुकुम सिंह अलग बैठे थे लेकिन डेमोक्रेसी का तकाजा है कि यह मेरे निकट बैटे हैं। मैं इनका बहुत आदर करता हूं बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिला। इनमें जो गुण हैं वह मेरे से आये हैं क्योंकि मेरे साथ बैठते हैं वरना जितनी गड़बड़ी इनमें है कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह आपसे लड़ लेते हैं लेकिन इनसे नहीं लड़ते हैं। इनकी मदद करते हैं, कुछ न कुछ मामला है। खैर सब चलता है। मान्यवर, सदन में आठ तारीख को पहली बार हम आये थे काफी ठंड पड़ रही थी और जब हम जा रहे हैं तो गर्मी हो गयी है, होली का त्योहार नजदीक है, मैं आप सभी लोगों को होली के त्योहार की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि एक महीने रहते-रहते कुछ चेहरे देखने की आदत पड़ गयी थी, आपको भी आदत पड़ गयी होगी। कुछ लोग जब वह चेहरे खड़े होते थे, तो पैरोकार बनकर पहले खड़े हो जाते थे। लेकिन मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप कौन सी दवा लगाते हैं कि आपकी आंखें इतनी तेज हैं क्योंकि इस सदन में एक आपका जुमला सबको बहुत याद रहेगा मान्यवर, मैं उसको बहुत सम्भाल के बोलूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा, किसी ने कहा था मान्यवर कि कोई बात होती है उससे पहले गर्दन हिलाने लगते हैं, बाकी आप समझ गये मान्यवर। लेकिन आपने ठीक ही कहा था मान्यवर, अब कहीं न कहीं नजर आप ऊपर बैठते हैं दिखता ही होगा, ईश्वर करे आपकी नजरें ऐसी ही तेज रहें, मेरी यह कामना है। लेकिन मान्यवर, मैं जैसे कह रहा था कि बात पड़ जाती है, जैसे आपसे कोई बात कही जाती है आपका यथा सम्भव यही प्रयास रहता है कि कैसे इसको हां कह दें। आप भरपूर प्रयत्न करते हैं सत्ता पक्ष को भी हां कह दें, इधर भी हां कह दें, सबको हां कहने का आपका प्रयास रहता

है पाजिटिव-वे में। मान्यवर, बचा कर रहियेगा। अब हर जगह हां कहने में कभी-कभी खतरा भी हो जायेगा मान्यवर, तो यह आदत इसी सदन में छोड़ जाइयेगा फिर जब सदन में इस कुर्सी पर बैठियेगा तब हां कहियेगा मान्यवर, हर जगह हां मत कहियेगा वरना आज कल खतरे बहुत हैं। पर न के भी बहुत खतरे हैं। अब मैं बता रहा हूं, परसों एक शादी में मैं भी गया था और लालजी वर्मा जी भी थे, इनकी पत्नी भी थी वहां पर इनका बेटा भी था मान्यवर, इन्होंने मुझे मिलाया इनकी पत्नी ने कहा कि यह बेटा है लालजी वर्मा जी का, अब इनकी आदत यहां नहीं करने की थी, पड़ गई, बोले नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने इनको याद दिलाया मान्यवर, कि यह सदन नहीं है, शादी घर है तो बोले अच्छा विचार करके बताऊंगा आपको। अब मान्यवर, यह विचार करके जब भी बताते रहें भगवान करे आप भी खुश रहें, आपकी पत्नी भी खुश रहें आपकी जायज, नाजायज औलाद सभी खुश रहें। ऐसी भगवान से कामना करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरे जो हैं वह जायज ही हैं, लेकिन यह अपने को कहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक बार फिर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं मुझे एक बात की बहुत प्रसन्नता है, बहुत दिनों, बहुत सदन में मैं रहा हूं, 1980 से लगातार और पहली बार देख रहा हूं कि जो नये सदस्य आये हैं मान्यवर, उनमें बोलने में अभिरुचि है और पूरी प्रक्रिया में वह भाग ले रहे हैं। मैं इसके लिये सभी नये सदस्यों को शुभकामनायें देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी इसको बनाये रखें। मान्यवर, मैने इधर कहा और माननीय सूरजपाल जी ने मेज ठोंकना शुरू कर दिया। कुबेर जी हैं कि नहीं हैं ? मान्यवर, इनका भी आभारी हूं इन्होंने पूरी शक्ति के साथ जब मौका आपने दिया है और आप भी बड़े मौके देते हैं, एक तरफ से कुबेर जी को देते हैं, एक तरफ से इनको देते हैं, बराबर बैलेन्स बनाये रखते हैं और यह बहुत अच्छा बोले, मान्यवर।

* श्री ठाकुर सूरजपाल-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, इस गरिमामय सदन में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे यह सदन देखने का मौका मिला। मेरे साथियों ने जो मेरा उत्साहवर्धन किया है उससे मुझे महसूस हुआ था, मुझे यह ही नहीं मालूम पड़ रहा था, जब मैं बोलता था कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि अपने छोटे भाई पर अपना आशीर्वाद बनाये रखें, अपनी असीम अनुकम्पा बनाये रखें और मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद दें, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आपका आभारी हूं आप बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने भी मान्यवर, बहुत बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया। नसीमुद्दीन साहब नहीं है जब भी रहे लगातार उन्होंने कोशिश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात सही ढंग से कहने की, उपाध्याय जी, त्रिपाठी जी, इधर हमारे भाई इन्द्रजीत जी, राय साहब सभी लोग मान्यवर, प्रयास करते रहे। मैं ओम प्रकाश सिंह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं नेता भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल जी का इन्होंने बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से मान्यवर, जहां जरूरत पड़ी सदन को चलाने में पूरी मदद की, मैं इनके प्रति भी साधुवाद देता हूं। मान्यवर, भाई हुकुम सिंह जी ने विद्वतापूर्ण जब भी जरूरत पड़ी मान्यवर, हमेशा सदन को चलाने में भरपूर सहयोग दिया। मान्यवर, सिर्फ दो या तीन बातें हैं मान्यवर, आज यहां नेता सदन होती तो मैं जरूर कहता। आज जो सदस्य यहां से जा रहे हैं वह खाली हाथ जा रहे हैं। यह परम्परा रही है कि कुछ सम्मानित माननीय मंत्रीगण विधायकों के लिये कुछ घोषणा कर देते थे सड़कों के नाम पर हैण्डपम्प के नाम पर जिससे जब वह लोग क्षेत्र में जाते थे तो उन्हें वह सब कुछ मिल जाता था। आप भविष्य में प्रयास करें कि यह हो जाये। मान्यवर, आपके यहां कुल 62 सुरक्षा कर्मी हैं, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कोई स्लिंग देखनी होती है तो लोक सभा का जिक्र करते हैं कि लोक सभा में यह व्यवस्था है। लेकिन जब विधान सभा सचिवालय के लोगों को वेतनमान देना होता है तो फिर आप उन्हें लोक सभा का वेतनमान क्यों नहीं देते हैं। मान्यवर, यह आपके विभाग का मामला है। इनको लोक सभा कर्मियों की तरह ट्रीट किया जाये और वहां का वेतनमान दिया जाये तो अच्छा हो जायेगा। मैं इसको भरपूर संस्तुति करता हूं।

अभी आपने विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पारितोषिक के रूप में ढाई हजार रुपये देने की बात कही है। यह तो आपने पिछली बार किया था। आपकी न कहने वाली आदत है इसे आपको यहां पर हां में बदलना चाहिए और कुछ धनराशि बढ़ाकर जरूर करना चाहिए था। कम से कम 5 हजार रु0 अवश्य कर दें। यह अधिकारी/कर्मचारी दिन रात काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। इससे ओम प्रकाश सिंह जी भी सहमत हैं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसी तरह से यह जो हमारी सेन्ट्रल हाल की कैन्टीन के कर्मचारी हैं उनके लिये भी यही अपनी घोषणा लागू करने का काम करें यह अनुरोध है उन्होंने भी बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है। उनके बारे में भी आप विचार कर लीजिये।

आज आप हां कर दें तो वह वाली बात भी फिर जायज हो जायेगी। अगर नहीं करें तो मान्यवर, फिर आप एक सदन की कमेटी बना दें वह सब कुछ देख ले।

श्री अध्यक्ष-

जब यह होम इक्जामिनेशन में गड़बड़ा गये तो फिर इनकी यहां क्या परीक्षा होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौकब भाई और हम यहां पर साथ बैठते हैं दल अलग है लेकिन हमारे परम मित्र हैं। हम एक ही सीट पर बैठते हैं। कौकब भाई की शराफत का कोई जवाब नहीं है। इससे आप भी सहमत होंगे। मान्यवर, मैं नये सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो संघर्ष होता है वह विचारों का होता है वाद-विवाद का होता है यह सब

बातें इसी सदन के अन्दर रहनी चाहिए। हम सब भाई बहन हैं एक साथी के रूप में है। लेकिन जहां परिवार की बात पड़े तो फिर वहां दलीय बंधन में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, आप गर्दन हिला दिया करते हैं सदन में कभी उत्तेजित नहीं होते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सही समय पर आप उत्तेजित हो जायें। धन्यवाद।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, एक जमाने के बाद एक अच्छे वातावरण में यह सदन चला। इसकी 18 बैठकें हुई हैं। मगर यह दिली अफसोस है कि हम 18 बैठकों के बाद जा रहे हैं। एक अच्छा वातावरण यहां बन गया था इसलिए दिल चाहता था कि सदन चलता रहे और ज्यादा दिनों तक चले। मान्यवर, एक जमाने के बाद सारी बातें यहां पर हुई हैं। मान्यवर, इसका श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। आपके संरक्षण के बगैर यह बात मुमकिन न हो पाती। मान्यवर, मननीया नेता सदन जब भी यहां पर तशरीफ लायी उनका मार्गदर्शन सबको मिला। मान्यवर, हमारे जितने वरिष्ठ मंत्री हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बजट पेश करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नये सदस्य आये हैं उन्होंने कटौतियां बहुत अच्छे तरीके से रखीं और बहस में भाग लिया। मान्यवर, मुझे याद नहीं है कि हाल के वर्षों में इतनी अच्छी तरह से यह सब चला होगा। मान्यवर, होली आने वाली है। मैं सब लोगों को होली की बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपके 62 सुरक्षा कर्मी है तो जो लोक सभा में वेतनमान लागू हैं उसको इनके लिये यहां पर भी आप लागू करायें। यह हमारे लिये भी सही रहेगा और इनके लिये भी सही रहेगा। मान्यवर, मैं दुआ करता हूं कि हम सब लोग पुनः बहुत जल्दी मिलें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जबसे जब मैं यहां आया तो इसके पहले सोचा करते थे कि सदन कैसे चलता है यह सदन जो 18 दिन चला निश्चित रूप से हमारे सीनियर जो यहां पर कई बार चुनकर आये हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आपको बहुत-बहुत बधाई। निश्चित रूप से आपके कुशल संचालन में ही यह सम्भव हो सका कि सदन इतना लम्बा चला। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी यह सदन चलेगा और अच्छी तरीके से और अच्छा जो वातावरण रहा है इस सदन का ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सुरक्षा कर्मियों के बारे में नेताओं ने जो राय रखी है कि लोक सभा के हिसाब से उनको वेतन दिया जाय, मैं इसका समर्थन करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री धनंजय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं दूसरी बार इस विधान सभा का सदस्य हूं। पिछले 6 वर्षों में जितने बेहतर तरीके से इस सत्र का संचालन हुआ आपके नेतृत्व में इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। निश्चित रूप से हमारे जितने इस बार के नये सदस्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आये हैं उनको बहुत ज्यादा सीखने का अवसर मिल रहा है। आपके मार्गदर्शन में। हम लोगों को पिछली बार इतना अवसर नहीं मिल पाया था जितना इस बार के नये सदस्यों को मिल रहा है और आपके मार्गदर्शन में आपके नेतृत्व में इसी तरीके से परम्परा आगे चलती रहे। सभी नये सदस्यों को अवसर मिलता रहे तथा जिस तरीके से कुछ मुद्दों पर आपने सभी दलों को एक जुट रखा यह आगे भी होता रहे। जब प्रदेश के बेहतरी की बात हो, समाज के बेहतरी की बात हो तो सदन को एकजुट होना चाहिए। यह आपके मार्गदर्शन में भलीभांति हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तमाम दलीय नेताओं ने हमारे विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों और कर्मियों के लिए भी कहा, ढाई हजार से 5 हजार की बात भाई प्रमोद तिवारी जी ने कही उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं कि जरूर ढाई हजार से 5 हजार कर दिया जाय और सुरक्षा कर्मियों को लोक सभा के वेतनमान में रखा जाय। विधान सभा में कार्यरत सभी अधिकारियों, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, तृतीय श्रेणी के सभी कार चालक, रक्षक सदन से सम्बन्धित कर्मचारियों की भांति बचे हुए 30 प्रतिशत कर्मचारियों को भी वर्दी प्रदान करने का विषय है। यदि यह दे दिया जाय तो बेहतर होगा और धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ता पक्ष के हमारे वरिष्ट मंत्रियों को जिन्होंने बखूबी विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो सवाल किये गये उसका सही तरीके से जवाब दिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत सकुशल सदन को चलाने में अपना सहयोग किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज समाप्ति के उसमें थोड़ा सा माहौल दुखद हुआ कि नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। बहुत सही तरीके से चल रहा था और लग रहा था कि सदन बहुत स्वस्थ वातावरण में समाप्ति की ओर जा रहा है लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आगे इसकी कमी नहीं रह जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रथम बार जब इस आसन पर आप सब लोगों ने सर्वसम्मति से हमको आसीन किया, तब आभार प्रकट करते हुये मैनें इस शब्द का प्रयोग किया था कि मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहा तो सदन की परम्पराओं का पालन करते हुये, इस देश के सबसे बड़े सदन की गरिमा रखूंगा। उस कोशिश में हमको जो सफलता मिली है उसके लिये मैं माननीय नेता सदन के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होनें दल की तरफ से मेरा नाम प्रस्तावित किया और सभी दलों के सहयोग से मैं इस आसन पर बैठा, और नेता सदन ने समय-समय पर सदन में आकर नीतिगत घोषणायें की और इसी के साथ-साथ जब भी मैं देखता था कि सत्ता पक्ष का कोई सदस्य कहीं उनकी उपस्थिति में विपक्ष के किसी साथी से वाद विवाद का वातावरण बना रहा है तो वह स्वयं अपने हाथों से इशारा कर उसको बैठाती थीं और यहां तक ही नहीं, दलीय बैठकों में भी संकेत देती थी कि आपको संयम बरतना होगा और एक अच्छा वातावरण बनाना होगा। आज नेता सदन के इस निर्देशन और सदन में उपस्थित होकर समय-समय पर जो उत्साहवर्धन उन्होनें किया है, मैं उसके लिये नेता, सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष आज सदन में मौजूद

नहीं है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बराबर उनकी भी कोशिश रही कि सदन चले और जब भी सदन अव्यवस्थित हुआ है, उनके दल के सदस्यों के द्वारा भी, मैनें जब भी उनसे निवेदन किया, तो उन्होनें सदन चलाने में सहयोग दिया और नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि सदन संचालन में उनका अच्छा सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश सिंह ने जब भी सदन में विचार प्रकट किया और पूरी कोशिश की, मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद दे रहा रहा हूं और आभार प्रकट कर रहा हूं कि अगर कोई हमारी व्यवस्थाओं से किसी को कष्ट होता था या सरकार के जवाबों से कष्ट होता था, तो इस बात का प्रदर्शन उनका रहा कि वेल में न आकर वह सदन से बाहर चले जाते थे, अपने सदस्यों को लेकर के और पुनः अगली मद की कार्यवाही में हिस्सा ले लेते थे। इससे इस बात का संकेत मिला कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का संसदीय परम्पराओं का विरोध करने का जो तरीका है, या सदन को संचालित करने में क्या सहयोग होना चाहिए उसमें उनका भरपूर सहयोग मिला है और वह तो हमारे वरिष्ट हैं, मैं जरूर यहां आसीन हूं लेकिन कभी-कभी कोशिश करता हूं कभी-कभी जब बैठता हूं तो आपसे आशीर्वाद भी लेता रहता हूं कि सहयोग के भाव से आपका जो आचरण है, यह कहीं न कहीं हमारे लिये एक नजीर के रूप में रहता है जिसको मैं कभी-कभी प्रयोग करता हूं। वहीं हमारे वरिष्ट सदस्य माननीय हुकुम सिंह पूरे सदन के सदस्यों को अपनी विद्वता और अच्छे अध्ययनों के आधार पर किसी भी बिन्दु पर जब वह बहस करते थे तो पूरे सदन के सदस्य चुपचाप बैठकर उनको सुनते थे और आपने संसदीय विषयों के साथ-साथ नियमों और कानूनों का जो ज्ञानवर्धन नये सदस्यों का किया, इसके लिये मैं आपका पूरा आभार प्रकट करता हूं और सदन संचालन में आपने पूरा सहयोग किया। माननीय प्रमोद तिवारी जी, नेता कांग्रेस के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने लम्बे समय तक सदन में रहकर और सदन की परम्पराओं को कायम करने के लिये आपका भरपूर सहयोग रहा है। कभी-कभी इस सदन में मैनें देखा है कि तनावपूर्ण वातावरण बन जाता था तो उस तनावपूर्ण वातावरण को अपने आचरण से, अपने शब्दों से, व्यवहार से कई मौके मेरे समक्ष आये थे मैं सोचता था कि बात बिगड़ती जा रही है, लेकिन आदरणीय प्रमोद तिवारी जी उस माहौल को कहीं न कहीं अपने अच्छे शब्दों से या ह्रास परिह्रास के वातावरण में सदन को एक सामान्य स्थिति में लाने का बहुत सहयोग किये और एक अच्छे पार्लियामेंटरियन का भी उन्होंने संदेश दिया और उनके पदचिन्हों पर चलने को हमारे नये माननीय सदस्य कोशिश करेंगे, नये सदस्य भी सोचते हैं कि कहीं न कहीं इनके व्यवहार और आचरण को ग्राह्य करने की कोशिश की जाय। हमारे कौकब साहब को जब भी आप देखे होगें, हम रोकते-टोकते भी हैं लेकिन आप इनके जो भी विचार सुने होंगे, वह अपने विचारों में बहुत सूक्ष्म और अच्छे तथ्यों को ही रखते थे और कौकब साहब की टीम इस बार बहुत अच्छी आयी है लोक दल की क्योंकि मैं तो कभी-कभी सत्येन्द्र सोलंकी जी के आचरण और कार्यशैली को देख करके कहता था कि आप बैठ जाइये, आप पुराने सदस्य हैं तो वह खड़े हो करके कहते थे कि हम पुराने नहीं नये सदस्य हैं। डा0 धर्मपाल सिंह जी आपको मैंने देखा है कि आप कभी उत्तेजित नहीं दिखायी दिये, कभी-कभी मैंने आपको रोका तो आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

धनंजय सिंह जी एक दल के नेता हैं वह भी जब किसी प्रश्न को पूछते थे और अगर मैंने निवेदन कर लिया कि आप बैठ जायें तो वह बैठ जाते थे। यह जिन आचरणों का मैं उल्लेख कर रहा हूं सदन को चलाने के लिए इन्हीं आचरणों की जरूरत है और सदन को चलाने में इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। मैं इन सभी दलीय नेताओं का और विपक्ष तथा सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। वहीं हमारे मंत्रि-परिषद् के वरिष्ठ मंत्रियों, उच्च शिक्षा मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, समाज कल्याण मंत्री जी, मा0 जगदीश नारायण राय जी, हमारे दद्दू प्रसाद जी एवं अन्य जो हमारे मंत्री यहां पर बैठे हैं, सभी का बहुत सहयोग रहा है और इन सभी लोगों ने अच्छी तैयारी के साथ अपनी सरकार की जिम्मेदारियों का जो निर्वहन किया है, उसका भी योगदान सदन को चलाने में रहा है। अगर मंत्रिपरिषद् के मा0 मंत्री स्पष्ट रूप से विपक्ष के मा0 सदस्यों को जानकारियां देते रहते हैं तो तनाव का वातावरण नहीं बनता। इसलिए मैं अपने इस मंत्रिपरिषद् के सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही सम्मान और आदर करता हूं और सदन में जो आपने अच्छा प्रदार्शन किया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से सत्तापक्ष की बात को दृढ़ता निष्पक्षता के साथ सदन में रख करके सरकार की बात को मजबूती के साथ रखने का काम किया है, वह सराहनीय है। इसके साथ ही साथ जब कभी सदन के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता था तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी चाहे जिस भी तरह से हो, वह हमारी परिस्थितियों को समझ जाते थे और माहौल को बदलने का काम करते थे और बराबर यह कोशिश करते थे कि अध्यक्ष पीठ के सहयोग में अगर जरूरत हो तो वह रुक भी जाते थे और कभी-कभी मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को आमन्त्रित कर लेता था और उसके बाद थोड़ा सा परम्पराओं से हट करके विपक्ष के सदस्यों को आमंत्रित करता था तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने सत्तापक्ष की तरफ से दृढ़ता के साथ इपनी बात को रखते हुए सदन के संचालन में हमारा सहयोग किया है।

मैं विधान सभा सचिवालय के अपने प्रमुख सचिव का बहुत आभारी हूं कि जब कभी भी हमें थोड़ी भी उलझन होती थी तो प्रमुख सचिव का हमें बहुत सहयोग मिला है। हमारे विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टर्स से ले करके अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का हमें बहुत सहयोग मिला। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जिस दृढ़ता और संयमित ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। वहीं मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करता हूं अपने अधिष्ठाता मण्डल के सम्मानित सदस्यों का कि जब भी हमको किसी व्यस्त कार्यक्रम में सदन से हटना पड़ता था तो अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, मैं अपने पत्रकार भाइयों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने का काम किया है। इस प्रकार से हमारे सदन के संचालन में हमारे पत्रकार भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। वहीं पर साउंड सिस्टम में जो हमारे कर्मचारी लगे रहे निश्चित

तौर पर उनका भी बहुत सहयोग रहा, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त पूरे दिन के उपवेशन में कहीं न कहीं कुछ कागज के टुकड़े या गन्दगियां हो जाती थीं तो मैं सफाई कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जैसे ही मैं सदन में प्रवेश करता : तो पूरा सदन साफ-सुथरा रहता था। मैं ऐसे कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे सदन को सुसज्जित करने का काम किया है। इसलिए मैं सभी मा0 सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, सभी नये सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य जो सामने बैठे है इनको एक नजीर के रूप में स्वीकार करके और वही परम्परा का आदर सम्मान करते रहें। और आपने जिस तरह से इस सदन में सहभागिता लिया है, चाहे प्रश्नों के माध्यम से, चाहे सूचनाओं के माध्यम से, चाहे अनुदान मांगों की या अन्य चर्चाओं में हिस्सा लिया है यह एक शुभ लक्षण है। आपके व्यवहारिक जीवन में केवल सदन तक ही नहीं जो माननीय सदस्य संसदीय परम्पराओं का ज्ञान कर लेते हैं सदन में जनता की बात उठाते हैं या सदन में कुछ न उठा करके सदन में बैठ करके सबकी बातों को सुनते रहते हैं, यह सदन के अन्दर ही नहीं सदन के बाहर भी आपका एक व्यवहारिक स्वरूप बनता है। आज हम लोग अनिश्चित काल के लिए उठ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मुझसे जाने-अनजाने में अगर गल्तियां हो गयी हों, हमारी व्यवस्थाओं से कहीं कोई कष्ट हुआ हो, कहीं मेरे आचरण से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं असके लिए क्षमा चाहता हूं। हो सकता है कि हमारे व्यवस्था देने या कोई निर्णय लेने में कोई कष्ट हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

पार्लियामेण्टरी सिस्टम में हास-परिहास भी होता है। मेरे हास-परिहास के कुछ शब्दों से किसी को कटुता लगी हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। लेकिन दो लोगों के शब्दों को कभी भी आप संज्ञान में न लीजिएगा उनका अच्छा माहौल रहा ठाकुर सूरज पाल सिंह और कुबेर सिंह जी का, इन दो माननीय सदस्यों ने हास-परिहास में भी एक अच्छा सहयोग दिया, यह भी संसदीय परम्परा का एक अंग है। ये परम्परायें रही हैं। अब हम लोग अनिश्चित काल के लिए उठ रहे हैं इसलिए एड्वांस में, आप लोग अपने गांव. और घर को जायेगें, होली का त्योहार है अच्छे सौहार्द और भाईचारा के माहौल में आप अपने क्षेत्र की जनता से मिलें, होली के प्रति हमारी पूरी शुभकामना है। अंत में पुनः सभी नेतागण और सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दे रहा हूं और शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं कि इसी खुशी और प्यार के माहौल में हमारे सभी सदन के सदस्य रहें। हमारा 403 का परिवार इसी तरह से खुशी के माहौल में रहे और इस सदन में बराबर आते रहे यह मेरी शुभ-कामनायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गायेंगे।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 11 मार्च, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 50 विधान सभा (89)-23-6-08-813 प्रतियां (डी0टी0पी0)।